



सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

29 मार्च, 2016

षोडश विधान-सभा

29 मार्च, 2016 ई0

मंगलवार, तिथि -----

द्वितीय सत्र

09 चैत्र, 1938 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय- 11.00 बजे पूर्वा0)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। प्रश्नोत्तर काल।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-6 (श्री नन्दकिशोर यादव)

श्री आलोक कुमार मेहता: (1)-उत्तर स्वीकारात्मक है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा पटना शहर की वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाता है। प्राप्त आंकड़े दर्शाते हैं कि वायु में छोटे धूल-कणों की सान्द्रता मानक से ज्यादा पायी गयी है, परन्तु अन्य प्रदूषक निर्धारित मानक के अधीन पाये गये हैं।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि ठंड के मौसम में वायुमंडल का तापमान कम होने के कारण छोटे धूल-कण वायुमंडल के नीचले परत में संघनित हो जाते हैं। परिणामतः वायु में 2.5 कणों की मात्रा ज्यादा हो जाती है। फरवरी एवं मार्च 2016 में पटना की हवा में 2.5 कणों की मात्रा में कमी आने से वायु की गुणवत्ता में सुधार पाया गया है।

(2)-आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों के वार्षिक तुलनात्मक अध्ययन पर्षद में उपलब्ध नहीं है।

(3)-वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता में सुधार एवं ध्वनि प्रदूषण में कमी लाने हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाये गये हैं:-

1-पटना शहर सहित पूरे राज्य में अवैध रूप से संचालित लगभग तीन सौ ईट-भट्ठों का संचालन बंद किया गया है।

2- पटना शहर के नजदीक पांच प्रखंडों यथा फतुहा, पटना सदर, मनेर, दानापुर एवं फुलवारीशरीफ में नये ईट-भट्ठों की स्थापना हेतु आनापत्ति प्रमाण-पत्र देना बंद कर दिया गया है।

3-भवन निर्माण सामग्री को ढक कर परिवहन करने का निर्देश दिया गया है।

4-सड़क के किनारे भवन निर्माण सामग्री पर नगर निगम द्वारा रोक लगायी गयी है।

5-भवन निर्माण विभाग द्वारा सभी निर्माण कार्य स्थलों के चारो ओर शीट/पर्दा से पन्द्रह बीस फीट ऊंचाई तक घेराबंदी करने का निर्देश जारी किया गया

है ताकि निर्माण कार्य के कारण धूलकण कम से कम निकल सके तथा इसकी जांच भी की जा रही है।

6-पटना नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र में भवन के नक्शा पारित करने के दौरान निर्माणकर्त्ता एवं एजेंसी को निर्माण स्थल को ढक कर कार्य निष्पादित करने एवं निर्माण सामग्री को सार्वजनिक स्थल पर नहीं रखने का निर्देश जारी किया गया है।

7-बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा पटना जिला के पांच प्रखंडों यथा पटना सदर, दानापुर, फुलवारीशरीफ, मनेर एवं फतुहा में पूर्व से स्थापित ईट-भट्ठों को स्वच्छतर तकनीकी पर आधारित उत्पादन तकनीक में 21-8-16 तक परिवर्तित कर लेने का निर्देश जारी किया गया है।

8- पटना शहर में पन्द्रह वर्षों से ज्यादा पुराने सभी डीजल वाहनों के परिचालन को प्रतिबंधित करने तथा 2000 सी0सी0 से ऊपर लग्जरी नये वाहनों का पंजीकरण रोकने हेतु परिवहन विभाग को प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया है।

9-ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु वाहनों में उपयोग किये जाने वाले उच्च तीव्रता के प्रेशर हॉर्न का उपयोग एवं विक्रय पर रोक लगायी गयी है। जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा रात्रि के समय लाउडस्पीकर, बैण्ड बाजा, डी0जे0सेट आदि के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

10-बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा पटना शहर में वाहनों से हो रहे शोर प्रदूषण की रोक-थाम हेतु जन-सामान्य में जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम चलाये गये हैं जिसमें एन0सी0सी0 कैडेट, कॉलेज के छात्र तथा विद्यालयों को सम्मिलित किया गया है।

श्री नन्दकिशोर यादव: महोदय, मंत्री महोदय ने जो इनको विभाग ने लिखकर दिया होगा उसको विस्तार से पढ़ा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि किन किन कारणों से पी0एम0टी0 की स्थिति पैदा होती है, इसके श्रोत क्या-क्या है ? इसके बारे में बतायें। महोदय, आपने अपने जवाब में जिन बातों की चर्चा की है उसमें ईट-भट्ठा की चर्चा की है, आपने गाड़ियों की चर्चा की है सड़क के किनारे बालू और भवन निर्माण सामग्री की बात की है। ये दो तीन कारण आपने गिनाये हैं, और कौन-कौन कारण हैं, कितने कारण है जिन कारणों से पार्टिकुलर मैटर यानी पी0एम0टी0 की स्थिति पैदा होती है?

श्री आलोक कुमार मेहता: महोदय, यह प्रदूषण क्षेत्र में रिसर्च का जो प्रभाग है उसमें अभी तक जो अद्यतन स्थिति उपलब्ध है उसको हमने सदन के सामने रखा लेकिन इससे ज्यादा डिटेल्स की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से पर्षद से निवेदन करूंगा कि

जल्द से जल्द इस विषय पर विस्तृत रूप से जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध करावें और सदन को भी अवगत करायें।

श्री नन्दकिशोर यादव: महोदय, माननीय मंत्री इस विभाग के नहीं हैं लेकिन महोदय इस सदन के अन्दर जब विभिन्न विभागों पर चर्चा हो रही थी वन एवं पर्यावरण ने अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की थी और वास्तविक कार्य योजना 2015-16 के पृष्ठ 37 पर सरकार ने खुद ही कहा है, खुद सरकार ने स्वीकार किया है कि जो पार्टिकुलर मैटर है जिसकी चर्चा मैं कर रहा था उसके श्रोत क्या-क्या हैं? उन श्रोतों में जो प्वायंट हैं उसमें रोड डस्ट जिसकी चर्चा माननीय मंत्री महोदय ने की है, ट्रांसपोर्ट जिसकी चर्चा माननीय मंत्री महोदय ने की है, ब्रीक इसकी भी चर्चा माननीय मंत्री महोदय ने की है और कई आईटम जो हैं जिसकी चर्चा माननीय मंत्री महोदय ने नहीं की, उसकी चर्चा मैं करना चाहता हूँ। जैसे डोमेस्टिक फ्यूल वर्निंग, दूसरा है डी0जे0 सेट, तीसरा है ओपन वेस्ट वर्निंग और कंस्ट्रक्शन इसकी चर्चा मंत्री महोदय ने की है। महोदय, मैं जानना चाहता हूँ मंत्री महोदय से कि एक तो जो ये सात कारण हैं, जिसमें से आपने तीन चार की चर्चा की और बाकी की चर्चा क्यों नहीं की? महोदय, हम जो देखते हैं, यह बहुत ही गंभीर विषय है। यह कोई पार्टी का विषय नहीं है। इस राजधानी के अन्दर प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ गयी है जो सबको प्रभावित कर रहा है और गरीब आदमी को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। महोदय, इसमें जो मुख्य बातें हैं- ओपन वेस्ट। महोदय, आप जानते हैं कि सौलिड वेस्ट मैनेजमेंट शहरों के अन्दर लागू हो इसके लिए भारत सरकार ने बड़ी मात्रा में राशि दी थी। पटना शहर के अन्दर 1200 मे0टन कूड़ा प्रतिदिन निकलता है और 1200 मे0 टन कूड़ा प्रतिदिन मैनेजमेंट करने के लिए, इसको जलाने के लिए, वर्निंग के लिए आप जानते हैं कि कई साल पहले भारत सरकार से पैसा आया था लेकिन आज तक वह लगा नहीं। जब नहीं लगा प्लांट तो स्वाभाविक रूप से 1200 मे0टन कूड़ा प्रतिदिन जलाया जाता होगा। रोज सब नहीं जलता होगा तो आधा जरूर जलता होगा। महोदय उस कारण भी प्रदूषण हो रहा है, उसके बारे में सरकार ने क्या कार्रवाई की इस पर कोई चर्चा नहीं की? इसके बारे में सरकार को बतलाना चाहिए। दूसरा महोदय, आप जानते हैं कि मेडिकल वेस्टेज बड़े पैमाने पर, पटना शहर के अन्दर तीन-तीन मेडिकल कॉलेज यहां हैं नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज और आई0जी0आई0एम0एस0 मेडिकल कॉलेज खुल गया है। कई सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल हैं पटना के अन्दर और आप जानते हैं कि हजारों की संख्या में यहां प्राइवेट नर्सिंग होम है और सब जगह से वेस्टेज निकलते हैं लेकिन उस वेस्टेज को जलाने के लिए एक यूनिट स्थापित हुआ था आई0जी0आई0एम0एस0 में। संयोग से तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश

कुमार और मैं स्वयं वहां गया था उद्घाटन में लेकिन जितना वेस्ट निकलता है महोदय उस सब को जलाने के लिए एक यूनिट पर्याप्त नहीं है। सब लोग वहां भेजते नहीं हैं वो भी अस्पतालों के अन्दर खुले रूप से जलाया जाता है इसके कारण भी प्रदूषण पैदा होता है। इस पर सरकार ने क्या विचार की है, सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय जवाब दें।

टर्न-2/मधुप/29.3.16

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, पर्यावरण सिर्फ कानून से नहीं सुधारा जा सकता है । पर्यावरण में जागरूकता का बहुत बड़ा योगदान होता है । इसलिये पार्टी से ऊपर उठकर, हर भावनाओं से ऊपर उठकर इसके प्रचार-प्रसार और इसके लिए अभियान चलाने की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, जानकारी बढ़ाने की जरूरत है तभी यह जो वेस्ट वर्निंग या जो छोटे-छोटे कारण जिसकी वजह से पी0एम0 10 में वृद्धि होती है, उसको रोका जा सकता है । जो मेजर फैक्टर्स थे इनको नियंत्रित करने वाले, उसकी चर्चा हमने अपने जवाब में की है लेकिन जो माइनर फैक्टर्स हैं इसके लिए भी नगर निगम ने अपना एक अभियान शुरू किया है और वेस्ट री-साइकलिंग प्रोजेक्ट को लाकर पटना, मुजफ्फरपुर और गया, जो सबसे अधिक प्रदूषित क्षेत्र हैं, कूड़ा-कचड़ा के मामले में, उसको री-साइकलिंग करने का प्लांट लगाने की बात चल रही है और मैं समझता हूँ कि यह सब कुछ मिलकर पटना और अन्य शहरों में प्रदूषण के स्तर को बहुत नीचे किया जा सकता है ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, मंत्री महोदय गलत बयानी कर रहे हैं, मेरे पास इस बात के ऑकड़ें हैं । ये जो कह रहे हैं कि हमने जिस बात की चर्चा की है, माइनर हैं । महोदय, यह गलत बयानी है, पूरी तरह गलत बयानी है । मैं कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी मात्रा में वेस्ट जलाये जा रहे हैं, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ रहा है और ये कह रहे हैं कि माइनर बात है !

अध्यक्ष : नन्द किशोर बाबू, माननीय मंत्री ने अपने मूल उत्तर में भी बताया कि अभी जो प्रदूषण का स्तर है जिसकी चर्चा आपने प्रश्न में की है, वैसे तो पी0एम0 मेटेरियल के बहुत कारण हैं लेकिन माननीय मंत्री ने बताया कि इसका मूल कारण धूल-कण की सांद्रता है, concentration of dust particles है । इसीलिये माननीय मंत्री ने डस्ट पार्टिकल से रिलेटेड जो गवर्नमेंट के मेजर्स थे, उसकी चर्चा की है । उन्होंने

बताया है कि धूल-कण की सांद्रता के कारण ही ज्यादा है, पटना में प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने में उसका कंटीव्यूशन ज्यादा है। जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, पटना के वायुमंडल में प्रदूषण का स्तर मूल रूप से डस्ट पार्टिकल के कंसंट्रेशन से ज्यादा बढ़ा है, उसकी बात उन्होंने कही है और आपने बहुत सही सौलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कही है। वह भी उसका एक पार्ट होता है, एक अवयव होता है, उसपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने कब इस बारे में सरकार को आगाह किया, एडवाइजरी कब दिया ?

श्री आलोक कुमार मेहता : इसकी सूचना आपको तिथिवार दे दी जायेगी।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, मेरा प्रश्न क्या है ? मेरा प्रश्न यह है कि जो प्रदूषण हो रहा है, उस प्रदूषण के बारे में चर्चा करने के लिए हमने साफ-साफ प्रश्न किया है और हमने कहा है कि प्रदूषण मुक्त शहर बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है। सरकार को कब जानकारी हुई कि पटना शहर की प्रदूषण की यह स्थिति हो गई है? यह जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष : माननीय नन्द किशोर बाबू, आपने पूछा है कि प्रदूषण का स्तर घटाने के लिए, प्रदूषण मुक्त कराने के लिए सरकार कौन-कौन सी कार्रवाई कर रही है और सरकार ने प्रदूषण के टाईप पर और जो पौल्यूटेंट मेटेरियल है, उसके बारे में जानकारी देकर विभिन्न जो स्टेप्स लिये जा रहे हैं, उसके बारे में बताया है। पर्षद ने कब जानकारी दी, उसकी सूचना आपको दे दी जायेगी लेकिन उससे इसका क्या संबंध है !

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, संबंध है। मेरा कहना है कि सरकार ने जो जवाब दिया है, जिन कार्रवाइयों का जिक्र सरकार कर रही है, आखिर सरकार ने कब कार्रवाई प्रारम्भ की, कब इनको प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से जानकारी मिली कि पटना की यह स्थिति हो गई है ? दूसरा प्रश्न इसमें शामिल है कि सरकार ने जिन कार्रवाइयों की चर्चा की है, उन कार्रवाइयों के आधार पर, अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया है, तो सरकार ने कितने पर कार्रवाई किया ? महोदय, यह आई-वाश है। बताइये कि कोई भवन पटना शहर के अन्दर, सब विधायक घूमते हैं, कोई भवन तिरपाल घेरकर और घेराबंदी करके बनता है क्या ? सड़कों पर धूलकण नहीं है क्या ? सड़कों पर बालू नहीं बेचे जा रहे हैं क्या ? महोदय, सारे काम खुलेआम हो रहे हैं। सरकार केवल आई-वाश कर रही है। मैं जानना चाहता हूँ, फिर आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने सरकार को कब इस बात के लिए आगाह किया कि पटना का प्रदूषण स्तर बढ़ता जा रहा है और सरकार ने जो

कार्रवाई करने की बात कही है, उसमें कौन-कौन सी कार्रवाई, किस-किस पर कार्रवाई की गई है ? बताया जाय ।

अध्यक्ष : सरकार ने जो कार्रवाई की है, उसने वह भी बताया है ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, सरकार कहों बता रही है ? सरकार तो यह भी नहीं बता रही है कि कब उनको एडवाइजरी मिला ।

अध्यक्ष : आप अगर यह कहते हैं कि सरकार ने जो कहा है उसका वॉयोलेशन हो रहा है तो सरकार उसको देखकर कार्रवाई करेगी ।

श्री नन्द किशोर यादव : किसपर कार्रवाई की गई है ? महोदय, खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, आपकी आँख से भी गुजरा है, मुख्यमंत्री की भी आँख से गुजरा है । यह कोई बात नहीं हुई ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 'क'- 518 (श्री श्याम रजक)

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा : महोदय, 1- अस्वीकारात्मक है । वित्तीय वर्ष 2013-14 के लक्ष्य 69,186 के विरुद्ध में 60733 एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 के लक्ष्य 92,076 के विरुद्ध कुल 52,617 अर्थात् कुल 1,13,350 गर्भवती महिलाओं को इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया ।

2- अस्वीकारात्मक है । वित्तीय वर्ष 2012-13 की अवशेष 359.11 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राप्त 1758.10 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राप्त 4862.81 लाख अर्थात् कुल उपलब्ध 6980.01 लाख के विरुद्ध कुल 6596.62 लाख व्यय किये गये जो कि कुल आवंटन का 94.51 प्रतिशत है । वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में इस योजना अन्तर्गत केन्द्र सरकार की कोई राशि सरेन्डर नहीं की गई ।

3- आंशिक स्वीकारात्मक है । इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना आई0जी0एम0एस0वाई0 अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम किस्त 1216.70 लाख का आवंटन माह सितम्बर, 2015 में प्राप्त हुआ जिसके विरुद्ध अद्यतन 841.36 लाख व्यय किया गया जो प्राप्त आवंटन का 69 प्रतिशत है ।

4- अस्वीकारात्मक है ।

5- उपर्युक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री श्याम रजक : महोदय, जवाब तो इनका है । मेरा यह पूछना है कि इनकी जो योजना है कि जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनके बच्चों को छः महीने तक तीन किशतों में चार हजार

रूपया देना है । इतनी कम मात्रा में है कि 92 हजार में सिर्फ 52 हजार लोगों को 2014-15 में मिला है ।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह पत्र लिखा है भारत सरकार के मंत्रालय को कि हमारे यहाँ राज्य में जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उसकी सूची नहीं बन पा रही है, उनको नहीं खोजा जा रहा है ? क्या समाज कल्याण निदेशालय गर्भवती महिलाओं को मातृत्व सहयोग एवं पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए उनकी पहचान करना चाहेगी ताकि जो गरीब महिलाएँ हैं, जिनको पोषाहार की आवश्यकता है, यह बड़ी ही अच्छी योजना थी कि जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं उनको दूध और पोषाहार मिले, इसलिये उनकी पहचान करने के लिए सरकार कोई योजना बनाने का सोच रही है या बनाना चाहती है ?

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा : अभी तो कोई ऐसी योजना विचाराधीन नहीं है ।

श्री श्याम रजक : महोदय, बहुत ही दुख की बात है कि इतनी आबादी है और 92 हजार में सिर्फ 52 हजार लोगों को ही मिला है । इनके निदेशालय ने पत्र लिखा है कि गर्भवती महिलाओं को मातृत्व सहयोग की राशि और पोषाहार उपलब्ध कराने की योजना के लिए बिहार सरकार को लाभार्थी नहीं मिल रहे हैं ।

सरकार को पहल करना चाहिये और पहचान करके एक सूची बनाना चाहिये ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके । ये कह रही हैं कि इसकी कोई योजना नहीं है ! यह तो कल्याण की योजना है ।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा : छुट्टी के चलते सुबह में अभी जवाब आया है । मैं बहुत डिपली इसकी जानकारी नहीं ले पाई हूँ । मैं बाद में जवाब उपलब्ध करा दूँगी ।

अध्यक्ष : माननीया मंत्री, इसमें देख लीजिये, आप कह रही हैं कि कोई योजना नहीं है लेकिन आपने ही बताया है कि 92 हजार में से 52 हजार को दिया गया है । आखिर कोई तो तरीका होगा, 92 हजार का फिगर कहाँ से आया ! यह तो किसी प्रक्रिया के तहत ही हुआ होगा ।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा : जी ।

अध्यक्ष : उसको देख लीजिये और अधिक से अधिक महिलाओं को इसका फायदा मिले, यह सरकार सुनिश्चित करे ।

....

टर्न-3/आजाद/29.03.2016

तारांकित प्रश्न सं0-1620(श्री अरूण कुमार सिन्हा)

श्री चन्द्रिका राय : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। निगम के द्वारा गाँधी मैदान से बिहटा आई0आई0टी0 भाया पटना जंक्शन, जी0पी0ओ0, बेलीरोड, पाटलीपुत्र जंक्शन तक दो सेवाओं का परिचालन शुरू कर दिया गया है।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मुझे जहाँ तक जानकारी है, आपने पटना जंक्शन से बताया लेकिन बेलीरोड से ऑटो रिजर्व करने पर मनमानी पैसा देकर जाना पड़ता है और मेरा इससे तीन प्रश्न आता है पहला - सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था बेली रोड से कब की जायेगी, दूसरा - ऑटो का किराया का निर्धारितकरण कब होगा और तीसरा कि आप कब तक सुनिश्चित कर देंगे ताकि पाटलीपुत्रा जैसा महत्वपूर्ण स्टेशन है, वहाँ पर यात्रियों को जाने में सुलभता हो सके ?

अध्यक्ष : उन्होंने तो कहा है।

श्री चन्द्रिका राय : माननीय सदस्य की चिन्ता जायज है, हमलोग सोच रहे हैं कि वहाँ से एक शटल सर्विस शुरू करेंगे, बस की उपलब्धता होते ही हमलोग इसको शुरू कर देंगे।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : कम से कम किराया का तो निर्धारण कर दें, कोई ऑटो वगैरह से जाता है तो यात्री से मनमाना किराया लिया जाता है तो सरकार इसको निश्चित कर दे।

श्री चन्द्रिका राय : हमलोग इसको देख लेंगे।

अध्यक्ष : अरूण बाबू, जब सरकार शटल सर्विस शुरू करेगी तो स्वभाविक रूप से किराया नियंत्रित रहेगा।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : हुजूर, देख लेने का मतलब क्या है, सरकार समय बताये कि एक महीना, दो महीना इसको तो कम से कम करवा दिया जाय। देख लेने का क्या अर्थ है?

श्री चन्द्रिका राय : अतिशीघ्र।

अध्यक्ष : अरूण बाबू, देख लेने का मतलब यही होता है कि बिना देखे कोई काम नहीं होता है।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : देख लेने का यह भी मतलब होता है अध्यक्ष महोदय कि अच्छा उसको अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

अध्यक्ष : नहीं, आप सकारात्मक सोच के साथ चलिए।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : समय कुछ बता दिया जाय, महीना-दो महीना, कोई एक समय बता दें।

अध्यक्ष : हो जायेगा शुरू, अब संजीव जी पूछ रहे हैं ।

श्री संजीव चौरसिया : इसमें एक विषय और सुझाव के तौर पर महोदय कि जो सबसे बड़ा विषय है पाटलीपुत्रा जंक्शन आने वाले समय में जिस प्रकार रेल की वृद्धि हो रही है, एक अल्टरनेटिव रूट भी है, सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए, राजीवनगर से लेकर सी0आर0पी0एफ0 कैम्प 90 फीट रोड लेकर एक 90 फीट का अल्टरनेटिव रूट हो सकता है, जो दीघा को जोड़ते हुए पाटलीपुत्रा स्टेशन तक जाया जा सकता है तो सरकार को इसपर भी संज्ञान लेना चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है, आप माननीय मंत्री जी को बता दीजियेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-2027(श्री आनन्द शंकर सिंह)

श्री जय कुमार सिंह : महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2. राज्य के सुशासन कार्यक्रम 2015 -2020 के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में एक-एक राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना की जानी है । उक्त कार्यक्रम के तहत औरंगाबाद जिला में राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान के सत्यापनार्थ अखिल भारतीय शिक्षा परिषद् के मापदंड के अनुसार 8 एकड़ भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विभागीय पत्रांक-1385 दिनांक 09.06.2014 , 2088 दिनांक 29.08.2014 एवं अर्द्ध सरकारी पत्रांक 401 दिनांक 05.02.2016 के द्वारा समाहर्ता, औरंगाबाद से अनुरोध किया गया है । भूमि उपलब्ध होते ही राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान, औरंगाबाद की स्थापना संबंधी अग्रेतर कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जायेगी ।

अध्यक्ष : आनन्द शंकर जी को भी कोई पूरक प्रश्न पूछना है ?

श्री आनन्द शंकर : नहीं सर ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह ।

श्री अशोक कुमार सिंह(224) : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि रफीगंज प्रखंड मुख्यालय औरंगाबाद जिला मुख्यालय से 40कि0मी0 दूरी पर है और घोर नक्सल प्रभावित इलाका है । हम चाहेंगे कि रफीगंज प्रखंड मुख्यालय में भी पोलिटेकनिक कॉलेज खुले ताकि जो समाज के भटके हुए लोग हैं, उनके बच्चे भी और गरीब के बच्चे भी टेकनिकल शिक्षा ले सकें ।

तारांकित प्रश्न सं0-2028(श्री फैयाज अहमद)

श्री अशोक चौधरी : 1. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम-2010 वर्ग 1 से 8 तक के विद्यालय के लिए प्रभावी है ।

2. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड अन्तर्गत उच्च विद्यालय, जितवारपुर में माध्यमिक एवं उच्च

माध्यमिक में छात्र/छात्रा की कुल सं०-137 है । इस विद्यालय में मो० ईरफान अहमद आजाद उर्दू विषय में +2 शिक्षक के रूप में कार्यरत है ।

रहिका प्रखंड अन्तर्गत मध्य विद्यालय, नाजीरपुर में उर्दू पढ़ने वाले छात्र/छात्रा की सं०-148 है । विद्यालय में कुल 11 शिक्षक पदस्थापित है जिसमें उर्दू विषय के कोई शिक्षक नहीं है । इस विद्यालय में उर्दू पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक उर्दू विषय के शिक्षक की प्रतिनियुक्ति की गयी है ।

इस खंड का उत्तर ऊपर की कंडिका में सन्निहित है ।

श्री फैयाज अहमद : माननीय मंत्री जी, आपसे आग्रह होगा कि एक शिक्षक से वहां पर नहीं होगा, आप ही बताये हैं कि वहां पर छात्र/छात्रा की संख्या 137 है तो बाकी शिक्षकों की नियुक्ति कब तक कर देंगे, यही मेरा आपसे आग्रह है ।

श्री अशोक चौधरी : नियोजन की प्रक्रिया प्रक्रियान्तर्गत है और पंचायत चुनाव के बाद फिर से जो बचे हुए उर्दू के शिक्षक हैं, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जायेगी । जैसे ही उर्दू शिक्षकों की बहाली होगी, एक और उर्दू शिक्षक दे देंगे ।

तारांकित प्रश्न सं०-2029(श्री गिरिधारी यादव)

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

3. वेतन निर्धारण से संबंधित मामला वित्त विभाग के अन्तर्गत आता है ।

विभागीय पत्रांक 1064 दिनांक 21.03.2016 द्वारा श्री कुमार के सेवा सम्पुष्टि आदेश वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, बिहार, पटना को भेजते हुए वित्त विभाग के संकल्प सं०-630 दिनांक 21.01.2010 के आलोक में श्री कुमार को पी०बी० 3 ग्रेड पे 5400 रु० में उत्क्रमित कर तदनुसार वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

श्री गिरिधारी यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह कब तक हो जायेगा क्योंकि 5 वर्षों से यह लंबित है और अनुसूचित जाति के पदाधिकारी हैं, क्या जानबूझ कर ऐसा नहीं किया जा रहा है कि उसको बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिले ?

श्री आलोक कुमार मेहता : इसे शीघ्र देखवा लिया जायेगा और इसे शीघ्र करवाने का प्रयास किया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-2030(श्रीमती एज्या यादव)

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2031(श्री अशोक कुमार)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2032(श्री विद्यासागर केसरी)

श्री शिवचन्द्र राम : अध्यक्ष महोदय, हम क्वेश्चन का उत्तर पहले ही दे दिया है ।

अध्यक्ष : इसका उत्तर दिया हुआ है, आप पूरक पूछिए । आप पूरक पूछने से पहले माननीय मंत्री जी को धन्यवाद भी दे दीजिए कि इन्होंने उत्तर पहले दे दिया है ।

श्री विद्यासागर केसरी : महोदय, मैं धन्यवाद तो दे ही रहा हूँ लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जिला पदाधिकारी से कब प्रस्ताव सरकार के पास आया है और कब सरकार इसको बनाने का विचार रखती है, यह बात मैं पूछना चाहता हूँ ?

श्री शिवचन्द्र राम : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला के जिला मुख्यालय में जिला प्रेक्षागृह सह आर्ट गैलरी निर्माण की योजना प्राधिकृत समिति से अनुमोदन के पश्चात् मंत्रिमंडल सचिवालय से अनुमोदन की प्रक्रिया में है । वहां से आने के बाद हम इस कार्य को करेंगे । हमारा है कि प्रत्येक जिला में यह कार्यक्रम है और सभी जिला में हमको बनाना है । जैसे-जैसे आ रहा है, वैसे-वैसे हो रहा है । यह भी अनुमोदन हो जाता है तो अनुमोदन के बाद हम वहां पर कार्यक्रम शुरू करेंगे ।

श्री विद्यासागर केसरी : उत्तर में तो आया हुआ है कि जिला पदाधिकारी महोदय से प्रस्ताव सरकार के पास आ चुका है । जब प्रस्ताव जिला पदाधिकारी से आ चुका है तो आप इसको कब तक बनायेंगे ?

अध्यक्ष : विद्यासागर जी, आप पूरक पूछ रहे हैं लेकिन आपके प्रश्न से संबंधित नहीं हो पा रहा है । आपके प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है, आपने फारबिसगंज के बारे में पूछा है और माननीय मंत्री जी जो प्रस्ताव मांगे हैं, वह अररिया जिला के बारे में है । आपके फारबिसगंज के लिए माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सबडिविजन लेवल पर, अनुमंडल स्तर पर अभी सरकार की कोई योजना नहीं है तो आप पूरक क्या पूछ रहे हैं ?

श्री विद्यासागर केसरी : महोदय, सरकार अनुमंडल स्तर पर इसको कब तक बनाने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : उनकी कोई योजना नहीं है फारबिसगंज में बनाने की । वे जिला में बना रहे हैं, सरकार ने यह कहा है । आप अनुरोध कर दीजिए ।

श्री विद्यासागर केसरी : महोदय, हम आग्रह करते हैं कि इसपर ध्यान रखा जाय चूँकि नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्र है और काफी कलाकर लोग नेपाल से आते हैं और उनके प्रतिभा को निखारने में बहुत सारी परेशानी होती है । हम माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि जिला स्तर पर बनने के बाद फारबिसगंज में जिलास्तर का ग्रामीण क्षेत्र का एक प्रमुख केन्द्र बिन्दु है तो इस जगह पर भी बने, यह हम आपसे आग्रह करते हैं।

टर्न:4/अंजनी/दि0 29.03.16

तारांकित प्रश्न सं0-2033(श्री राघव शरण पांडेय)

श्री शिवचन्द्र राम : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है । पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड-बगहा-1 के के0डी0 एकेडमिक खेल मैदान में वर्ष 2008-2009 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-80, दिनांक 17.02.2009 द्वारा स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जबकि बगहा-2 प्रखंड में स्टेडियम निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण से प्रस्ताव की मांग की गयी है । प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा ।

श्री राघव शरण पांडेय : महोदय, क्या सरकार को मालूम है कि 19 जनवरी, 2009 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया था, जिसका फोटो मेरे पास उपलब्ध है, उसे मैं सदन के पटल पर रखना चाहूंगा । इसमें लिखा हुआ है कि श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के कर कमलों द्वारा मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत विमल बाबू के मैदान बगहा-2 में 400 मीटर ट्रैकयुक्त स्टेडियम निर्माण कार्य- प्राक्कलित राशि-48,25,000/-, यह लिखा हुआ है । लेकिन अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि जिला पदाधिकारी से जगह के बारे में सूचना मांगी गयी है तो सात साल पहले मुख्यमंत्री जी खुद शिलान्यास करते हैं और सात साल बाद जिलाधिकारी से उस जगह के बारे में सूचना मांगी जा रही है, इसपर क्या सरकार स्पष्टीकरण देगी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य के प्रश्न के आलोक में आपने बताया कि बगहा-1 में 2009 में स्वीकृति हुई थी और निर्माण कार्य पूरा हो गया है। लेकिन बगहा-2 में अभी प्रस्ताव मांगा गया है। माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं कि बगहा-2 में किसी जगह माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास कराया गया था, उसकी सूचना लेकर इसको देखवा लिजिए।

श्री शिवचन्द्र राम : महोदय, हम देखवा लेंगे।

श्री राघव शरण पांडेय : महोदय, बगहा-1 की भी जानकारी जो मंत्री महोदय ने दी है, वह बिल्कुल सही नहीं है। बगहा-1 की सूचना यह है कि वर्ष 2009 में कुछ राशि खर्च की गयी थी, एक बिल्डिंग वहां पर बना हुआ है लेकिन स्टेडियम के नाम पर और कुछ नहीं है। इसका फोटो मैं भेज सकता हूँ।

अध्यक्ष : वह दोनों आप देखवा लिजिए, जांच करा लीजिए।

तारांकित प्रश्न सं0-2034(श्री मुन्द्रिका सिंह यादव)

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है।

2- स्वीकारात्मक है।

3- आंगनवाड़ी सेविका का पद मानदेय आधारित है एवं वह सरकारीकर्म के श्रेणी में नहीं आती है, अतएव प्रश्नगत महिला के पुत्र की अनुकम्पा के आधार पर नियमानुसार नियुक्ति नहीं की जा सकती है। समाज कल्याण विभाग के संकल्प संख्या-666 दिनांक 22.08.2015 के द्वारा आंगनवाड़ी सेविका की सेवावधि में मृत्यु होने के उपरान्त उनके निकटतम आश्रित को 4 लाख अनुग्रह अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। आई0सी0डी0सी0 निदेशालय के पत्रांक 852 दिनांक 19.03.2016 के द्वारा आवंटित 4 लाख रूपया राशि की निकासी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा कर ली गयी है। जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक 332 दिनांक 28.03.2016 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मृत आंगनवाड़ी सेविका स्वर्गीय मुस्तरी खानम के आश्रित मो0 सफीरउद्दीन को एक सप्ताह के अन्दर उक्त राशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष : मुन्द्रिका बाबू, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बातें कही हैं, लेकिन आपका जो प्रश्न है, उससे उसका संबंध नहीं था। उसके संबंध में केवल एक ही बात उन्होंने कही है कि अनुकम्पा पर नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, इसलिए उसके संबंध में ही पूरक पूछियेगा।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : महोदय, माननीय मंत्री खुद महिला हैं और एक महिला अल्पसंख्यक समाज की हैं। मैं खुद गया था एक्सीडेंट के बाद उनके घर पर, वही

महिला थी जो कि पूरे परिवार का भरण-पोषण करती थी तो क्या माननीय मंत्री जी विशेष परिस्थिति में इस महिला के स्थान पर उनके जो लड़के हैं, उनकी नियुक्ति की व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा : महोदय, यह पद मानदेय आधारित है, इस पद पर अनुकम्पा के आधार पर नौकरी नहीं दी जा सकती है और हमारा विभाग उन्हें चार लाख रूपया जो अनुग्रह अनुदान मिलता है, वह दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, आगे आप यह क्यों कह रही हैं, चार लाख रूपया का तो भुगतान हो चुका है, जो देय है और अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, सरकार यही कह रही है ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : नहीं महोदय, विशेष परिस्थिति में मांग कर रहा हूँ !

अध्यक्ष : आप अनुरोध कर रहे हैं तो ठीक है ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : कुछ बोलें भी तो मंत्री महोदय, विशेष परिस्थिति में सरकार से अर्ज है, सामाजिक न्याय की सरकार है और सरकार को विशेष परिस्थिति में इसपर विचार करना चाहिए ।

तारांकित प्रश्न सं०-2035(डॉ० रविन्द्र यादव)

श्री अशोक चौधरी : महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

बिहार शिक्षा परियोजना के तहत समावेशी शिक्षा प्रभाग, अंतर्गत जिला स्तर पर कुल 1335 संसाधन शिक्षक, पुनर्वास विशेषज्ञ एवं प्रखंड साधन सेवी कार्यरत है ।

2- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

कार्यरत संसाधन शिक्षक पुनर्वास विशेषज्ञ एवं प्रखंड साधन सेवी, भारत सरकार के भारतीय पुनर्वास परिषद् से निर्बंधित है ।

3- बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् स्तर से 1335 कार्यरत संसाधन शिक्षक, पुनर्वास विशेषज्ञ एवं प्रखंड साधन सेवी को नियमित किया जाना संभव नहीं है चूंकि इनके पद कार्यक्रम आधारित लघु संविदा पर हैं, इनकी संविदा भारत सरकार के बजट अनुमोदन के आलोक में विस्तारित की जानी है ।

डॉ० रविन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, कितने बच्चे ऐसे चिंहित किये गये हैं और उसकी क्या प्रक्रिया है और यह कब हुआ है ? इसका चिंहिकरण कब आपने कराया है, यह मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ ?

अध्यक्ष : आप क्या पूछ रहे हैं ?

डॉ० रविन्द्र यादव : कितने बच्चे निःशक्त हैं और इनको चिंहित करने की प्रक्रिया क्या है ?

श्री अशोक चौधरी : महोदय, यह सप्लमेंटरी इनके प्रश्न से रिलेटेड नहीं है । आप हमसे पूछ रहे हैं कि बच्चों को पढ़ानेवाले कितने हैं और अब आप पूछ रहे हैं कि बच्चे कितने हैं, आप स्पेशल प्रश्न पूछियेगा तो हम स्पेशल उत्तर देंगे ।

डॉ० रविन्द्र यादव : यह प्रश्न भी इसी से संबंधित है, इन्हीं बच्चों से ।

अध्यक्ष : आपका प्रश्न जो है, मूल रूप से संसाधन शिक्षकों की सेवा के नियमितीकरण से संबंधित है, आप उसके संबंध में पूरक पूछिए ।

डॉ० रविन्द्र यादव : उसी से संबंधित है महोदय ।

अध्यक्ष : आपका प्रश्न शिक्षकों के बारे में है । प्रश्न आपके पास नहीं है क्या ? अंत में आपने प्रश्न के खंड-3 में यही पूछा है कि यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के अनुबंधकर्मियों को स्थायी करने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है, उसी प्रकार 1350 संसाधन शिक्षकों को नियमित करने पर सरकार विचार करना चाहती है । आपका प्रश्न यही है और सरकार ने इसके संबंध में बताया है । अब आपका पूरक क्या है, वह बताइए ।

डॉ० रविन्द्र यादव : महोदय, पूरक यही है कि ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से निःशक्त हैं, दृष्टिहीन हैं, श्रवणविहीन हैं, ऐसे बच्चों के प्रति सरकार चिंतित रहे और इनकी पहचान करने की प्रक्रिया बढ़े और ऐसे लोगों के लिए सरकार व्यवस्था करे ताकि अच्छी व्यवस्था बिहार में हो सके ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्नसं०-2036(डॉ० शकील अहमद खॉ)

श्री अशोक चौधरी : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि +2 विद्यालयों में नियमित वेतनमान में नियुक्त व्याख्याता माध्यमिक विद्यालयों में नियमित वेतनमान के शिक्षकों से वरीय होते हैं । साथ-ही +2 विद्यालयों में नियोजित शिक्षक, माध्यमिक विद्यालयों में नियमित वेतनमान के शिक्षकों से कनीय होते हैं

2- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय ज्ञापांक 5379 दिनांक 07.07.2008 एवं पत्रांक 450 दिनांक 25.03.14 द्वारा निर्गत पत्र में निहित प्रावधान के अनुसार नियमान्तर्गत राजकीयकृत उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में विद्यालय विशेष के शिक्षकों में से प्रमंडलीय वरीयता सूची में निर्धारित वरीयता के अनुसार ही प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जाता है, नियमित वेतनमान के शिक्षकों की अनुपलब्धता की स्थिति में

नियोजित शिक्षकों के आपसी वरीयता के आधार पर प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जाता है ।

3- उत्तर उपर के खंड में सन्निहित है ।

टर्न-5/शंभु/29.03.16

डा० शकील अहमद खां : महोदय, इनका मामला बिहार में बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप जानते हैं और एडोकेज्म से अगर इसका काम चलायेंगे- नंबर ऑफ मिडिल स्कूल और प्री-मिडिल स्कूल के टीचर आपके पास हैं, लेकिन हाईस्कूल के टीचर्स की तायदाद बिहार में बहुत कम है और यह एडोकेज्म तभी खत्म हो पायेगा जब नंबर ऑफ हाईस्कूल के टीचर्स का एप्वाइंटमेंट आप जितना जल्दी करवायेंगे उतना जल्दी शिक्षा को आप ठीक करवायेंगे। यही मेरे कहने का मतलब था, धन्यवाद।

तारांकित प्रश्न सं०-2037/श्री रमेश ऋषिदेव

श्री अशोक चौधरी : राज्य योजना अन्तर्गत शिक्षा विभाग में चहारदीवारी निर्माण की कोई विशिष्ट योजना नहीं है।

श्री रमेश ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, ये बहुत पुराने विद्यालय हैं और एक साल पूर्व विद्यालय में चोरी हो गयी, कंप्यूटर की चोरी हुई और जिम के सामान की चोरी हुई है। इसलिए माननीय मंत्री से आग्रह करेंगे कि प्राथमिकता के आधार पर इस विद्यालय का काम करें।

तारांकित प्रश्न सं०-2038/श्री ललन पासवान

श्री अशोक चौधरी : 1- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

2- राज्य सरकार की वर्तमान नीति के तहत राज्य के उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित किये जाने की योजना है जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं हैं। कैमूर जिला अन्तर्गत प्रखंडवार डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की कोई योजना राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

श्री ललन पासवान : महोदय, कैमूर में एक महाविद्यालय है उसके बाद रामपुर में एक प्राइवेट महाविद्यालय है। कैमूर के बाद एक महाविद्यालय चैनपुर और चांद और अधौरा की दूरी 70 कि०मी० है, पहाड़ पर अवस्थित बसा हुआ है, 11 पंचायत है और चैनपुर

और चांद, 1 विद्यालय हाटा में है और एक चैनपुर में मतलब तीन चार ब्लॉक में कोई भी कॉलेज नहीं है और भभुआ की दूरी हमने वहां से कहा 55-60 कि०मी० है अधौरा की, जहां पीने का पानी और सड़क है ही नहीं।

अध्यक्ष : उसी के बारे में सरकार ने कहा है कि प्रखंड में महाविद्यालय या आपने तो विश्वविद्यालय की भी बात की है, तो वह खोलने की योजना नहीं है।

श्री ललन पासवान : कोई विश्वविद्यालय.....

अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं, पूरक पूछिए। आप पूरक पूछिए न!

श्री ललन पासवान : हम सरकार से आग्रह करते हैं कि 60 से 70 कि०मी० की दूरी है, विशेष परिस्थिति में चैनपुर, चांद और अधौरा जो पहाड़ पर अवस्थित है, वहां विद्यालय सरकार खोलने का विचार रखती है विशेष परिस्थिति में। भभुआ से 70 कि०मी० की दूरी पर कैमूर की पहाड़ियों पर अवस्थित अधौरा है और चैनपुर, चांद की दूरी 60 से 70 कि०मी० की दूरी है। विशेष परिस्थिति में।

श्री अशोक चौधरी : अभी सरकार के नियमानुसार सिर्फ अनुमंडलों में नीतिगत निर्णय है विद्यालय, महाविद्यालय खोलने का, लेकिन जो हमारा जेंडर रेशियो है बढ़ाने के लिए हायर एजुकेशन में, सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हम डिस्टेंस एजुकेशन से वैसे प्रखंड जहां पर विद्यालयों की दूरी, महाविद्यालयों की दूरी दूर है वहां पर हम डिस्टेंस एजुकेशन मोड पर नये सत्र से पढ़ाई शुरू कराना चाहते हैं। जहां पर हमारा प्लस टू का विद्यालय होगा और सक्षम होगा वहां पर हम डिस्टेंस एजुकेशन मोड पर पढ़ाई शुरू कराने का प्लान कर रहे हैं।

तारांकित प्रश्न सं०-2039/श्री उमेश सिंह कुशवाहा

श्री संतोष कुमार निराला : महोदय, 1-स्वीकारात्मक है। विभागीय पत्रांक 3242, दिनांक 28.03.16 के द्वारा प्रश्नगत छात्रावास के संबंध में जिला पदाधिकारी, वैशाली से अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गयी है।

2- स्वीकारात्मक है। प्रश्नगत विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है।

3- जिला पदाधिकारी, वैशाली से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर छात्रावास के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने पर विचार किया जायेगा।

तारांकित प्रश्न सं०-2040/श्री भाई वीरेन्द्र

श्री अशोक चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के आलोक में सभी मान्यता प्राप्त सी०बी०एस०सी०, आइ०सी०एस०ई०, आर०टी०ई० विद्यालयों के प्रथम प्रवेश कक्षा में कुल निर्धारित सीटों के 25 प्रतिशत सीटों पर कमजोर एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का नामांकन किया जाना अनिवार्य है, परन्तु अल्पसंख्यक विद्यालय बच्चों की मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की परिधि में नहीं आते हैं। लोयला हाईस्कूल, संत जोसेफ कान्वेंट, संत कैरेंस स्कूल, संत जेवियर हाई स्कूल, डॉन बास्को स्कूल, माउंट कार्मेल स्कूल अल्पसंख्यक विद्यालय की श्रेणी में आते हैं। डी०ए०वी० स्कूल खगौल एवं बी०डी० पब्लिक स्कूल से नामांकन की सूचना प्राप्त है। सी०बी०एस०ई०, आइ०सी०एस०ई०, आइ०टी०ई० से मान्यता प्राप्त वैसे विद्यालय जो बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का अनुपालन नहीं कर रहे हैं उनपर कार्रवाई करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 778, दिनांक 15.02.2016 द्वारा सूची प्राप्त करायी गयी है। निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 334-365, दिनांक 28.03.2016 द्वारा इन विद्यालयों से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात् समीक्षोपरांत नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सही है कि पटना शहर में 50 से अधिक निजी विद्यालय संचालित हैं ? क्या सरकार द्वारा प्रावधान किया गया कि स्कूल में जितने छात्र हैं उसकी क्षमता से 25 प्रतिशत गरीब बच्चों और मेधावी बच्चों का नामांकन करना है, क्या इसका पालन निजी विद्यालय कर रहे हैं या नहीं ?

अध्यक्ष : भाई वीरेन्द्र जी, सरकार ने बताया कि नियम है, केवल अल्पसंख्यक विद्यालय के रूप में जो माइनोरिटी स्कूल्स रजिस्टर्ड हैं वह इस दायरे में नहीं आते हैं तो बाकी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें लागू है और उसके लिए सरकार जाँच करा रही है। आपको भी सूचना है तो दे दीजिए।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, जिसका मैंने मामला उठाया है उन विद्यालयों में भी- मान लीजिए माइनोरिटी का नहीं है, लेकिन जिसमें नामांकन लेना है उसमें भी नामांकन नहीं लिया जा रहा है। सरकार के नियम की धज्जियां उड़ा रहा है यह विद्यालय। इसलिए आपके माध्यम से मैं चाहूंगा, आपसे मेरा विशेष रूप से आग्रह है माननीय अध्यक्ष महोदय कि विधान सभा की कमिटी बनाइये। पहले भी 2000 में अध्यक्ष थे माननीय सदानन्द बाबू उनके नेतृत्व में एक कमिटी बनी थी विधान सभा की, लेकिन कमिटी

का क्या हुआ नहीं हुआ। इसलिए हम चाहेंगे कि कमिटी बनाकर इसकी जाँच करा दें।

अध्यक्ष : अभी तो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसकी जाँच करवा रहे हैं और जिन विद्यालयों की चर्चा आपने प्रश्न में किया है माननीय मंत्री जी से अनुरोध होगा कि इन विद्यालयों के संबंध में विशेष रूप से जाँच करा लीजिए कि वहां आपके नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जो कमिटी बनी थी उसकी जाँच रिपोर्ट आ गयी है, लेकिन उसपर क्या कार्रवाई हुई है यह जानकारी चाहेंगे सरकार से ?

अध्यक्ष : पिछली बार विधान सभा की कोई विशेष समिति अगर बनी थी या उसकी जो अनुशंसाएं आयी थी उसके बारे में सरकार को अभी तो जानकारी है नहीं । उसकी भी जानकारी सरकार ले लेगी और उसके अनुरूप कार्रवाई करेगी।

श्री नितिन नवीन : अध्यक्ष महोदय, जो 25 परसेंट की बात की है उसकी मोनेटरिंग किस स्तर पर की जाती है क्योंकि जो माननीय मंत्री जी ने बताया यह नियम जरूर है, लेकिन जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं वे इसका पालन नहीं करते हैं और इसका मोनेटरिंग किसी स्तर पर नहीं होता है तो मेरा अध्यक्ष जी यह सवाल है कि माननीय मंत्री जी बतायें कि इसकी मोनेटरिंग किस स्तर पर होती है क्योंकि जितने विद्यालय का नाम उन्होंने कहा है उसका मोनेटरिंग रिपोर्ट किस स्तर से आता है ?

श्री अशोक चौधरी : जो प्रावधान है इसमें डी0इ0ओ0 स्तर पर रिपोर्ट आती है उसके बाद जो हमारे माध्यमिक के डायरेक्टर हैं वे करते हैं। हमने अभी बताया है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 334- 365, दिनांक 28.03.2016 द्वारा इन विद्यालयों से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है.....क्रमशः।

टर्न-6/अशोक/29.03.2016

...क्रमशः..

श्री अशोक चौधरी : स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात्, समीक्षोपरान्त नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी ।

यह बात सत्य है कि इन विद्यालयों में जो 25 प्रतिशत गरीब के बच्चों को पढ़ाना है, उसमें नियम के अनुसार कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन सरकार बनने के बाद मैट्रिक और इन्टरमिडियेट की परीक्षा थी, उसमें सब लोग इनभौल्ड थे, परीक्षा खत्म हुई है जैसे ही रिजल्ट आता है, इस पर सरकार पूरी तरह से.... (व्यवधान) सरकार की बात तो सुनिये, प्रश्न का जवाब देने दीजिए न, जवाब देने

दीजिए न, पूरी तरह से सरकार इस विषय पर संवेदनशील है, सरकार चाहती है कि पूरी तरह से शिक्षा का जो अधिकार है, कानून का पालन हो और पूरी सख्ती से हमलोग इसका अनुपालन करायेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक ।

श्री नितिन नवीन : मैंने पहले बताया था कि कमिटी की रिपोर्ट आई थी, उस कमिटी की रिपोर्ट को...

अध्यक्ष : नितिन नवीन जी, अभी तो माननीय सदस्य ने कमिटी के बारे में सूचना दी है, अब उस कमिटी ने रिपोर्ट तैयार की थी, नहीं की थी,,,,,,

श्री नितिन नवीन : कमिटी की रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट पटल पर रखी गई थी महोदय...

अध्यक्ष : कब रखी गई ? आपको सूचना है तो बताइये ।

श्री नितिन नवीन : 2010-15 के बीच में ।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी दे दूँ, स्वर्गीय नवीन जी की अध्यक्षता में समिति बनी थी और उनका प्रतिवदेन भी सदन में है ।

अध्यक्ष : माननीय सदानन्द बाबू जो कह रहे हैं, हमने कह ही दिया है कि सरकार उस रिपोर्ट को भी देख लेगी अगर सदन में रखा गया है तो स्वभाविक रूप में सरकार को गया है ।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमको लगता है, जैसा वे बता रहे हैं, शायद पहले की रिपोर्ट के बारे में वे कह रहे हैं । शिक्षा के अधिकार कानून के अन्तर्गत निजी स्कूलों का नामांकन कराना, उसके संबंध में प्रश्न है- यह बहुत ही गंभीर मसला है, इसके बारे में विस्तृत जांच करके, इस विषय में सख्ती से इस कानून को लागू करने का पूरा-का-पूरा प्रयास किया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2041(श्री विनय बिहारी)

श्री अशोक चौधरी : 1-वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिम चम्पारण जिला के योगापट्टी प्रखण्ड के डुमरी गांव में आवासीय कस्तूरबा गांधी अनुसूचित विद्यालय नहीं है, बल्कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है । इस विद्यालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अल्पसंख्यक कोटि के 75 प्रतिशत बालिकायें एवं गरीबी रेखा से नीचे के सामान्य कोटि के 25 प्रतिशत बालिकाओं के नामांकन का प्रावधान है । इस छात्रावास में अद्यतन चोरी की घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है । इस छात्रावास में दो तरफ से चहारदीवारी पूर्ण एवं दोनों तरफ से चहारदीवारी का निर्माण कार्य प्रारम्भ है ।

2- वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में चहारदीवारी निर्माण हेतु राशि निर्गत की गई है । उक्त विद्यालय के

भूमि को सुरक्षित/अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, योगापट्टी द्वारा अंचलाधिकारी, योगापट्टी को पत्राचार किया गया है । सीमांकन/अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए चहारदीवारी का निर्माण कार्य दिनांक 30.06.2016 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया है ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, जो सूचनायें मिली है अधिकारिक तौर पर, ये सरासर गलत है, यह सत्य है कि एक तरफ से उसका बाउन्ड्री वॉल है, लेकिन बाउन्ड्री वॉल इतना नीचा है और नीचे से भी छेद है, मतलब इतना छेद है कि उसमें कुत्ता, सियार जंगली जानवर बैठा रहता है.....

अध्यक्ष : उन्होंने तो अंत में कहा है कि जून, 2016 तक सरकार उसको पूरा करायेगी ।

श्री विनय बिहारी : महोदय, छः साल से बन रहा है और अभी तक बना नहीं और अतिक्रमण मुक्त भी नहीं हुआ, अतिक्रमण ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है और चोरी की बात कह रहे हैं- तो कोई लड़की अपने कपड़ा की चोरी की घटना थाने में थोड़े ही लिखवाने जायेगी, लड़कियां कपड़ा सुखाने बाहर आती हैं और वहां से उसके कपड़े गायब हो जाते हैं, तो छोटी-छोटी सूचना, फ्रॉक गायब हो गया, सलवार गायब हो गया ते ये सब थोड़े थाने में जाकर लिखवायेगी ? तो मेरा अनुरोध है कि इतने सालों से चल रहा है यह कार्यक्रम पर हो नहीं रहा है, 100 बच्चियां हैं उसमें और उन बच्चियों की सुरक्षा से संबंधित सवाल मैं कह रहा हूँ तो जो सवाल का उत्तर जिला से आया है, हमारे घर से दो-तीन कि.मी. पर यह स्कूल है, इसलिए सरासर गलत सूचना आपको प्राप्त हुई हैं और मैं यह चहता हूँ, मैं उन सूचनाओं पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपके माध्यम से यह चाहता हूँ कि एक समय सीमा सुनिश्चित कर दी जाय ।

अध्यक्ष : आप उत्तर सुने ही नहीं । जून, 2016 आपको शुरू में ही बताये हैं कि जून, 2016 तक इसको पूरा कराना चाहते हैं ।

श्री विनय बिहारी : महोदय, लेकिन सूचनायें तो गलत हैं कि दो तरफ बाउन्ड्री वॉल है, अतिक्रमण नहीं है, तो बन रहा है- यह तो मैं कितने दिनों से देख रहा हूँ, कई साल से देख रहा हूँ ।

अध्यक्ष : आपने पूरा उत्तर सुना नहीं । उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग सी.ओ. को लिख दिया है, जून तक, इसकी रीश भी उपलब्ध कराई जा रही है और जून, 2016 तक उसको पूरा करने का विचार है ।

श्री विनय बिहारी : महोदय, जून, 2016 तक अगर बन जाता है तो शिक्षा मंत्री जी को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2042(श्री नन्द कुमार राय)

श्री अशोक चौधरी : 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-666 दिनांक 21.03.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोतिपुर द्वारा शिक्षकों का प्रतिनियोजन पंचायत चुनाव, 2016 से संबंधित कार्यों के सम्पादन हेतु किया गया है।

3-इस कंडिका का उत्तर उपर की कंडिका में सन्निहित है ।

श्री नन्द कुमार राय : महोदय, तीन वर्ष से लगातार, गलत तरीका से समायोजन कराकर वहां पर हैं, इसकी जांच कराकर इसका निदान करा दिया जाय ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2043 (श्री विनय बिहारी)

श्री अशोक चौधरी : 1. उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुतः पश्चिमी चम्पारण जिले में भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय में अंगीभूत/संबद्ध कुल 07 डिग्री महाविद्यालय संचालित है ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि भूमि के ब्योरा के संबंध में आधिकारिक आँकड़े विभाग में उपलब्ध नहीं है ।

3. राज्य सरकार के वर्तमान नीति के तहत सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोलने की योजना है जहाँ पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है । इन्हीं योजना के तहत पश्चिम चंपारण जिले के बगहा अनुमंडल में सरकारी डिग्री महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । श्री वैद्यनाथ प्रसाद इंटर महाविद्यालय में डिग्री महाविद्यालय खुलवाने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री विनय बिहारी : महोदय, सदन में इसलिए इस बात को रखा हूँ कि इस तरह की योजनायें सिनेमा हॉल में नहीं बनती है, सदन के अन्दर ही बनती है और जो सूचना सदन में अभी बताई जा रही है, सात ऐसे महाविद्यालय हैं- हमारी जानकारी है कि तीन महाविद्यालय है, महारानी जानकी कुँअर, राम लखन सिंह यादव कॉलेज और टी0बी0 वर्मा कॉलेज, नरकटियागंज । बगहा में एक स्वीकृति के रूप में है जिसके लिए मैंने प्रश्न में चार लिखा है, सात तो है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ छात्राओं की शिक्षा पर सरकार का इतना ध्यान है- साईकिल योजना, और सब योजनायें दी जा रही हैं.....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये न !

श्री विनय बिहारी : मेरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या ऐसी छात्राओं के लिए, जिस विद्यालय में लगभग 50 एकड़ से ज्यादा जमीन है, पूरे बिहार में ऐसा कोई हाई स्कूल नहीं है,

जिसके पास इतनी जमीन हो ? तो मेरा कहना है कि मैट्रिक के बाद छात्रायें बैठ जाती है घर पर, पढ़ाई नहीं करती हैं, क्या उनके लिए, छात्राओं के लिए ही सही, इस तरह का महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज खोलने के लिए सरकार चाहती है या नहीं ?

अध्यक्ष : कह दिये कि विचार नहीं है ।

श्री विनय बिहारी : लेकिन विचार कहां बनेगा सर, विचार यहीं सदन में न बनता है.....

अध्यक्ष : आप अनुरोध कर दीजिए, विचार करने के लिए ।

श्री विनय बिहारी : इसका मतलब सरकार लड़कियों को शिक्षित नहीं करना चाहती है, आगे नहीं पढ़ाना चाहती है, डिग्री कॉलेज तक की पढ़ाई नहीं देना चाहती है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2044(श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी)

श्री अब्दुल जलील मस्तान : 1. उत्तर अस्वीकारात्मक है । सिकन्दरा से जमुई निबंधन कार्यालय की दूरी मात्र 22 मि.मी. है । सड़क काफी अच्छी है एवं यातायात की अच्छी सुविधा है, 30 से 35 मिनट में यह दूरी तय की जा सकती है तथा रजिस्ट्री कराये जाने हेतु आम जनता को कोई कठिनाई नहीं होती है । नया निबंधन कार्यालय खोले जाने हेतु वित्त विभाग की सहमति से शर्तों का निर्धारण किया जाता है जिसके अन्तर्गत प्रति वर्ष औसतन आठ हजार दस्तावेजों का निबंधन तथा औसतन आय चार करोड़ रूपया होना अनिवार्य है । समाहर्ता-सह-जिला निबंधक, जमुई से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन के आधार पर सिकन्दरा एवं इस्लामनगर अलीगंज प्रखण्ड मिला कर वित्तीय वर्ष 2013-13, 2014-15 एवं 2015-16 में क्रमशः दस्तावेज 2671, 2633, 2753 तथा आय 3,19,19,753, 3,33,92,308 एवं 3,64,69,878 रूपया है, जो निर्धारित शर्तों से कम है। अतः सिकन्दरा प्रखण्ड में नया निबंधन कार्यालय खोले जाने हेतु विभाग के पास कोई मामला विचाराधीन नहीं है ।

टर्न-07-29-03-2016-ज्योति

श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री जी बता रहे हैं वह सही है लेकिन सिकन्दरा से गांव की दूरी काफी होने के कारण लोग वहाँ तक पहुंचते हैं और रजिस्ट्री ऑफिस जब आते हैं, बैंक में चलान कटता है तो काफी उनका समय बर्बाद होता है इसलिए आम जनता की सुविधा के लिए सिकन्दरा में या अलीगंज में दोनों प्रखण्ड में खोला जा सकता है जो कि नवादा बोर्डर पर पड़ता है

अलीगंज और वहाँ से जमुई रजिस्ट्री कार्यालय 60 कि०मी० पड़ता है इसलिए वहाँ अगर खुलता है तो आम जनता को सुविधा होगी ।

ताराकित प्रश्न संख्या 2045 (श्री सरोज यादव)

श्री अशोक चौधरी : 1- उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि चरवाहा विद्यालय में 7 शिक्षक पदस्थापित हैं एवं सातो (7) शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय आते हैं ।

2- वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 27-02-2016 के निरीक्षण के क्रम में श्री मंजय कुमार सिंह, प्रखंड शिक्षक उपस्थित पाए गए हैं ।

3- वर्तमान में विद्यालय में छात्र के अनुपात में शिक्षक पदस्थापित हैं । अतिरिक्त शिक्षक की आवश्यकता नहीं है । यदि जांचोपरान्त श्री मंजय कुमार सिंह संवेदक के रूप में कार्य करते पाए गए तो उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायगी ।

श्री सरोज यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो मंजय कुमार सिंह हैं वहाँ सात शिक्षक उपस्थित हैं मगर हमेशा उस स्कूल में दो ही शिक्षक उपस्थित मिलते हैं । मंजय कुमार सिंह उस स्कूल में पढ़ाने कभी नहीं जाते हैं। 15 दिन पर एक बार अटेंडेंस बनाने के लिए जाते हैं । अटेंडेंस बनाने के बाद वे अपने पत्नी के नाम पर ठीकेदारी कराते हैं । वह कभी भी स्कूल में पढ़ाने नहीं जाते हैं और दूसरी बात मेरे जिले का मामला है, एक शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है । माननीय अध्यक्ष महोदय , के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को एक सूचना देना चाहता हूँ जिसका साक्ष्य मेरे पास है और वह यह है कि 2003 से जो नियोजन इकाई के माध्यम से शिक्षक की बहाली ली जाती थी , वह नियोजन इकाई बहाली करने के बाद जो जगह खाली रही उस जगह पर आज तक वहाँ के डी०ई०ओ० और बी०ई०ओ० के माध्यम से शिक्षकों का नियोजन किया जा रहा है और फर्जी तरीके से एकाउंट खोल कर और पैसे की निकासी की जा रही है जो कि मेरे पास एक लेटर भी है, जो नियोजन इकाई का लेटर निकला हुआ है और उस लेटर के माध्यम से 22 शिक्षकों का नियोजन निकला हुआ है और उसमें 56 शिक्षक का अभी 2015 तक प-फिक्सेशन का लिस्ट जारी हुआ और एक एक शिक्षक से 1 लाख 72 हजार और ढाई लाख रुपया सरकार का गबन किया जा रहा है । सरकार का गबन किया जा रहा है, सरकार को अंधेरा में रखा गया है । भोजपुर डी०ई०ओ० के माध्यम से जिसका साक्ष्य के रूप में लेटर है, मेरे पास स्टेटमेंट है , बैंक का स्टेटमेंट भी हम लेकर आए हैं अगर आपकी अनुमति हो तो मैं सदन के पटल पर रख दूँगा ।

अध्यक्ष : ठीक है, माननीय सदस्य, आप वह सारी सूचना, सारे कागजात माननीय मंत्री को उपलब्ध करा दीजिये , मंत्री जी देखवा लेंगे , जाँच करवा देंगे ।

श्री सरोज यादव : जी ।

अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाय ।

सूचना

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, पुलिस अधीक्षक, नालन्दा के फ़ैक्स संवाद संख्या 907/गो0 दिनांक 27-03-2016 के माध्यम से श्री राजबल्लभ प्रसाद, स0वि0स0, क्षेत्र संख्या- 237 नवादा को महिला थाना कांड संख्या -15/16 दिनांक 09-02-2016 धारा -376/366(ए), 370/370(ए)/212/420/120(बी) भा0द0वि0 एवं 4/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act 2012) तथा 4/5/6 अनैतिक व्यापार अधिनियम में दिनांक 10-03-2016 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में रखने की सूचना प्राप्त हुई है ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 29 मार्च, 2016 के लिये निम्न माननीय सदस्यों से कुल सात कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :

1- माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह, श्री मिथिलेश तिवारी, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विद्या सागर केशरी, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री विजय कुमार खेमका एवं श्री नीरज कुमार सिंह ।

आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को सदन में विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद तथा मतदान होने का कार्यक्रम निर्धारित है । कार्य स्थगन प्रस्ताव में जिन विषयों को उठाने की सूचना दी गयी है, उसके संबंध में पहले भी विचार हुआ है या इसपर आगे भी समय निर्धारित है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-99 (1) के (ii) एवं (iii) के तहत उपर्युक्त सभी कार्य-स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण अमान्य किया जाता है ।

शून्यकाल

श्री प्रेम कुमार : महोदय, माननीय मंत्री श्री अब्दुल गफ़ूर एक विधायक के साथ जेल में मिलने गए थे और इसपर सरकार ने कार्रवाई की । जेल अधीक्षक को बर्खास्त किया गया , जेलर पर कार्रवाई की गयी लेकिन माननीय मंत्री पर कार्रवाई नहीं की गयी । इन लोगों ने कानून को हाथ में लेने का काम किया , हम आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अब्दुल गफ़ूर जो माननीय मंत्री हैं उनकी बर्खास्तगी हो और साथ साथ जो विधायक हैं उनपर भी कानूनी कार्रवाई दर्ज हो ।

अध्यक्ष : शून्यकाल । श्री राणा रणधीर । श्री राणा रणधीर ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर भाजपा के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए सदन के वेल में आ गये)

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम : डी0 वंद्योपाध्याय भूमि सुधार आयोग के अनुसार बिहार में 21.80 लाख एकड़ अतिरिक्त जमीन है और 17 लाख भूमिहीन परिवार है । इन सभी परिवारों को एक एक एकड़ कृषि भूमि तथा 10 डिसमील वासगीत जमीन देने की मांग करता हूँ।

श्री महबूब आलम : भयावह अग्निकांड से 25 मार्च की रात्रि में कटिहार जिलान्तर्गत आमदाबाद प्रखंड के झब्बूटोला, घेरागांव के 350 घर जलकर राख हो गए, अभी तक समुचित राहत का प्रबंध नहीं किया गया । सभी पीड़ितों को दो दो लाख रुपये व इंदिरा आवास अविलंब उपलब्ध कराया जाय ।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर विधान सभा क्षेत्र में पुनपुन नदी में पानी सूख जाने से पुनपुन किनारे बसे गांवों में भूजल स्तर नीचे चला गया है जिससे सभी चापाकल बंद हो गए हैं । पेयजल का घोर संकट उत्पन्न हो गया है । जनता त्राहिमाम है । सरकार संकटग्रस्त गांवों में जलापूर्ति करावे ।

श्री समीर कुमार महासेठ : मधुबनी शहर के मध्य में खादी ग्रामोद्योग, मधुबनी के पूर्व से 200 बने कमरों में से 100 कमरे देख रेख के अभाव में जीर्ण शीर्ण हो गए हैं । कुछ अतिक्रमित हो चुके हैं । अतिक्रमण जारी है । अतः जीर्णोद्धार एवं अतिक्रमणमुक्ति हेतु मांग करता हूँ ।

श्री सुबोध राय : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा विगत 09-03-2016 को भागलपुर जिलान्तर्गत सुल्तानगंज में गंगा नदी पर पुल निर्माण का कार्यारम्भ के समय महती सभा में सुल्तानगंज मुरारका कॉलेज मैदान में स्टेडियम निर्माण की घोषणा की गयी थी, जो अभी तक अकार्यान्वित है । मैं सरकार से मांग करता हूँ कि मुख्यमंत्री के उपरोक्त घोषणा का शीघ्र कार्यान्वयन किया जाय ।

टर्न-8/विजय/29.03.16

डॉ0 विनोद प्रसाद यादव: गया जिला अन्तर्गत शेरघाटी प्रखंड में प्रोजेक्ट कन्या प्लस टू इन्टर विद्यालय में नामांकित छात्राओं की संख्या लगभग तीन हजार है ।

प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में मात्र 6 कमरा है छात्राओं को पढ़ाई में काफी कठिनाई होती है । सरकार से अतिरिक्त वर्ग कक्षा निर्माण कराने की मांग करता हूँ।

श्री अशोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, निर्भय विश्वकर्मा (उम्र-15 वर्ष), पिता श्री संजय विश्वकर्मा, ग्राम-खैरी, थाना-कसमा, जिला-औरंगाबाद की मृत्यु भीषण सड़क दुर्घटना में 18.3.2016 को गया मिलिट्री कैम्प के पास हो गयी है। साथ ही संजय विश्वकर्मा गंभीर रूप से घायल है। मृतक को मुआवजा एवं घायल के इलाज हेतु मांग करता हूँ।

श्री प्रहलाद यादव: लक्खीसराय जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 2922 चापाकल स्थायी रूप से खराब है। मरम्मत के अभाव में पेयजल का संकट है, भूमि जल स्तर के गिरावट से चापाकल में पानी देना बंद हो गया है।

अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि जनहित में शीघ्र मरम्मती कराया जाय।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव: जहानाबाद जिला के रतनी फरीदपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निर्माण नहीं होने से सरकारी कार्यों को संपादित करने में कठिनाई होती है।

अतः इस गंभीर विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रश्नाधीन भवन निर्माण की मांग करता हूँ।

श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा: औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर अनुमंडल में बिजली विभाग का कार्यालय दाउदपुर से लगभग तीन किलोमीटर दूर तरारी ग्राम में चलता है। दो वर्ष पूर्व बिजली विभाग के कर्मचारी रुपये लेकर बैंक जाने के क्रम में लूट लिया गया था।

इस गंभीर विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रश्नाधीन वित्तीय लेन देन का काउंटर दाउदनगर मुख्यालय में खोलने की मांग करता हूँ।

श्री मो० नेमातुल्लाह: गोपालगंज जिलान्तर्गत मांझा प्रखंड के पीपरहया धोबी टोला से हजारी टोला होते हुए कहला विशुनपुरा बाजार तक जाने वाली सड़क तक जाने वाली सड़क की स्थिति अत्यंत ही जीर्णशीर्ण अवस्था में है फलतः बरसात में इस सड़क से आवागमन ठप हो जाता है।

अतः शून्यकाल के माध्यम से उपर्युक्त सड़कों के निर्माण की मांग करता हूँ।

श्री ललन पासवान: रोहतास जिला अन्तर्गत रोहतास प्रखंड के रोहतासगढ़ पंचायत के कोड़ियारी मध्य विद्यालय में आदिवासी छात्र-छात्राओं की संख्या लगभग एक हजार है। वहां मात्र एक शिक्षक हैं।

सरकार से मांग करते हैं कि कोड़ियारी मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्कृष्ट कर दस शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र की जाय।

श्री मो० नवाज आलम: भोजपुर जिला आरा के सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड और महिला वार्ड की स्थिति काफी खराब है। महिला वार्ड (प्रसव विभाग) नर्सों के सहारे चल रहा है। महिला डाक्टर रात में ड्यूटी पर नहीं रहती हैं। जेनरेटर सहित अविलंब सदर अस्पताल की व्यवस्था में सुधार करते हुए दोषी पर कार्रवाई की जाय।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव: नालंदा जिला अन्तर्गत दनियावां हिलसा पथ के बीच दीयावां से वेरथू जाने वाली पथ को ग्रामीण कार्य से पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहित किया है जिसकी हालत जर्जर है अतः इस पथ को जनहित में अविलंब बनाने की सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री सरोज यादव: भोजपुर जिला के बड़हरा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत बसमनपुर पीपरा गांव के पास नदी में बन रहे पुल के निर्माण कार्य में भारी अनियमितता हो रही है ।
अतः सरकार तत्काल जांच करावे ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

श्री सुदामा प्रसाद, श्री सत्यदेव राम एवं श्री महबूब आलम, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य

अध्यक्ष: सूचना पढ़ी गई है । माननीय मंत्री, राजस्व विभाग ।

श्री (डॉ०)मदन मोहन झा: महोदय, ध्यानाकर्षण सूचना अन्तर्गत वर्णित भूमि संबंधी विभिन्न कागजातों की जांच किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है । इसके अलावे स्थल जांच की भी आवश्यकता है । अतः एक विभागीय जांच दल गठित कर तीन माह में पूरे विषय वस्तु की जांच करायी जाएगी । साथ ही जांच प्रतिवेदन के गुण-दोष के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाएगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: मंत्री जी जांच करायेंगे । वह आप दे दीजियेगा, जांच कराकर कार्रवाई करायेंगे ।

सर्वश्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव, सुरेन्द्र कुमार एवं अन्य दो सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (स्वास्थ्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव: मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मुसही प्रखंड के उमानगर में स्थित श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में करोड़ों की लागत से मशीन का क्रय किया गया था। कुछ माह कार्य करने के उपरांत वे सभी मशीन बंद पड़े हैं, जिससे आमजन को आसपास के निजी क्लिनिक में अत्यधिक आर्थिक दोहन का शिकार होना पड़ रहा है ।

अतः श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में बंद पड़े मशीन को यथाशीघ्र ठीक कराकर ईलाज की समुचित व्यवस्था बहाल करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।

श्री श्रवण कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर में पी0जी0 कोर्स की पढ़ाई शुरू करने तथा नामांकन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार से आधारभूत संरचना एवं मशीन उपकरणों के लिए कुल छः करोड़ अस्सी लाख रूपया प्राप्त हुआ था । इसमें से तीन करोड़ एकसठ लाख रूपया मशीन उपकरणों के लिए था । इस राशि से बासठ छोटे बड़े मशीन खरीदे गये, जिसमें से डायलिसिस मशीन को छोड़कर शेष सभी मशीन काम कर रहे हैं । वर्तमान में तकनीकी कमी नहीं रहने के कारण डायलिसिस मशीन काम नहीं कर रहा है । इस कमी को जल्द दूर कर लिया जायेगा ।

संस्थान में वर्ष 2006-07 में सी0टी0 स्कैन मशीन भी लगाया गया था, जो जून, 2015 से खराब है एवं अब मरम्मत के योग्य नहीं है । अन्य मेडिकल कॉलेजों की भांति यहां भी पी0पी0पी0 मोड पर सी0टी0 स्कैन के साथ साथ एम0आर0आइ0 मशीन लगाने की दिशा में काम हो रहा है ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव: अध्यक्ष महोदय, मेडिकल कॉलेज में अधिकतर गरीब मरीज जाते हैं । और वहां जो प्राइवेट में जो क्लीनिक चलाते हैं वही वहां के टेक्निशियन होते हैं । वे थोड़ा दिन चलाकर मशीन को खराब कर देते हैं और फिर गरीब लोगों का आर्थिक दोहन होता है । आस पास में भी कई नर्सिंग होम खुल गया है । मेडिकल कॉलेज का ज्यादातर एसेसरीज है जैसे आर्टिफोरसेप से लेकर यहां तक कि ब्वालर मशीन तक लोग निजी क्लीनिक में ले जा रहे हैं । मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा डेढ़ साल हुए लेप्रोस्कोपी मशीन का उसका अभी तक टेक्निशियन का बहाली नहीं हो पाया जिससे गरीब को आये दिन किडनी की खराबी, लीवर की खराबी से ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है हजारों रूपये प्राइवेट में दोहन होता है ।

क्रमशः

टर्न-9/राजेश/29.3.16

...क्रमशः...

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव:- दूसरा जो है टी0एम0टी0 मशीन जो हॉर्ट का है, वह भी खराब पड़ा हुआ है, उसके बाद आपको सिटी स्कैन मशीन, मेडिकल कॉलेज का तीन तरफ से एन0एच0 फोर लेन रोड है और आये दिन किसी गरीब का जब एक्सिडेंट होता है, तो सिटी स्कैन में लोगों को दिक्कत होता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि कब तक ये सारी व्यवस्था मेडिकल कॉलेज में सही हो जायगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष:- वे कह रहे हैं कि टेकनिसियन आदि की बहाली करा दीजिये, आप लिखित दे दीजियेगा माननीय मंत्री जी को।

श्री श्रवण कुमार:- महोदय, जल्द से जल्द सरकार कार्रवाई करेगी।

श्रीमती लेशी सिंह, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर
सरकार(शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

श्रीमती लेशी सिंह:- महोदय, पूर्णियाँ जिला प्राचीनतम जिला में से एक है और प्रमण्डल भी है। विश्वविद्यालय मधेपुरा में रहने के कारण सीमांचल के छात्र-छात्राओं को लगभग 150 कि0मी0 से 200 कि0मी0 तक दूरी तय करनी पड़ती है। पूर्णियाँ कॉलेज, पूर्णियाँ में लगभग 350 एकड़ जमीन है तथा भवन भी उपलब्ध है जिसका उपयोग विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु किया जा सकता है। पूर्णियाँ में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा आंदोलन भी किया जा रहा है। यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना छात्रहित में अत्यावश्यक है। (व्यवधान)

अतः जनहित में पूर्णियाँ में विश्वविद्यालय की स्थापना तथा स्थापना होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पूर्णियाँ कॉलेज, पूर्णियाँ में विश्वविद्यालय की शाखा कार्यालय खोलने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करती हूँ।

श्री अशोक चौधरी:- महोदय, राज्य सरकार राज्य में उच्चतर शिक्षा का विकास हेतु कृतसंकल्पित है। संप्रति राज्य में कुल 10 परम्परागत विश्वविद्यालय एवं 260 अंगीभूत महाविद्यालय संचालित हैं। सरकार सर्वप्रथम पूर्व में से संचालित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विकसित करने हेतु प्रयासरत है। राज्य के वैसे अनुमंडल जहाँ पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं हैं, वहाँ राज्य सरकार की वर्तमान नीति के तहत सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित

करने की योजना है। पूर्णियाँ जिलान्तर्गत राज्य संपोषित नये विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

अध्यक्ष:- अभी विचाराधीन नहीं है।

श्रीमती लेशी सिंह:- अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार के विभिन्न प्रमंडलों में यानी जितने प्रमंडल है, खासकर पूर्णिया और मुंगेर को छोड़कर सभी प्रमंडल में विश्वविद्यालय है। महोदय, इतना दूरी पड़ता है बलरामपुर विधान सभा का, बारसोई का इलाका महोदय, काफी दूरी पड़ता है, वही अररिया जिला के नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र जो अररिया जिला का अंश है, वहाँ के छात्र-छात्राओं को भी काफी दिक्कत होती है। अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला का गलगलिया, इस्लामपुर तक यानि बोर्डर तक के छात्र-छात्राओं को काफी दिक्कत होती है। इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूँ और अनुरोध भी करती हूँ कि माननीय मंत्री जिस दल का नेतृत्व करते हैं, उस दल को 2010 में भी चार में से तीन विधायक उस क्षेत्र से जीतकर आये थे और इस बार भी और इससे पहले भी सरकारें जब बनी हैं, तो पूर्णियाँ प्रमंडल के लोगों ने सरकार में बढ़-चढ़कर हिस्सेदारी की है और सरकार बनी है। महोदय, इस नाते भी मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहती हूँ और मांग भी करती हूँ कि वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार पर लोगों का भरोसा है और माननीय मंत्री जी पर भी भरोसा है क्योंकि इनको भी इन इलाके के लोगों ने इनके नेतृत्व एवं इनके दल पर काफी भरोसा किया है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से इसपर पुनर्विचार करने के लिए मांग करती हूँ कि क्या मंत्री जी जिस विश्वविद्यालय की स्थापना पूर्णियाँ प्रमंडल के छात्र-छात्राओं के हित में यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पुनर्विचार करेंगे और पुनर्विचार करने के उपरान्त जब तक विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं होती है, तब तक वहाँ पर शाखा भी खोलने का विचार रखती है क्या ?

(व्यवधान)

श्री अशोक चौधरी:- महोदय, माननीय सदस्या की भावना का हम सम्मान करते हैं लेकिन सरकार के स्तर पर अभी नये विश्वविद्यालय खोलने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है जब सरकार खोलने का विचार करेगी तो मुंगेर और पूर्णियाँ दोनों पर विचार निश्चित रूप से करेगी।

(व्यवधान)

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना ।

अध्यक्ष:- प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग।

श्री श्रवण कुमार:- अध्यक्ष महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-287(3) के तहत नियम समिति का द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष:- प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग ।

श्री श्रवण कुमार:- अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य वित्तीय निगम का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर बिहार राज्य वित्तीय निगम का उत्तर प्रतिवेदन में राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा-37(7) के तहत सदन पटल पर रखता हूँ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार:- महोदय,.....

अध्यक्ष:- आपके नेता बोल रहे हैं, आप अपने नेता का तो सम्मान करते ही हैं, साथ ही साथ सदन का भी सम्मान करिये।

श्री प्रेम कुमार:- महोदय, शांत हो गये सारे लोग। महोदय, जेल में दो तरह का नियम है । सरकार एक ओर कार्रवाई जेलर पर करती है, उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन जब माननीय मंत्री जी गये थे और नियम कानून को तोड़कर गये थे, तो उनकी बर्खास्तगी क्यों नहीं हुई और जांच रिपोर्ट जो सामने आया है, सरकार उसको प्रकाशित करे, बताये कि क्या जांच में आया है ?

अध्यक्ष:- माननीय नेता प्रतिपक्ष, यह मामला तो कई दिन पहले का है, आपने उठाया था और सरकार ने कार्रवाई भी की है, अब अचानक से सोचकर आज इसतरह की कार्रवाई की बात क्यों कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार:- महोदय, कार्रवाई कहाँ हुई, हमलोग मांग करते हैं कि मंत्री पर भी कार्रवाई हो।

(व्यवधान)

अध्यक्ष:- अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

अन्तराल

टर्न-10/कृष्ण/29.03.2016

अंतराल के बाद

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

विधायी कार्य

विनियोग विधेयक

अध्यक्ष : बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2016 का व्यवस्थापन होगा । आज इसके लिए एक ही दिन का समय निर्धारित है । वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के लिये कुल 2 घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, इसी में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा :-

राष्ट्रीय जनता दल	:	40 मिनट,
जनता दल (यू)	:	35 मिनट,
भारतीय जनता पार्टी	:	26 मिनट,
इन्डियन नेशनल कांग्रेस	:	13 मिनट,
सी0पी0आई0(एम0एल0)	:	01 मिनट,
लोक जनशक्ति पार्टी	:	01 मिनट,
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	:	01 मिनट,
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	:	01 मिनट,
निर्दलीय	:	02 मिनट ।

प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

“ बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।”

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

“ बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ,

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

“ बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2016 पर विचार हो ।”

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

“ बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2016 पर विचार हो ।”

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : अब मैं खण्डशः लेता हूँ -

प्रश्न यह है कि -

खंड 2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुसूची इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

नाम इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

“ बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2016 स्वीकृत हो ।”

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कोई बोलना चाहते हैं ? श्री नितीन नवीन ।

श्री नितीन नवीन : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो विनियोग विधेयक के माध्यम से 2016-17 के अनुदान/मांग पर कई तिथियों में चर्चा करने के बाद आज उसकी चाभी लेने का, खजाने की तिजोरी की चाभी लेने का प्रस्ताव रखा है । महोदय, मेरा मानना है कि सरकार के पास बजट को पास करने का आंकड़ा तो जरूर है लेकिन चाभी लेने का नैतिक हक इस सरकार के पास नहीं है क्योंकि इस नैतिक हक को सरकार ने खो दिया है । अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है, जब आप सरकार के आंकड़ों को देखते हैं और बजट पर सरकार के खर्च करने की ओर जब सदन का ध्यान जाता है तो दिखता है कि यह सरकार अपने बजट को खर्च करने में जहां एक ओर सरकार की अपनी वित्तीय प्रबंधन में खामियां नजर आती हैं, वहीं दूसरी ओर उनके अधिकारियों और पदाधिकारियों की लापरवाही भी सामने दिखती है ।

अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे वित्तीय वर्ष 2015-16 पर जो अभी चल रहा है, पिछले दस महीने, जो सरकार के बीत गये, उसके बीत जाने के बावजूद मात्र 61 फीसदी राशि ही सरकार खर्च पायी है । 57,237 करोड़ रुपये से घटाकर अपने कुल बजट को खुद सरकार ने उसको 52,000 करोड़ रुपये पर लाने का काम किया । यानी अपने ही बजट को 5000 करोड़ रुपया अनुमान से कम की । उसके बावजूद भी 11 फरवरी, 2016 तक सरकार 34,832 रुपये खर्च नहीं कर सकी । महोदय, जब हम विभागवार जायेंगे तो देखेंगे कि सरकार का जो विषय रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में, लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का विषय सरकार लेती रही है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करते हैं, हमारी पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में काफी मजबूत है । उस क्षेत्र में भी इस सरकार ने वहां के निवासियों के साथ सौतेला व्यवहार किया । महोदय, पंचायती राज क्षेत्र में भी मात्र 1032 करोड़ के बजट में मात्र 16.78 परसेंट ही खर्च कर पायी । इस सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार है, यह पूरी तरह से दिखता है । इसके बाद जो बड़ा विषय है, लगातार श्री नीतीश कुमार जी अपना पीठ ठोकने का काम करते हैं और उनके विधायक लोग भी अपनी सरकार का पीठ ठोकने का काम करते हैं । महोदय, ऊर्जा

विभाग जिसका बजट लगातार बड़े विषयों पर दी जाती रही है, उसमें भी सरकार ने पिछले 10 महीने में मात्र 37 परसेंट ही खर्च पायी है। मैं विभागवार इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आज इस विनियोग विधेयक के माध्यम से सरकार को हर विभाग के बजट का पैसा खर्च करने का अधिकार मिल जायेगा।

मैं सदन के माध्यम से आपके सामने यह विषय लाना चाहता हूँ कि जब आप सरकार के विभागवार देखेंगे तो कृषि जिसकी कल्पना माननीय मुख्यमंत्री ने 2010 में की थी, काफी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था, कृषि कैबिनेट बनी थी और उसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा करके कृष्ण मेमोरियल हॉल में बड़ा कार्यक्रम किया गया, किसानों को बुलाया गया। महोदय, उस हाई वोल्टेज ड्रामा के बावजूद सरकार का ध्यान उस ओर अगर जाता तो देखियेगा मात्र 38 परसेंट पैसा सरकार कृषि क्षेत्र में खर्च पायी और आज मुझे नहीं याद है कि पिछले चार महीने में नीतीश कुमार कभी भी कृषि कैबिनेट को बुलाने का काम किये होंगे। यानी केवल सरकार घोषणाओं तक सीमित रहती है, अपने बड़े-बड़े विज्ञापन छपवाने पर ध्यान देती है। अगर सरकार का ध्यान सही में किसानों की ओर होता और कृषि क्षेत्र के लिये होता तो मात्र 38 परसेंट राशि ही नहीं खर्च होती। महोदय, यह दिखाता है सरकार की अक्षमता और कार्यकुशलता, दोनों चीजों की किस प्रकार की कमियाँ हैं, वह पूरी तरह दिखाता है। महोदय, नगर विकास विभाग लेंगे तो नगर विकास विभाग में भी मात्र 40 परसेंट राशि ही खर्च पाये हैं आप और आज फिर आप अधिकार मांगते हैं कि पूरी राशि दी जाय। उसी तरह से समाज कल्याण विभाग, इसमें भी आपकी राशि मात्र 47 परसेंट खर्च पाये हैं। शिक्षा विभाग, अध्यक्ष महोदय, याद कीजिये, पिछली बार शिक्षा विभाग के बजट में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम मानव विकास मिशन ला रहे हैं, मानव का विकास करने जायेंगे और उस विभाग के बजट को जब आप देखेंगे तो पायेंगे कि मात्र 50 परसेंट ही राशि खर्च कर पाये हैं। यानी आप देखेंगे कि हर विभाग के साथ बड़े-बड़े विशेषण बड़े-बड़े शब्दावली का प्रयोग कर के यह सरकार अपनी पीठ तो जरूर ठोकती है।

(क्रमशः :)

टर्न-11/सत्येन्द्र/29-3-16

(क्रमशः:)

श्री नितिन नवीन : पर उस विभाग के कार्यों के इम्प्लीमेंटेशन में यह सरकार की कोई जवाबदेही नहीं होती है न कोई गम्भीरता नजर आती है। ये पूरी तरह दिखता है कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग, जिसका दर्द हर

बिहारवासी गरीब मरीज पी0एम0सी0एच0 से लेकर हर वो अस्पतालों में जाने वाला व्यक्ति इतना परेशान होता है पर सरकार का उस विभाग की भी तरफ कोई ध्यान नहीं गया और वहां भी मात्र 55 प्रतिशत ही राशि खर्च पायी पिछले 10 महीनों में। यह दिखाता है सरकार का ध्यान किस तरह से अपने विभागों पर रहा है और जब पूरे आंकड़ों को हम लेते हैं तो मात्र 60 प्रतिशत राशि खर्च की गयी है जो विभिन्न विभागों में दिखता है और सबसे आश्चर्य की बात है कि ऐसे कई विभाग हैं जो जन कल्याण के विभाग हैं जिनसे जनता से डायरेक्ट सरोकार हैं वहां भी मात्र 50 प्रतिशत राशि खर्च कर पाना ये सरकार की पूरी तरह से अकर्मण्यता और कहीं न कहीं काम नहीं करने की जो क्षमता है और सरकार के जो मंत्री बैठे हैं जो सरकार बैठी है वो काम करने के वजाय सत्ता का सुख लेने में बैठी है और जो बड़े विभाग हैं जिससे आम जनता, आम गरीब पिछड़ों का कल्याण होना था कृषि विभाग,पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग,कल्याण, सहकारिता, लघु जल संसाधन, समाज कल्याण ऐसे कई विभाग हैं जिससे मात्र 50 प्रतिशत की राशि सरकार खर्च कर पायी है। मैं आपका ध्यान उस विभागों की ओर भी ले जाना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय जिन विभागों ने 70 प्रतिशत राशि खर्च की लेकिन उन विभागों की ओर भी जब ध्यान ले जायेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इन विभागों में निगम और बोर्ड का गठन कर दिया गया है और बड़ी राशि सरकार अपने खजाने से निकालकर उन निगम और बोर्ड में दे देती है और उन निगम और बोर्ड में वो पैसा पड़ा हुआ है। जब उस आंकड़ों को लेंगे तो उन विभागों की भी स्थिति पुराने जो हमारे 50 प्रतिशत बाकी विभाग है उनकी स्थिति में आ जायेगा। आप देखेंगे कि पथ निर्माण विभाग ,स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग इन विभागों का जो पैसा है अधिक से अधिक राशि इनके निगम में पड़ी हुई है और इसका कोई मालिक नहीं है। एक एम0डी0 बनाकर छोड़ दिया जाता है और सरकार उसकी मोनेटरिंग भी बहुत ही शिथिलता पूर्वक करती है जिसका नजारा है कि चाहे बड़े बड़े वित्त निगम हो चाहे वो पुल निर्माण निगम हो ऐसी कई एजेंसियां है जिनके पास करोड़ों रू0 पड़े हैं परन्तु कोई योजना नहीं है उनके पास काम करने की। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कुछ जानना भी चाहूंगा कि जब वे विषय रखें तो ये बतलायें कि इन निगम और बोर्ड में कितना पैसा अभी पड़ा हुआ है चूंकि यह जानना इस सदन का हक बनता है कि उन निगम और बोर्ड में कितना राशि खर्च नहीं कर पाये और उनके पास पड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय,लगातार केन्द्र से पैसा का डिमांड करते रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और कहते हैं कि केन्द्र से पैसा नहीं मिलता है। मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूँ 4 फरवरी,2016 को माननीय मुख्यमंत्री ने कुछ लंबित योजना के लिए

पैसा का डिमांड के संबंध में एक लेटर भेजा केन्द्र सरकार को जो 16565 करोड़ के योजना का था और मात्र 1 हफ्ते से 10 दिन के अन्दर बी0आर0जी0एफ0 के तहत करीब 1800 करोड़ दिया गया। ये लगातार कहते हैं कि गरीबों के विकास के लिए, बैकवर्ड रीजन के लिए मुझे फंड नहीं दिया जाता है। आज ये आंकड़े दिखाते हैं कि केन्द्र हर समय खड़ी है आपके पीठ पर आप काम करने की क्षमता रखिये, काम करने की नियति रखिये तो नरेन्द्र मोदी की सरकार आपके पीठ पर खड़ा होकर बिहार के विकास के संकल्प को दोहरायेगी। नरेन्द्र मोदी ने अगर गुजरात का विकास किया था तो गुजरात के विकास के पीछे विजन था और ये लगातार गुजरात की चर्चा करते हैं पर इस बात की चर्चा भूल जाते हैं कि बिहार का विकास करना होगा तो निश्चित रूप से बिहार के तमाम लोगों को एक साथ खड़ा होना होगा। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। आप लगातार रोना रो रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बताईए जिनके गोद में आप बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2010 के चुनाव के बाद कहा था कि मैं उसका समर्थन करूंगा जो मुझे बिहार का विशेष राज्य का दर्जा देगा। मैं पूछना चाहता हूँ क्या कांग्रेस के लोगों को आपको विशेष राज्य का दर्जा दे दिया और मनमोहन सिंह के मंत्री पी0चिदम्बरम ने अपने भाषण में 2013 के फरवरी में कहा था, बिहार पिछड़ेपन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था कि पिछड़ेपन तय करने वाले मापदंड जो भी है वो मापदंड की चर्चा करते हुए कहा था कि बिहार इस अहर्ता को नहीं रखता है। उसी बीच चिदम्बरम जी को सदाकत आश्रम छोड़ने गये थे माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं आपके माध्यम से कुछ ऐसी चर्चा इसलिए लाना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी लगातार इस चीज का रोना रोते हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो हम कुछ कर लेते । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के सलाहकार शैम सिसोडा जी ने भी कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए उन्होंने आधारभूत संरचना की कमी बताया और कहा कि वो अपने दम पर विकास कर सकता है बिहार इसकी क्षमता रखता है। मनमोहन सिंह के सलाहकार ने ये बयान दिया फिर भी आप उनकी गोद में बैठे रहें। यहीं तक नहीं रहा अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मोटेंक सिंह अहुलवालिया जी अंतराष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के मेंटर ग्रुप में भाग लेने पटना आये। उन्होंने भी इस बात को कहा कि बिहार अपनी क्षमता से खुद विकास कर सकता है इसको विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात सैबाल गुप्ता जी,अर्थशास्त्री जो लगातार कल भी मुख्यमंत्री जी उनके कार्यक्रम में थे और बड़ी बड़ी विषय को रखा वो सदस्य सचिव एशोसियेशन डेवलपमेंट

रिसर्च इंस्टीच्यूट के सचिव हैं, उन्होंने क्या कहा है राज्य को केन्द्र से ज्यादा पैसा मिले इसकी मांग तो करता है लेकिन उपलब्ध धन राशि को खर्च करना उसके लिए बड़ी चुनौती है। अगर सरकार उपलब्ध धन राशि का 75 फीसदी भी खर्च करता है तो सरकार की उपलब्धि होगी। यह राष्ट्रीय सहारा 16 मार्च 2016 को कहा था। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा भी सोच वही है अध्यक्ष महोदय अगर सरकार अपने खजाने को सही ढंग से इस्तेमाल करेगी अपने खजाने को सही रूप से खर्च करेगी तो निश्चित रूप से बिहार का विकास होगा और बिहार के विकास के जो मापदंड हैं वो पूरी तरह से इनके अधिकारियों पदाधिकारियों को काम की जो कमियां हैं जिसकी चर्चा अभी हाल में एक रिपोर्ट आयी, उस रिपोर्ट के माध्यम से भी किया गया अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उस ओर भी ले जाना चाहता हूँ जो लगातार विभाग वाईज हमने अपनी चर्चा की और साथ में मैंने ये भी पूछा था सरकार से कि आप हमें यह भी बतलाईए कि किन विभागों में आज कितना पैसा क्यों रहा? इसकी मोनेटरिंग भी आपने की होगी जरूर। 2014-15 का लेखा जोखा जो रखा है सरकार ने जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में दिखा कि सरकार ने केवल अंतिम दिन 22740 करोड़ ₹0 सरेंडर किया और वो भी टोटल राशि है 27 हजार करोड़ ₹0 जो सरेंडर हुआ उसमें एक दिन में 22 हजार करोड़ ₹0 सरेंडर किया गया तो जब आप अपने ही राशि को अपने बजट 1.40 लाख करोड़ के बजट को आपने खुद 43 हजार करोड़ ₹0 लौटाया और एक दिन में 22 हजार करोड़ ₹0 आपको लौटाना पड़ा तो ये तो दिखता है आप अपने वित्तीय प्रबंधन को सही रूप से कर ही नहीं पा रहे हैं और अधिक से अधिक पैसे की डिमांड करते हैं केवल लोगों के दिमाग में डालने के लिए हम इतना बड़ा बजट लेकर आये हैं और उस बजट को अंतिम समय में जब आप पास कराने जाते हैं और पूरा आंकड़ा देखते हैं तो उसको पास कराने में पूरी ताकत लगा देते हैं लेकिन जब उसको खर्च करने की क्षमता की बात आती है तो दिखता है कि आप अपने बजट का करीब 34 से 35 प्रतिशत पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं ये आपकी कार्य क्षमता का अभाव दिखता है आपकी कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता का अभाव दिखता है।

अध्यक्ष: नितिन जी अब आपको दो मिनट में समाप्त करना होगा।

श्री नितिन नवीन: अध्यक्ष महोदय, मेरे जानकारी में तो बहुत सारी चीजें थी मैं चर्चा करना चाह रहा था। सबसे बड़ा विषय जो हम चाह रहे थे कि बजट पर चर्चा विनियोग विधेयक पर मैं माननीय मंत्री जी से ये भी जानना चाहूंगा कि लगातार कई ऐसे विभाग हैं जिनकी राशि जितनी राशि इनको दी गयी उससे अधिक की राशि वो

लोग सरेंडर करते हुए नजर आये तो आखिर ये विषय कैसे आया? इसको पूरे विषय का जिक्र भी रिपोर्ट में हुआ है मैं रिपोर्ट का हवाला अभी नहीं देना चाहता हूँ लेकिन आने वाले समय में सरकार जब 31 मार्च को इस बार भी बजट पास करायेगी और उसके बाद जब सामने आयेगा सच तो निश्चित रूप से यह नजर आयेगा कि सरकार फिर बड़ी राशि को सरेंडर करते हुए नजर आयेगी तो मेरा मानना है कि मैं माननीय मंत्री जी को भी सुझाव दूंगा कि एक ओर अपने अधिकारियों को जो टैक्स कलेक्शन से लेकर हर रिपोर्ट में दर्शाया गया कि आपके वित्तीय प्रबंधन की क्षमता कम है। आपको अपने टैक्स कलेक्शन की क्षमता कम है और उसके बावजूद भी आप लगातार बड़े बड़े बजट रख रहे हैं तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को सोचना पड़ेगा कि बिहार की जनता के साथ वे कैसा व्यवहार करना चाहते हैं। आपने कहा कि हम बिहार की जनता को आगे ले जाना चाहते हैं बिहार का विकास चाहते हैं पर बिहार के विकास में जो मूलभूत चीजें हैं। आपके 7 निश्चय के माध्यम से जो चीजें लायी गयी है वो पुरानी ही योजनाओं पर आपने नया लेबल लगा दिया है उनकी धोषणा लगातार होती रही है। पटना की जलापूर्ति योजना जिसका पैसा पड़ा हुआ है 160 करोड़ ₹0 और रिपोर्ट में आया है कि 160 करोड़ ₹0 जो केन्द्र का अनुदान मिलता उससे सरकार पीछे रह गयी चूँकि उस योजना को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। मेरा मानना है अध्यक्ष महोदय, ऐसी कई योजना है जिसमें राज्य सरकार अपनी असफलता को छुपाने के लिए अपना राज्यांश नहीं लगाती है और इसके कारण केन्द्र का पैसा नहीं मिल पाता है और रोना ये रोते रहते हैं कि पूरी तरह दिखाता है सरकार अपनी योजना के अनुरूप काम नहीं कर पाती है। अध्यक्ष महोदय, एक चीज और कहना है कि जिस प्रकार से आपने हाई बोल्टेज ड्रामा कृषि कैबिनेट में किया है उसी प्रकार से आप अपने 7 निश्चय में कर रहे हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री नगर विकास चापाकल योजना को जिस तरह से आपने बंद करने का प्रयास किया है, आम जनता को पानी के लिए तरसाने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि कृपा कर पानी के साथ राजनीति मत कीजिये। आने वाला समय में बिहार की जनता आपको पानी पानी कर देगी अगर आपने अपने रूख में परिवर्तन नहीं किया। धन्यवाद।

टर्न-12/मधुप/29.3.16

अध्यक्ष : श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन । आप 6-7 मिनट में अपनी बात कह लीजियेगा, मूल बातें कह डालिये ।

श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया है । हम तमाम लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से सदन में लगातार विभिन्न विभागों पर विमर्श हुआ है और अनुदान की माँगों जो हुई हैं, वह सदन के माध्यम से स्वीकृत किया गया है और आज उन तमाम स्वीकृत योजनाओं के लिए तमाम विभागों द्वारा जो माँगें माँगी गई थी, उसको स्वीकृत करने के एवज में खर्च करने की अनुमति के लिए आज विनियोग विधेयक पेश किया गया है । मुझे नहीं लगता कि सत्ता पक्ष या विपक्ष को इसमें किसी तरह की कोई आपत्ति है। क्योंकि राज्य सरकार पर बहुत अपेक्षाएँ बिहार की जनता की हैं और बहुत अपेक्षा के साथ बिहार की जनता के द्वारा महागठबंधन सरकार का जो गठन हुआ है, इससे बहुत ज्यादा अपेक्षाएँ हैं । उन अपेक्षाओं पर खड़ा उतरने के लिए बिहार सरकार ने जिस प्रकार का प्रयास पिछले दो-तीन-चार महीने में किया है, वह न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के लिए उदाहरण होगा कि जितनी भी घोषणाएँ की गई थीं, जितने भी वायदे किये गये थे, सारे पर लगातार मैराथन बैठक हुआ, सभी विभागों की लगातार समीक्षा की गई, सभी पुरानी योजनाओं की समीक्षा की गई, नई योजनाएँ ली गई और सरकार ने जनता से जो वायदे किये थे सात निश्चय का, उन तमाम विभागों के साथ एक कार्य रूप तैयार किया गया इस विश्वास के साथ कि सरकार बेहतर ढंग से उन तमाम योजनाओं को अमली जामा पहनाये ।

(इस अवसर पर सभापति, श्री राम नारायण मंडल ने आसन ग्रहण किया ।)

उसमें सर्वप्रथम, सबसे प्राथमिकता बिहार सरकार की रही है कि विधि व्यवस्था का संधारण करना और कानून का राज स्थापित करना । माननीय सभापति महोदय, मैं अक्सर देखता हूँ कि विपक्ष के लोग दो मुद्दे को लगातार उठाते हैं । एक इनका आरोप होता है कि जब से भाजपा अलग हुई है, विधि व्यवस्था खराब हो गई है । दूसरा आरोप ये लगाते हैं कि जब से भाजपा अलग हुई है, विकास बाधित हो गया है, विकास रुक गया है । इन दोनों विषयों पर मैं इतना जरूर बोलना चाहूँगा कि भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है कि भाजपा शासित राज्यों की तुलना में बिहार में अपराध की संख्या कम है । 2013 में 22वें स्थान पर बिहार था और 2014 का जो ऑकड़ा था, उसमें भी 20वें स्थान पर बिहार था । हिटलर की जो मानसिकता है, इनके नेता उस विचार पर सहमत होते हैं, उनके सलाहकार

गोयबल्स, भारतीय जनता पार्टी के सलाहकार हिलटर के सलाहकार के सिद्धांतों पर चलते हैं। हिटलर का यह सिद्धांत था कि एक झूठ को अगर सौ बार बोला जाय और उसी झूठ को सौ व्यक्तियों द्वारा बोला जाय तो जनता उसे सच मान लेती है, उसी आधार पर ये एक ही तरह की बात लगातार कहते हैं। इसीलिये हम यह जरूर कहना चाहेंगे कि जो वायदे हमने किये थे शराबबंदी के बारे में, उसे पूरा किया। हमने महिलाओं को आरक्षण देने का वायदा किया था, उसको सशक्त बनाने का बात किया था, उसको हमने पूरा किया है।

अभी माननीय सदस्य नितीन नवीन जी कह रहे थे कि बिहार में पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है और ये लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं। हम यह कहते हैं कि हमारे कारनामे पर हम अपनी पीठ नहीं थपथपाते हैं, भारत सरकार हमारी पीठ को थपथपाती है, चाहे अपराध का मामला हो, उसमें गृह मंत्रालय कहता है कि बिहार में भाजपा शासित राज्यों से बेहतर प्रदर्शन है। विकास का मामला हो तो भारत सरकार की सशक्त संस्था नीति आयोग कहती है कि भारतवर्ष में सबसे तेज गति से विकास करने वाला कोई राज्य है तो वह बिहार है। फिर किस आधार पर कहते हैं कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है? बिहार में 17.6 प्रतिशत की रफ्तार से विकास हो रहा है जबकि भाजपा शासित राज्यों को देखिये, मध्य प्रदेश को देखिये, राजस्थान को देखिये, झारखंड को देखिये, किसी भी राज्य को देखिये, भाजपा शासित कोई भी राज्य तीव्र गति से विकास नहीं कर रहा है। यह नीति आयोग कहता है, भाजपा सरकार की संस्था कहती है। सभापति महोदय, तमाम सात निश्चयों पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। तमाम जो योजनाएँ बनी हैं, जो वायदे किये गये हैं, उसे पूरा करने में बहुत पैसे की आवश्यकता है।

महोदय, जिस विश्वास के साथ बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन किया था, उस वायदे पर वे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। दस साल से भारतीय जनता पार्टी का यह नारा था और यह लड़ाई था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे और आज जब इनको शक्ति मिली है, जब इनकी सरकार बनी है तो आज ये उस दिशा में कोई काम नहीं कर रहे हैं। स्पेशल पैकेज की घोषणा देश के नेता आकर करते हैं, उसपर कोई अमल नहीं किया जाता है। बिहार की जनता का जो बाजिव हक था, बिहार राज्य का बाजिव हक था, लगातार जब से सरकार बनी है उसमें भारी कटौती की जा रही है। चाहे पिछले वित्तीय वर्ष का मामला देख लीजिये, विभिन्न विभागों में कटौती किया गया। बिहार का जो हिस्सा रेशियो 10:90 का था, उसमें 40:60 करने का काम किया गया।

सभापति महोदय, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग आज एक अलग वातावरण बना रहे हैं, डायवर्ट कर रहे हैं। जो सोचने वाली शक्ति देश में थी, जो अच्छी सोच थी, जो इन्होंने वादा किया था, उसपर ध्यान लोगों का न जाय, इसके लिए माइंड को इंगेज करने का काम किया जा रहा है, माइंड को डायवर्ट करने का काम किया जा रहा है। आज देश में जो सत्ता है, उसने वायदा किया था कि हम गरीबी को दूर करेंगे, हम महंगाई को दूर करेंगे, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हम काला धन वापस लायेंगे। क्या हुआ ? 200 रुपये किलो दाल खाने पर देश की जनता विवश है। ये कहते थे काला धन वापस लायेंगे, काला धन वापस आया नहीं लेकिन देश के उद्योगपति देश का पैसा लेकर विदेश भेजे जा रहे हैं। 10-10 हजार करोड़ रूपया विजय माल्या जैसे कई लोग हैं जो देश का पैसा लेकर बाहर जा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि रोजगार देंगे लेकिन इन्होंने क्या किया ? उल्टा नियुक्ति पर रोक लगाने का काम किया। इन्होंने कहा था कि किसानों का उद्धार करेंगे लेकिन आज हजारों किसान आत्म-हत्या करने पर मजबूर हैं। टी0वी0 चैनलों के माध्यम से देखने को मिलता है कि आज लोग किडनी बेचकर बेटी की शादी करने पर मजबूर हैं....

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : अब आपका मात्र एक मिनट बचा है।

श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन : सभापति महोदय, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करते हैं। बड़े-बड़े उद्योगपतियों के एक लाख चौदह हजार करोड़ रुपये माफ कर दिये गये, बैंकों के पैसे माफ कर दिये गये लेकिन इसपर काम नहीं किया गया।

हम इतना ही कहेंगे कि बिहार की जनता से जो कमीटमेंट किया गया है, उसपर पूरी तरह यह सरकार काम करेगी। इसी विश्वास के साथ मैं चाहता हूँ कि विनियोग विधेयक पास हो। धन्यवाद।

श्री राज किशोर सिंह : माननीय सभापति जी, अभी सरकार की ओर से जो विनियोग विधेयक रखा गया है, उसके पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। विरोधी पक्ष के नेता नीतीन नवीन जी नैतिकता की बात कर रहे थे। विगत विधान सभा चुनाव में हमारे महागठबंधन के नेता नीति को लेकर जनता के सामने गये। जनता उस नीति और नेता के पक्ष में वोट देने का काम की और उसी के बाद यह पहला हमारा विनियोग विधेयक आया है, इससे बड़ा नैतिकता का क्या सबूत हो सकता है।

मैं सदन को बतलाना चाहता हूँ कि जब 16वीं विधान सभा के चुनाव बिहार में हो रहे थे, उस समय देश की स्थिति यह थी, देश में एक गजब का वातावरण हो गया और इस देश के बौद्धिक दृष्टिकोण से सम्पन्न लोग अपना एवार्ड

तक लौटाने लगे । उस समय बिहार की जनता महागठबंधन की सरकार बनाने का काम करती है, बिहार का सम्मान और मान देश और दुनिया में बढ़ाने का काम करती है । मैं बतलाना चाहता हूँ कि बिहार की महान जनता साबित कर दी कि यह देश गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर, अंबेदकर के राह पर चलेगी न कि गोवलकर और सावरकर के राह पर चलेगी । यह साबित करने का काम जनता ने किया । हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है । जब देश में फासिस्ट शक्तियाँ काला नाग के समान फन उठाये खड़ी थी, उस समय में बिहार की महान जनता ने वोट के माध्यम से उस काला नाग रूपी फासिस्ट शक्तियों को कुचलने का काम की, इसलिये न सिर्फ हमारे बिहार का मान बढ़ा, देश का मान दुनिया के स्तर पर बढ़ा है।

मैं बताना चाहता हूँ कि 2014 में लोक सभा के चुनाव हो रहे थे, देश के लोगों से अनेक वायदे किये गये । मैं पूछना चाहता हूँ माननीय विरोधी दल के नेताओं से कि क्या एक भी वायदा पूरा हुआ ? वायदा किया गया कि काला धन आयेगा, जवाब है - नहीं । उसके बदले क्या हुआ - 9 हजार करोड़ सफेद धन विजय माल्या लेकर उड़ गये । दूसरा वायदा किया गया - सभी के एकाउंट में 15 लाख । बाद में जवाब आया - जुमला था । अच्छे दिन की बात किये थे । अच्छे दिन आये भारत में - नहीं । संयुक्त राष्ट्र संघ कृषि का पैमाना रखती है । जब 2013 में जो रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का, भारत का नाम 114वें स्थान पर था कृषि के मामले में, 2015 में वही संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि भारत 118वें नम्बर पर चला गया । अच्छे दिन कैसे होंगे ? हम चार सीढ़ी पीछे चले गये । अच्छे दिन नहीं आये। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि विरोधी दल के नेता लोगों को एक मामले में महारथ हासिल है, किसी भी मुद्दे को डायलुट और डायवर्ट करने में माहिर हैं

...कमशः...

टर्न-13/आजाद/29.03.2016

....कमशः...

श्री राजकिशोर सिंह : और मैं समझता हूँ कि इनका हमेशा यह रहा है कि कभी लव जेहाद, कभी घर वापसी और खासकर के माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि ये डाईभर्ट और डायलूट करने का काम इतना बेहतर करते हैं कि इसको जरा देखने का काम करेंगे । जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ने का काम नहीं किये, वही आज राष्ट्रवादी होने का सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हैं । मैं समझता हूँ कि शर्म

को भी शर्म आती है । इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ और मैं आपको बताऊँ कि कुछ लोग गोडसे के सिद्धांत पर चलने वाले हैं और उसमें महारत हासिल है । गोडसे के सिद्धांत पर चलने में जो माहिर लोग हैं, लेकिन ध्यान रखियेगा, एक बार आपका गोडसे का सिद्धांत चलेगा, पुनः बार-बार नहीं चलेगा । इससे सावधान रहने की जरूरत है । मैं बताना चाहूँगा सभापति महोदय, नीतीश कुमार के साथ जब हमारे विरोधी दल के भाई थे, नेता थे तब यही लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार का राज बहुत बेहतर है लेकिन जब से माननीय नीतीश कुमार जी और लालू जी बड़े भाई और छोटे भाई जिनको ये बड़े भाई और छोटे भाई कहते हैं, जब ये लोग एक साथ हुए तो इसमें इनको बुराई नजर आने लगा । जिस नीतीश कुमार को यही लोग पी0एम0 मैटेरियल कहने का काम करते थे और इस देश और दुनिया में नीतीश कुमार की चर्चा विकास पुरुष और समावेशी के लिए जाना जाता था, समावेशी विकास के लिए जाना जाता था । नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता था ।

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : आपका एक मिनट समय है ।

श्री राजकिशोर सिंह : जिस नीतीश कुमार को दुनिया और देश के लोग सुशासन बाबू और विकास पुरुष के नाम पर जानते थे, वही नीतीश कुमार के खिलाफ ये लोग बोलते हैं और मुझे अफसोस है कि जब दिल्ली में कन्हैया पुलिस संरक्षण में मार खाता है, वहां इनको जंगल राज नजर नहीं आता है लेकिन जब कभी बिहार में दलित, शोषित, पिछड़ा और हर तरह से सर्वहारा वर्ग के हाथ में सत्ता आता है तो इनके पेट में अन्न नहीं पचता है । मैं बताना चाहता हूँ, ये आज बहुत सम्मान से कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हैं । कर्पूरी ठाकुर जी के राह पर चलने की बात हो, उनके आइडियोलॉजी की बात हो तो उससे ये कोसों दूर हो जायेंगे, रिवर्स हो जायेंगे । उन्हीं कर्पूरी ठाकुर का जिनका सम्मान और मान की बात आज ये करते हैं, बहुत सम्मान से उनका नाम लेते हैं, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं । परन्तु उनके आइडियोलॉजी पर एक कदम भी चलने का राह तैयार कर लेते

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया, आप बैठ जाईए । माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी ।

श्री रामदेव राय : महोदय, विनियोग विधेयक माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मैं इसीलिए आज लाचार होकर खड़ा हुआ हूँ । 1972 से आज तक मैं इस सदन को देखा हूँ और पार्लियामेंट भी दुर्भाग्यवश देखा हूँ । (व्यवधान)

सौभाग्य में सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है ।

त्रिया चरित्रम् पुरुषस्य भाग्यम् दैवो न जाना ततो मनुष्या,

मनःइच्छा सर्वोनास्ति दैव इच्छा सर्वदे, राजकन्या राजद्वारे विप्रवादु भच्छते ।
यही दिल्ली से दिल्ली बनकर के यहां क्या देखने आया हूँ, इसी का वृतांत कर रहा हूँ।

श्री महबूब आलम : सभापति महोदय,

(व्यवधान)

डिसकसन करना है तो इसके बाद चैलेंज करता हूँ हाऊस को नहीं, सारे बिहार के लोगों को

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाईए ।

श्री रामदेव राय : आप त्रिया को देखे नहीं हो.....

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : आप बैठिए, बिना इजाजत के मत बोलिए, प्लीज बैठिए ।

श्री रामदेव राय : द्रौपदी के कारण इस देश में महाभारत हुआ । साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है.....

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : प्लीज आप बैठ जाईए । बिना आसन के परमीशन के आप नहीं बोल सकते हैं । प्लीज आप बैठिए ।

(व्यवधान)

श्री रामदेव राय : नारी पर लांछना लगा रहे हैं ?

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : प्लीज आप बैठिए । रामदेव बाबू आप बोलिए ।

श्री रामदेव राय : त्रिया के हाल जानते हो ? कभी पढ़े नहीं हो ।

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : प्लीज बैठिए । कोई किसी को धमकी नहीं देगा हाऊस में ।
प्लीज आप बैठ जाईए । रामदेव बाबू, आप आसन की ओर देखकर बोलिए ।

श्री रामदेव राय : मैं कहता हूँ श्रीमान् :-

तू पूछ अवध से राम कहां, वृन्दा बोलो घनश्याम कहां ,
आप हमें लाचार कर दिये पॉलिटिक्स पर बोलने के लिए ।
तू पूछ कहां मेरे अशोक, यह चन्द्रगुप्त महान,
दोस्त बोला स्वाभिमान बिहार, हम वही जहां नीतीश कुमार ।
लाचार होकर बोलवाते हो ।

जनता ने हुँकार भरी है, जनता का स्वाभिमान जगा,
क्यों जगा, आजादी के इतने दिनों के बाद, बड़े-बड़े महर्षि लोग, तपस्वी लोग इस जंगल में आये हैं और तप एवं साधना के बल पर इस धरती को संजोये हैं और राक्षसों का संहार किया है । अनाचार, दुराचार, कदाचारियों का विनाश किया है, उसको ये जंगल राज कहते हैं । वाह,वाह जहां ऋषियों ने की साधना, वहां है तपो भूमि, वहां आप नरक भूमि कहते हैं । मैं डिक्शनरी को चैलेंज करता हूँ, डिस्कसन

करो रामदेव राय से । पता चल जायेगा, तेरे डिक्शनरी के पन्ना को फाड़ दूँगा, अगर जंगल राज के अपभ्रंश में बोलोगे तो । इसे समझ लो, अब हुंकार कर रहा हूँ, मेरा स्वाभिमान जगा है । जंगल राज- जंगल राज :-

हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है,
साँसों के बल से ताज हवा में उड़ जाती है,
जनता को रोके राह, समय में ताव कहां ?
वह जिधर चाहती है, काल उधर ही मुड़ जाती है ।

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : रामदेव बाबू, समय का ध्यान रखिए ।

श्री रामदेव राय : यह काल चक्र है, जनता के हाथ में वह शक्ति है कि वह काल चक्र को भी अपने हाथ में विवश कर देता है । वही कालचक्र का नाम नीतीश कुमार है ।

इसलिए मैं अभिनन्दन करता हूँ बिहार की जनता को, बहुत दिनों के बाद तुमने तपो भूमि से ऐसे तपस्वी को लाया है, मैं बोलता हूँ, सुन लीजिए हुजूर, मैं तो बोलता नहीं लेकिन मेरा स्वाभिमान जगा है, मेरे स्वाभिमान को दबा नहीं सकते हो । मैं इसीलिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, मैं इसी सदन में देखा हूँ, मैं इसी सदन में रहा हूँ । मैं विरोधी जयप्रकाश जी के आन्दोलन के समय में भी प्रबल विरोधी पक्ष में था मगर हू,हू करके विधान सभा में कभी नहीं आया था । लज्जा से सर झुक जाता है, बोलने के लिए स्वर रूक जाता है । मैं कहना चाहता हूँ, मैं वह दिन देखा हूँ, जब कांग्रेसी का लोग टोपी छीन लेते थे लेकिन तीन महीने के बाद गर्दिश में जयप्रकाश जी को जाना पड़ा था । यहां हूँ, हूँ करके हमारे सारे नियमावली, हमारे सारे संस्कृति को नष्ट कर दिया गया है । आज क्या है बिहार में लगता नहीं है कि लोकतंत्र है.....

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : रामदेव बाबू, मात्र आपका एक मिनट समय बचा है ।

श्री रामदेव राय : हुजूर, अभी तो गाड़ी चली है, स्टेशन पर पहुँची भी नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूँ हुजूर, इसलिए मैं इनको पैसा देना चाहता हूँ कि यह सरकार राजस्व में अप्रत्याशित वृद्धि किया है, सरकार ने राजस्व व्यय में वृद्धि किया है । राजकोषीय घाटा को दूर करने का जिस समय हमारे वित्त मंत्री मोदी जी थे.....

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : रामदेव बाबू , अब आप बैठ जाईए । आपका समय समाप्त हो गया । रामदेव बाबू , आप आसन की ओर देखिए, आपका समय समाप्त हो गया, प्लीज बैठ जाईए ।

श्री रामदेव राय : समय कहां समाप्त हो गया श्रीमान्, समय तो अभी 10 मिनट है । बिहार की अस्मिता और बिहार के गरीबों की रक्षा के लिए नीतीश कुमार की आवश्यकता पड़ी है.....

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : प्लीज आप बैठ जाईए । माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा जी, बोलिए । अब आप बैठिए, हमने नाम पुकार दिया है । प्लीज आप बैठिए।

श्री विजय कुमार सिन्हा : सभापति महोदय, विनियोग विधेयक के विरोध में आज सदन को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है । सरकार को सदन से पास बजट की राशि को संचित निधि से निकाल कर खर्च करने की अनुमति चाहिए सभापति महोदय ।

टर्न-14/अंजनी/दि0 29.3.16

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : रामदेव बाबू, अब आप बैठ जाइए, प्लीज बैठिए, आप सीनियर मेम्बर हैं । आप बोलिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : सभापति महोदय, ज्ञान, विज्ञान की भूमि बिहार की पावन धरती पर जन्म लेने वाले सभी माननीय सदस्यों को मैं नमन करते हुए आग्रह करूँगा और कई अपने वरिष्ठ सदस्य भी बैठे हैं -

निज गौरव पर जिसे न हो अभिमान,
वह नर नहीं, पशु के समान ।

हम बिहार की धरती पर आज बिहार की जनता के हित के लिए, बिहार के लोगों के लिए जिस विषय पर गंभीरता से विचार करना है, चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के दस महीने बीत जाने के बाद 41 विभागों में मुश्किल से 61 फीसदी ही राशि खर्च हुई है । महोदय, कुल योजना का आकार 57, 137 करोड़ रूपया था, उसे घटाकर 52 हजार करोड़ रूपया किया गया और इसके बावजूद 11 फरवरी, 2016 तक 34,882 करोड़ रूपया ही खर्च हो सका । इसका जवाब सदन को देना होगा, बताना होगा । सदन जानना चाहता है कि कृषि विभाग, कुल योजना राशि 2342 करोड़ में मात्र 665 करोड़ यानि 38 परसेंट ही राशि खर्च हुआ । यह सदन जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ ? महोदय, शिक्षा विभाग की भी स्थिति यही है कि 10,950 करोड़ रूपये में से मात्र 6,659 करोड़ रूपया यानी 50 परसेंट ही राशि खर्च हुआ । ज्ञान-विज्ञान की धरती पर यह स्थिति क्यों ? महोदय, स्वास्थ्य विभाग की स्थिति यह है कि 2371 करोड़ में से 1608 करोड़ रूपया ही खर्च हुआ, पूरा बिहार बीमार है, क्यों स्वस्थ करने की मंशा नहीं है ? आज 50परसेंट में से कम योजना राशि खर्च करने वाले विभाग में कृषि, पिछड़ा, अतिपिछड़ा कल्याण, सहकारिता, ऊर्जा, खाद एवं उपभोक्ता, श्रम, लघु जल

संसाधन, समाज कल्याण, आपदा प्रबंधन है । महोदय, सदन यह जानना चाहता है कि आखिर क्या कारण है कि अनुमानित खर्च को ध्यान में रखकर हम बजट का प्रावधान करते हैं, फिर किस कारण से राशि खर्च नहीं हो पाता है और कई विभाग के पैसे क्यों लौट जाते हैं ? महोदय, बिहार की जनता पर नया टैक्स लगाने का कार्य किया जा रहा है लेकिन बालू, माईस सहित कई विभाग से टैक्स की वसूली नहीं कर पा रही है सरकार, यह आप बताने का कार्य करेंगे मंत्री महोदय । सात निश्चय बिहार की जनता के विकास के लिए किया गया । कृषि पर आधारित 80 परसेंट आबादी को कृषि विभाग को क्यों सात निश्चय से हटा दिया गया, क्यों नहीं उसका महत्व रखा गया, क्यों छोड़ा गया, यह सदन जानना चाहता है और सदन के माध्यम से पूरी बिहार की जनता जानना चाहती है । बिहार का सुन्दर भविष्य, अगर बन सकता है सुन्दर बिहार बन सकता है तो वह शिक्षा के कारण ही और जब शैक्षणिक वातावरण बनेगा, तभी हमारे समाज में जो नफरत, घृणा और अविश्वास का वातावरण बना है या वातावरण दूषित किया गया है, उसे शिक्षा से ही इस बिहार को फिर गौरवशाली बना सकते हैं, लेकिन उस शिक्षा विभाग को भी सात निश्चय से अलग रखा गया है । यह भी सदन जानना चाहता है । हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग को क्यों सात निश्चय से अलग रखा गया है । इतने महत्वपूर्ण विभाग को क्यों हटाया गया, इसका क्यों नहीं जिक्र किया गया, इसका जबाब चाहिए । महोदय, सात निश्चय में घर-घर पेय जल पहुंचाने का संकल्प है तो वर्ष 2011 में भी सुशासन के समय यह संकल्प लिया गया था तो उस समय भी हम इस सदन के सदस्य थे । सुशासन के संकल्प का एक किताब निकाला गया था, उसमें घर-घर पेयजल पहुंचाने का था, जब आप शहरी क्षेत्र में घर-घर पेज जल नल से नहीं दे सके तो ग्रामीण क्षेत्र में कहां से दे पायेंगे । ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर एक गांव पांच किलोमीटर के रेंज में फैला है, एक टोला यहां तो दूसरा टोला वहां, महोदय, यह धोखा है, इससे कभी यह मंशा पूरा नहीं हो सकता है । सात निश्चय में अपराध और भ्रष्टाचार को समाप्त करने का संकल्प क्यों नहीं लिया गया, यह सरकार की लाचारी, बेबसी और हताशा को दर्शाता है । विश्वास की कमी हो गयी है । आज अपराध और भ्रष्टाचार इस बिहार को कैंसर रूपी बीमारी से ज्यादा खतरनाक ढंग से ग्रसित है । सात निश्चय में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का संकल्प होना चाहिए । जीरो टेरोलेंस का संकल्प क्यों नहीं दुहराया जा रहा है । महोदय, बिहार के प्रशासन वही है, पुलिस वही है, सत्ता के चेहरे कुछ बदले हैं, गठबंधन का स्वरूप बदला है और विवशता प्रकट होने लगी है। महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, सदन जानना चाहता है कि-

तूफानों से क्या बात हुई, मांझी तू तो यह तो बताये,
लहरों को गिरवी रखा या साहिल को ही तूने बेच दिया ।

महोदय, आज सदन के अन्दर बताना होगा कि एन0डी0ए0 गठबंधन के अन्दर वही चेहरा, मुख्यमंत्री थे, अपराध पर अंकुश कैसे लगा था ? वही बिहार का पुलिस प्रशासन था, क्यों लॉ एण्ड ऑर्डर पूरे देश के अन्दर चर्चा का विषय बना था लेकिन आज चीत्कार हो रहा है महोदय । महोदय, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि सुशासन बाबू का हाल देख लो, जनता है बेहाल देख लो, अफसर मालामाल है देख लो, शासन है बदहाल देख लो । महोदय, आज नौजवान निराश हैं देख लो, किसान है बदहाल देख लो, अबला का चीत्कार देख लो, जनता है बेहाल देख लो, सुशासन बाबू, यह क्या हाल है देख लो । महोदय, आज गर्व से कहो कि हम बिहारी हैं, बच्ची के साथ बलात्कार का चीत्कार हो रहा है, बच्चों का अपहरण हो रहा है, हत्या, लूट और ए0के0-47, ए0के0-57 गरज रहा है, लहू सड़क पर बह रहा है, गर्व से कहो कि हम बिहारी हैं । महोदय, गर्व से कहो कि हम बिहारी हैं, क्या इसी पर बिहार की जनता गर्व करेगी, देश के अन्दर इसी पर हमारी पहचान बनेगी ?

महोदय, आज केन्द्रीय योजनाओं को लागू करने में सरकार क्यों विफल हो रही है, पूरा दूसरा राज्य उसका लाभ उठाकर अपने राज्य की तस्वीर और तकदीर बदल रहा है और बिहार क्यों बदहाल है, क्यों पीछे हो रहा है, इसपर गंभीरता से विचार करना होगा ? हमारे कई माननीय सदस्य नये आये हैं, उनको ईमानदारी से विचारना होगा, इतिहास के पन्नों में इसको याद रखिए, कि आज हम यहां हैं, कल नहीं रहेंगे । आधे से अधिक चेहरा नहीं लौटकर आ सका लेकिन आप अपना एक इतिहास इस जनता के प्रति समर्पित भाव से छोड़कर जाइए । आज आंकड़ों की जादुगरी शब्द के मकरजाल में बिहार में शांति के साथ विकास की गति को क्यों रोका जा रहा है, इसका कौन जवाब देगा ? पिछली बार के दो टर्म में हमारे यही मांझी बिहार के नाव के पतवार खेवने वाले यही थे, आज क्यों विवश हैं, आज किस कारण से इनकी साहिल डगमगा रहा है, क्यों बिहार को कलंकित और अपमानित करने का खेल हो रहा है ? महोदय, आज जिस भी विभाग में नजर डालते हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा है । आज विधायक अपने को कलंकित और अपमानित महसूस कर रहे हैं । विधायकों के अधिकार को सीमित किया जा रहा है । महोदय, विधायिका जब मजबूत होती है, तभी जनता की आवाज को हम सदन तक पहुंचाते हैं और जनता की बात को सरकार मानने के लिए बाध्य होती है । आज क्या होता है ? आज एक प्रतिनिधि दूसरे प्रतिनिधि की आवाज को

दबाने में समय लगाते हैं । महोदय, हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि बिहार की जनता ने हमको, आपको सदन के अन्दर भेजा है तो हमलोग जिम्मेवारी के साथ अपनी बातों को रखें और जनता के हित में हम पार्टी के प्रति समर्पित भाव के साथ काम करें । जनता हमारी पहली प्राथमिकता हो, जनता के हित में हम काम करें और हम कहना चाहेंगे कि अपने राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का-

समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध,
जो तटस्थ है, समय लिखेगा उसका भी अपराध ।

धन्यवाद ।

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : माननीय सदस्य श्री मो० नेमतुल्लाह साहब । आप बोलिए।

टर्न-15/शंभु/29.03.16

श्री मो० नेमतुल्लाह : सभापति महोदय, आज माननीय वित्तमंत्री जी विनियोग विधेयक जो लाये हैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, इस चर्चा के बाद आज खजाने की चाभी इनको सौंपना है। पास तो बजट हो गया, लेकिन जब तक यह हाऊस परमीशन नहीं देगी एक पैसा खर्च नहीं होगा। आज हमलोग परमीशन देने के लिए इसलिए खड़े हुए हैं, इसलिए इस सदन में माननीय वित्त मंत्री विनियोग विधेयक लाये हैं कि सात निश्चय को पूरा करना है। गरीबों के मूलभूत सुविधा को सरजमीन पर लाने के लिए खर्च करना है। इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी ने ये विनियोग विधेयक लाया है

(व्यवधान)

खर्च हमलोग नहीं देंगे, अरे शुद्ध पानी हम दे रहे हैं चापाकल की बात कर रहे हैं, आप चापाकल की बात कर रहे हैं। आज हर गांव में, पहले केवल शहर के लोग नल से पानी पीते थे, आज गांव के लोग नल से पानी पियेंगे, कल्पना कीजिए, सोचिए। महोदय, ये कल बात कर रहे थे।

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : माननीय सदस्य, इनकी बात को सुनिए।

श्री मो० नेमतुल्लाह : पुलिस विभाग ने जिस तरह से एलेक्शन कराया, लॉ एंड आर्डर को जिस तरह से उन्होंने सुचारू रूप से चलाया, पैसा पकड़ाने का इनलोगों का पैसा था जो खर्च कर रहे थे हमलोग के विरोध में लगा रहे थे, इनलोगों के पैसा को पकड़ा और दिखा दिया कि पुलिस विभाग कितना सतर्क है, कितना सुचारू रूप से पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग को भी बदनाम कर रहे हैं। महोदय, अगर पैसा हम खर्च करेंगे तो हमारे यहां बिजली आयेगी। हम जिस तरह से बिजली 22 घंटा माननीय

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिजली विभाग दे रही है। इसकी आपको सराहना करनी चाहिए। आज सड़क जिस तरह से हमारे बिहार में बन गयी है, उसमें चार, पांच घंटा के अंदर कहीं से भी, किसी कोने से आप पटना पहुंच जा रहे हैं। इसकी तारीफ करनी चाहिए आपको। नेशनल हाइवे में आप पैसा नहीं दे रहे हैं, केन्द्र सरकार कटौती कर रही है, आप हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना करते हैं। आप जफा करते हैं, हमदोनों अपना अपना फर्ज निभाते हैं। महोदय, आप जफा करते हैं हम वफा करते हैं। आप अपना फर्ज निभाते हैं, हम अपना फर्ज निभाते हैं। प्रधानमंत्री घूमघूम कर भाषण दिये कि हम आर्येंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। बिहार वालों ने उनका अपार बहुमत से सरकार बनाया, लेकिन आज क्यों नहीं विशेष दर्जा दे रहे हैं। आज वह मन की बात कर रहे हैं, जनता की बात नहीं कर रहे हैं.....

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : बीच में टोकाटोकी नहीं करें, शांति से सुनिये।

श्री मो० नेमतुल्लाह : आज मन की बात कर रहे हैं। लेकिन अवाम की बात नहीं करते हैं। महोदय, आज बिहार राइट फ्री स्टेट हो गया है। पुलिस एक टेलीफोन पर घटनास्थल तक पहुंच जाती है। आप कहते हैं, आप हमारे यहां देखिए एम०एल०ए० को एरेस्ट किया और आपके एक मंत्री बलात्कारी मंत्री आज भी सरकार में है। वहां पार्लियामेंट में हंगामा होता रहा, लेकिन आपने उसको बर्खास्त करने की हिम्मत नहीं की। आप उनलोगों के साथ चले गये जो आयेदिन पाकिस्तान विरोधी नारा लगाता है। अफजल गुरू को अपना आइडियल समझता है, उनके साथ मिलकर आप काश्मीर में सरकार बनाते हैं, अपना पीठ आप अपने थपथपाते हैं। आपने कहा कि 56 इंच का हमारा सीना है, पाकिस्तान हमारी एक भी सेना का सिर काटकर ले जायेगा तो हम चार का लायेंगे। आज जाकर उसके यहां बिरयानी मुर्गा खाते हैं, क्या तरीका है, क्या प्रिंसिपल है आपकी, क्या नीति है आपकी ? जो हमारी इज्जत पर हमला करता है, हमारे सैनिकों को डिमोरलाइज करता है और आप उसके घर जाकर दावत उड़ाते हैं।

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : आप आसन की ओर देखकर बोलिये।

श्री मो० नेमतुल्लाह : महोदय इस पैसे का परमीशन देना अति आवश्यक है, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने परमीशन के लिए विनियोग लाया है, चूंकि विकास करना है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से सुशासन का राज चल रहा है और सात निश्चय जिस तरह से उन्होंने कहा है उसको पूरा करने के लिए पैसा खर्च करना जरूरी है। अगर आप पैसा खर्च नहीं करेंगे तो विकास नहीं करेंगे। दिल्ली सरकार हमारे पैसे में कटौती कर रही है। आज 60 परसेंट, 40 परसेंट का रेशियो लगा दिया है, बिहार में विकास के लिए उसको खजाना खोल देना चाहिए। महोदय,

शीशे के अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिल ही महाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महोदय, यह हाल है। आज जो सात निश्चय है। आज स्टूडेंट्स के लिए क्रेडिट कार्ड- जो लड़के पढ़ नहीं पाते थे, बाहर हायर एजुकेशन नहीं ले पाते थे, बाहर नहीं जा पाते थे उनको क्रेडिट कार्ड दिया माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस सरकार ने, उसके लिए सरकार को पैसे की जरूरत है। शराबबन्दी को लागू किया, इस राज में 80 परसेंट क्राइम घट जायेगा, अगर शराबबन्दी लागू होगा। महोदय, इसलिए यह बहुत बड़ा कदम है इसके लिए पैसे की जरूरत है। हम खर्च करेंगे, विकास करेंगे। महोदय, स्पेशल स्टेटस देना लाजिमी है। आप यहां से मिलकर सबलोग एकमत होकर प्रस्ताव पास किया था स्पेशल स्टेटस के लिए, लेकिन वहां पेंडिंग पड़ा हुआ है, आप क्यों नहीं दे हैं, यह विकास के लिए जरूरी है। महोदय, आप सिर्फ मन की बात करते हैं, जनता की बात तो करते नहीं हैं, जनता की बात कीजिए और जनता की बात कीजिए और सरजमीन पर उसको उतारिए, जमीन पर देखना चाहती है जनता कि हमारी केन्द्र सरकार.....

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : अब आप बैठ जाइये, आपका समय समाप्त हुआ।

श्री मो० नेमतुल्लाह : आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : महोदय, आपने और इस सदन के सम्मानित हमारी पार्टी के नेता के द्वारा जो हमें विनियोग विधेयक पर बोलने के लिए मौका दिया गया है, मैं समय देने के लिए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। महोदय, बिहार की जनता महागठबंधन के पक्ष में एक अद्भुत और ऐतिहासिक श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनादेश दिया है, इसके लिए मैं बिहार की जनता को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। मैं इस सदन के माध्यम से बिहार की जनता को संदेश भी देना चाहता हूँ कि आप जिस आशा और विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया है आपके उस भरोसे को कदापि बिहार सरकार टूटने नहीं देगी, जो भरोसा आपने किया है वह भरोसा रखिये। आज बिहार सरकार विकास में आम नागरिकों की भागीदारी बढ़ाते हुए, उनकी समस्या और उनकी शिकायतों के निराकरण के लिए नये कानून बनाने के साथ और साधनहीन एवं विकास से वंचित वर्गों को प्राथमिकता देते हुए मुख्य धारा से जोड़ने का अहम फैसला किया है। बिहार सरकार की कृषि रोड मैप, मानव विकास मिशन, कौशल मिशन, आधारभूत संरचना और औद्योगिक प्रोत्साहन एवं निवेश की जो नीतियां एवं कार्यक्रम है यह बिहार को आगे बढ़ाने में मजबूती प्रदान कर रही है। आज बिहार में चौमुखी विकास हो रहा है, न्याय के साथ विकास का संकल्प दोहराते हुए आगामी पांच वर्षों में बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए 2015-20 के कार्यक्रम तैयार कर संपूर्ण राज्य में लागू करने

का निर्णय लिया गया है। महोदय, सरकार के द्वारा जो विकसित बिहार के लिए सात निश्चय किये गये हैं- पहला निश्चय आर्थिक हल, युवाओं का बल- इस निश्चय में युवाओं को 2015, 2016, 2017 में पंजीकरण कराकर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 4 लाख की शिक्षा ऋण.....क्रमशः।

टर्न-16/अशोक/29.03.2016

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : क्रमशः रोजगार तलाशने के लिए एक हजार प्रति महीना स्वयं सहायता भत्ता देने का सरकार ने निर्णय लिया है ।

दूसरा निश्चय सरकार ने लिया है कि “अवसर बढ़े आगे बढ़े ।”

तीसरा निश्चय-“आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार ।” इस निश्चय के तहत महिला सशक्तिकरण की मुहिम को आगे बढ़ाते हुये राज्य सरकार ने सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है, आम फैसला लिया है ।

चौथा निश्चय-“हर घर को बिजली लगातार ।” ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए, बुनियादी सुविधा के लिए, आवश्यकता है मानवीय विकास के लिए, मानव विकास के लिए, हर जगह मनुष्य को आवश्यकता है बिजली की, इसके लिए हर गांव एवं टोले में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण किये जायेंगे ।

पांचवा निश्चय जो है वह है “हर घर नल का जल ।” गांव एवं शहर के सभी घरों में पाईप जलापूर्ति योजना से जोड़कर स्वच्छ पेय जल लोगों को उपलब्ध कराने का सरकार ने निश्चय किया है ।

छठा निश्चय है- “हर घर तक पक्की गली ।” जनता की बुनियादी सुविधा के लिए आधारभूत संरचना का सृजन के कार्यों को आगे बढ़ाते हुये राज्य सरकार का छठा निश्चय है ।

सातवा निश्चय- “शौचालय ।” शौचालय का निर्माण घर का सम्मान । खुले में शौच हमारी सभ्यता और विकास के लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, इसके समाधान के लिए सरकार ने सातवा निश्चय “शौचालय निर्माण, घर का सम्मान ” का संकल्प लिया है।

महोदय, मैं माननीय विपक्षी सदस्यों से पूछना चाहता हूँ कि इसके बाद भी कोई विकास का काम बचता है क्या ? आजादी के 69 साल में बिहार ने जो मुकाम हासिल किया है, ऐसा विकास जिसमें हर गांव को स्मार्ट बनाने का बीड़ा मा. मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उठाया है । इनका कार्य अद्भुत एवं बेमिसाल है।

चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के सदस्य हों, सभी के गांव में, सम्पूर्ण गांव में सात निश्चय के माध्यम से बिहार को विकसित करना है ।

सात समुद्र पार विश्व की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका, जो पूरी दुनिया को दिशा दे रही है, वह भी बिहार की गति को देखकर, बिहार का विकास को देख कर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को सराहा है ।

मैं विपक्षी सदस्यो से पूछना चाहता हूँ कि जब ये बच्चे की पढ़ाई की बात करते हैं तो ये शिक्षक की जाति और उसके धर्म को देखते हैं, जब ये डाक्टर से दिखाने जाते हैं तो देखते हैं कि डाक्टर किस जातिके हैं, किस धर्म का है । देखते हैं तो डाक्टर की योग्यता को देखते हैं ठीक उसी प्रकार हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को देखना चाहिए, उनके कार्य क्षमता को देखना चाहिए, उनकी कार्य क्षमता को सारी दुनिया ने लोहा माना है । मैं इनसे पूछना चाहता हूँ और मैं बतलाना चाहता हूँ और इनको एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूँ:

खुदारी ऐसी जो कि खुद पे नाज कर सके,

वफादारी ऐसी हो जो मतलब परस्ती को साफ कर सके ।

बड़ी किस्मत से मिला है अच्छे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ।

विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी को आप लोग साथ दीजिए, विकास की गति में भाग लीजिए । मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपलोगों को धन्यवाद देता हूँ ।

श्री विजय शंकर दूबे : सभापति महोदय, आज सदन में राज्य के यजस्वी विद्वान वित्त मंत्री ने बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2016 जो पेश किया है ओर सदन के समक्ष खर्च करने की अनुमति मांगने के लिए विधिवत लाया है विधेयक सरकार की ओर से, इस विधेयक का औचित्य और आवश्यकता पोपुलर सरकार को नैतिक हक है । महोदय, 2015 में जो मैनडेट जनता का मिला है, इस सरकार को, महागठबन्धन की सरकार को, जदयू, राजद और कांग्रेस की सरकार, यह है महागठबन्धन की सरकार और इसको राज्य की जनता ने मैनडेट दिया है, इसलिए सदन से मांगने का नैतिक हक है और हक इसलिए भी है, सरकार खर्च करने की चाबी मांगना चाहती है क्योंकि प्रत्येक पंचायतो में राज्य सरकार हाई स्कूल, स्कूलों में साईकिल योजना, बिहार के भूमिहीनों को पांच डिसमिल जमीन, सम्पर्क विहीन टोले को सड़क योजना के अन्तर्गत जोड़ने का स्कीम और सड़क के लिए ली जाने वाली जमीन को चार गुणा भुगतान करने का वादा सरकार ने किया है, डिग्री कॉलेज अनुमण्डल में, पॉलिटेक्निक कॉलेज जिला स्तर पर, छात्रों की छात्रवृत्ति महोदय और समतामूलक समाज जब राज्य के छात्र और छात्रायें सड़क पर एक ड्रेस में निकलती हैं, चाहे वह गरीब मजलूम की लड़की हो या बेटा हो, समतामूलक समाज दिखलाई पड़ता है,

इसलिए इस सरकार को नैतिक हक है खर्च करने की, अनुमति मांगने की सदन से। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को कहना चाहता हूँ कि ये तो हैं विपक्ष में, विपक्ष में है तो विरोध तो करना चाहिए, विरोध नाम का करते हैं- यही लोग जब सत्ता में शामिल थे महोदय, तो नीतीश कुमार जी को देखने के इनके चश्मा दूसरे थे और नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी के नेता प्राईम मिनिस्टर मटेरियल कहा करते थे, आज इनका दृष्टिकोण विपक्ष में चले गये, नीतीश जी ने छोड़ा तो ये इनका दृष्टिकोण बदल चुका है ।

महोदय, जब भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य बोल रहे थे, कह रहे थे कि मनमोहन सिंह की हुकूमत ने धनराशि- मैं याद दिलाना चाहता हूँ, माननीय सदस्य देखेंगे 10 साल की मनमोहन सिंह की कांग्रेस हुकूमत, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व में, मार्ग-दर्शन में जो धन राशि बिहार को और बिहार सहित गरीब राज्यों को जो उपलब्ध कराया आज मोदी जी की सरकार उस पैसे में कटौती कर रही है, योजनाओं में कटौती की जा रही है, इसलिए कांग्रेस की बराबरी और कांग्रेस हुकूमत की बराबरी- ये हुकूमत नहीं कर सकती ।

महोदय, अब मैं दो-तीन समस्याओं की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ । बिजली मंत्री जी नहीं है, महोदय, इस राज्य में कडेस्टल सर्वे 1902 में हुआ, इसके बाद 1962 में रिविजनल सर्वे हुआ और 12 से लेकर 17 तक विशेष सर्वे चलता रहा, इस सर्वे के बावजूद, राज्य के जो टोले हैं, छोटे-छोटे जो टोले हैं, उनका बिजलीकरण नहीं हुआ । ठीकेदार कहता है कि हमको जो सूची दी गई है, उस मैप में यह टोला नहीं है । बिजली मंत्री जी नहीं है, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप नोट करके दे दें- वैसे टोले हमारे विधायक साथी जो लिखकर देते हैं, जो टोले पहले बीस घर के थे, वे आज बढ़कर पचास घर के हो गये हैं, वहां विद्युतीकरण प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाना चाहिए । महोदय, हम ऐसे जिला से आते हैं, जहां उत्तरप्रदेश के लोग आकर बस गये हैं, जो तीन साल से ज्यादा से हैं, वोटर लिस्ट बिहार में नाम अंकित हो गया, कटाव में उनकी जमीन चली गई है, वैसे लोगों के टोलों को छोड़ा जा रहा है, उत्तरप्रदेश के लोग अब तो हमारे वोटर हो गये, राशन कार्ड, बिहार सरकार ने, नीतीश जी की हुकूमत ने दिया है, वे बिहार सरकार की सारी सुविधाओं को ले रहे हैं, विद्युत की सुविधा मिलनी चाहिए और ऐसे टोलों को प्राथमिकता के आधार पर बिजलीकरण किया जाना चाहिए । महोदय, नगर विकास मंत्री नहीं है, उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि 4एम.-116 पटना में बहादुरपुर हाऊसिंग कॉलनी में सरकार ने अनेक जगहों पर पार्क का निर्माण किया है, 4 एम.-116 में भी एक पार्क का

निर्माण हो जाय । अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ और वह ये कि अनुमण्डल स्तर पर

सभापति(श्री रामनारायण मंडल): विजय बाबू आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री विजय शंकर दूबे : बस-बस, एक मिनट । अनुमण्डल स्तर पर पहले मॉनेटरिंग हुआ करती थी, वित्त मंत्री जी आप भी उसके गवाह हैं, अनुमण्डल स्तर पर उस जिले के या उस अनुमण्डल के सीनियर विधायक हुआ करते थे, किसी दल के, उनके चेयरमैनशिप में जो मुख्यमंत्री की विभिन्न योजनायें चल रही थीं या उस अनुमण्डल में चलने वाले राज्य सरकार की जितनी योजनायें थीं, केन्द्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा तो एम.पी. करते हैं क्रमशः

टर्न-17-29-03-2016-ज्योति

क्रमशः

श्री विजय शंकर दूबे :लेकिन अनुमंडल स्तर पर माननीय सदस्य जो वरीय होते थे उनकी अध्यक्षता में कमिटी रहती थी , उससे मौनितरिंग होती थी उसको पुनर्जीवित करने की जरूरत है ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : अब आप बैठ जायं ।

श्री विजय शंकर दूबे : इन मांगों के पूरा करने का आग्रह करता हूँ और इसके साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आसन से इस विनियोग विधेयक पर बोलने के लिए नाम पुकारा ।

श्रीमती मंगीता देवी : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में सरकार द्वारा विनियोग विधेयक लाया गया है । मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार का वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए सदन में प्रस्तुत किए गए बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हूँ ।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ एवं इसके साथ ही सदन के माध्यम से मैं अपने नेता सामाजिक न्याय एवं धर्मनिर्पेक्षता के प्रतीक परम आदरणीय, श्री लालू प्रसाद यादव जी एवं हमलोगों की राजमाता श्रीमती राबड़ी देवी जी का आभार प्रकट करती हूँ । माननीय सभापति महोदय, किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन की पहचान में

बौद्धिक विरासत के साथ साथ कला, पर्व-त्योहार, मेले उत्सव और लोगों के सामान्य रहने का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिहार की कलात्मक सम्पदा प्राचीन, बहुआयामी एवं समृद्ध है। बिहार ने वैदिक काल से आज तक दर्शन एवं कला स्थापत्य के संदर्भ में समस्त भारत को मार्गदर्शन प्रदान किया है। बिहार सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें बिहार के सर्वांगीण विकास एवं राज्य के राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार द्वारा वर्तमान बजट में खेलों के माध्यम से युवाओं के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है। बजट में ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों के लिए सम्मान स्वरूप पुरस्कार देने की व्यवस्था की गयी है। राज्य के अंदर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करने का निर्णय लेना, खिलाड़ी कल्याण कोष की स्थापना करना तथा मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत राज्य के सभी 534 प्रखंडों में क्रमशः आउटडोर स्टेडियम निर्माण करने की योजना बनाना सरकार का सराहनीय प्रयास है।

माननीय सभापति महोदय, आज हमारे राज्य बिहार के कुछ जिले नक्सल प्रभावित हैं। सरकार नक्सल प्रभावित जिलों में खेल कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से युवा पीढ़ी को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए संकल्पित है। वास्तव में गुमराह हो रहे, इन युवकों को, अगर हम मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे तो राज्य में अमन चैन का वातावरण बनाना मुश्किल होगा। मैं सीतामढ़ी जिलान्तर्गत 29, रुन्नी सैदपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ। हमारे क्षेत्र में भी प्रशासन द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज पूरी दुनिया के देशों में क्रिकेट लोकप्रिय है। बिहार के क्रिकेट प्रेमियों के लिए राजगीर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण किए जाने की योजना सरकार का प्रशंसनीय कदम है।

माननीय सभापति महोदय, खेल का उद्देश्य शारीरिक श्रम एवं स्वास्थ्य रहता है। खेलों के जरिए समाज और लोगों को स्वस्थ रखा जा सकता है। आज वे देश और समाज ज्यादा खुशहाल और स्वस्थ है जहाँ लोगों के जीवन में खेलों की अनिवार्य भूमिका है। खेल द्वारा युवाओं को कर्मण्य बनने की प्रेरणा दी जाती है। अकर्मण्य व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है।

राष्ट्रकवि स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर ने अपने महाकाव्य 'कुरुक्षेत्र' में ठीक ही लिखा है --

“अकर्मण्य वह पुरुष, काम किसके कब आ सकता है,
मिट्टी पर कैसे वह, कोई कुसुम खिला सकता है।”

माननीय सभापति महोदय, बिहार का अतीत बहुत ही समृद्ध और गौरवशाली रहा है। बिहार की संस्कृति एवं मानव प्रतिभा अभिनव रूपों में व्यक्त होती रही है, जिससे सारा विश्व लाभान्वित हुआ। यही अध्यात्म एवं दिव्य ज्ञान की रश्मियाँ फूटी। यहाँ जनक सीता एवं बाल्मिकी के पावन चरणों ने विचरण किया था। इस भूमि ने दुनिया को पहला गणतंत्र दिया और सत्ता में जनता की भूमिका को उजागर किया। इसी स्थान से सारी मानवता को 'सत्य अहिंसा' एवं 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का संदेश मिला। बोध गया के अमर वृक्ष के नीचे समाधिस्थ सिद्धार्थ को यहीं आत्मज्ञान मिला। यहीं सम्राट अशोक ने अहिंसा की दीक्षा ली थी। यहीं मिथिला की अमराई में मैथिल कोकिल विद्यापति कूके थे। बिहार आदि काल से विभिन्न धर्मों की शरणस्थली रहा है। इस्लाम के दिव्य स्थान बिहारशरीफ, फुलवारीशरीफ एवं मनेर शरीफ यहीं अवस्थित हैं।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : अब आप बैठ जाइये।

श्रीमती मंगीता देवी : एक मिनट महोदय। यहीं वीर कुर्वर सिंह ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व शौर्य का प्रदर्शन किया और अपनी आहुति दी थी।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : ठीक है, बहुत अच्छा बोलीं, अब आप बैठ जाइये।

श्रीमती मंगीता देवी : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का युद्ध इसी धरती पर छेड़ा था। एक मिनट सर, अंत में सभापति महोदय मैं सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर ले जाना चाहती हूँ। मैं सरकार से आग्रह करना चाहती हूँ कि मेरे रुन्नीसैदपुर प्रखंड में एक स्टेडियम का निर्माण कराया जाय और आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं पुनः आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ।

श्री रत्नेश सादा : माननीय सभापति महोदय, 25 फरवरी से 4 अप्रैल तक, 51 मांगों की बजट भाषण एवं विनियोग विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ तथा विपक्ष के द्वारा लाए गए विनियोग विधेयक - कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, नीतीश कुमार के नेतृत्व, लालू की अगुआई और माननीय वित्त मंत्री की कुशल प्रबंधन और महागठबंधन की सरकार की ओर से जो भी 51 मांगें पेश की गयी हैं उसके पक्ष में मैं बोल रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, मार्च, 2017 तक के लिए बिहार राज्य के संचित निधि से कुल 1451 अरब, 88 करोड़, 28 लाख, 29 हजार रुपये की निकासी की स्वीकृति के लिए आज विनियोग विधेयक लाया गया है। महोदय, मैं कबीर की वाणी से, विपक्ष के भाईयों से कहना चाहूँगा कि आज बिहार जैसे गरीब राज्य जिसकी हकमारी कर रहे हैं। बिहार के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। मनरेगा, इन्दिरा आवास, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, सर्वशिक्षा अभियान, ये

जो भी विभाग है महोदय, उसमें इनके केन्द्र सरकार की नीति है कि 60 परसेंट केन्द्र सरकार देगी और 40 प्रतिशत बिहार सरकार देगी लेकिन इससे पूर्व की सरकार में 90 प्रतिशत राशि केन्द्र देती थी और 10 प्रतिशत बिहार को लगाना पड़ता था लेकिन इन विपक्षियों के द्वारा, इनकी केन्द्र सरकार द्वारा जो गरीब पर अत्याचार किया गया है उसी की एक कबीर की पंक्ति है -

कबीर गरीब की आह, हरि से सहा नहीं जाय,
गरीब की आह हरि से सहा नहीं जाय,
जैसे मरे हुए चाम से लोहा भस्म हो जाय ।

महोदय, ये जो बिहार के साथ, गरीब बेबस के साथ, लाचार के साथ जो नाइंसाफी कर रहे हैं - 60 प्रतिशत केन्द्रांश और 40 प्रतिशत बिहार को देना पड़ता है । बिहारियों के ऊपर जो केन्द्र सरकार का, बिहार सरकार पर बोझ पड़ रहा है ये आह इनको कभी माफ नहीं करेगा । गरीब की आह इनको माफ नहीं करेगी । महोदय, रामायण में कहा गया है कि

गरीब सतायो तीन गयो धन, धर्म और वंश,
नहीं मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस ।
(व्यवधान)

श्री रत्नेश सादा : **XXX**

महागठबंधन के पहले, चुनाव से पहले ये कहते थे कि भाई जंगल राज । जंगल राज में कौन रहता है जानते हैं ? अरे भाई, जंगल में कौन रहता है ? शेर रहता है, भालू रहता है, बंदर रहता है और जंगल के आदमी की जरूरत पड़ी थी, श्री राम को ।

क्रमशः

XXX- इस अंश को आसन के आदेशानुसार विलोपित किया गया ।

टर्न-18/विजय/29.03.16

श्री रत्नेश सादा: ...क्रमशः... जिस राम ने भालू, बंदर और शेर का सहारा लिया था ।

(इस अवसर पर भाजपा के मा० सदस्यगण कुछ कहते हुए सदन के वेल में आ गए)

(व्यवधान)

सभापति(श्री राम ना० मंडल): माननीय सदस्य रत्नेशजी, किसी भी देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से नहीं कहना चाहिये । प्रोसीडिंग में नहीं जायेंगी ये सब बातें ।

(व्यवधान)

बाहर करा दिया ।

श्री रत्नेश सादा: मैं इनसे पूछना चाहता हूँ इनके लोगों से पूछना चाहता हूँ जो इन्होंने अनुसूचित जाति की योजनाओं को बंद कराने का काम किया है, महोदय बी०आर०जी०एफ० योजनाओं को बंद करने का काम किया है मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आज ये मनुवादी लोग, हमलोगों से छूआछूत की भावना रखते हैं । मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ।

(इस अवसर पर मा० अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्री रत्नेश सादा: अध्यक्ष महोदय, जब 2013 में 16 अप्रैल को ये हमसे अलग हुए थे इन्होंने मिड डे भोजन में जहर डालने का काम किया था ।

(व्यवधान)

महोदय, आजादी से लेकर जब से आदम जमाना हुआ था कभी तालाब में जहर मिलता था, कभी चापाकल में जहर मिलता था ।

अध्यक्ष: आपका समाप्त हो गया । बैठ जाइये आप । आपका समय समाप्त हो गया । बताइये, नेता, प्रतिपक्ष कुछ बोल रहे थे ।

श्री प्रेम कुमार: महोदय, जिस तरह भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है प्रधानमंत्री जी के बारे में महोदय हम चाहेंगे कि..

अध्यक्ष: प्रधानमंत्री के बारे में कोई भी अससंदीय या गलत बात होगी उसे प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाय ।

श्री प्रेम कुमार: आपत्तिजनक शब्द का महोदय प्रधानमंत्री जी के बारे में इस्तेमाल किया गया है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री गुलाब यादव ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार: महोदय, ये क्या बोलेंगे ।

अध्यक्ष: गुलाब यादव जी पहली बार बोल रहे हैं बोलने दीजिये ।

श्री प्रेम कुमार: गंभीर मामला है महोदय, खड़ा होकर खेद तो प्रकट करें ।

अध्यक्ष: प्रोसीडिंग अपने आप में काफी है ।

श्री गुलाब यादव: महोदय, हमको बोलने का मौका मिला है । इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है । महोदय, मैं सभी सदस्यों से आग्रह करता हूँ कृपया बी0जे0पी0 वाले ध्यान देकर सुनें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: असंसदीय शब्द प्रोसीडिंग से निकाल दिया गया ।

श्री गुलाब यादव ।

श्री गुलाब यादव: इन बी0जे0पी0 वालों का काम है सिर्फ हल्ला करना महोदय । जब बोलने का मौका किसी सदस्य को आता है महोदय तो बी0जे0पी0 वाले हमेशा बीच में डिस्टर्ब करते रहते हैं । मैं सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ महोदय ।

(व्यवधान)

महोदय, मैं सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ । महोदय, जो वित्त बिल पेश हुआ है सभी विभाग का निवेदन पूर्वक कहना है कि सभी विभाग का खर्च करने का आदेश दिया जाय महोदय । महोदय, हमेशा बी0जे0पी0 वाले कहते हैं अच्छे काम करने के लिए ये हमेशा हल्ला करते हैं महोदय । बी0जे0पी0 वाले भाई शांति पूर्वक सुनें हम पहली बार बोल रहे हैं मुझे बहुत खुशी होगी । महोदय, ये बी0जे0पी0 वाले हमेशा कहते हैं जंगल राज, जंगल राज । महोदय, माननीय प्रधानमंत्री कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं । कहां गए अच्छे दिन । महोदय, इन्होंने हमेशा कहा कि दो करोड़ रोजगार देंगे । हमारे बच्चे रोज पूछते हैं कि कब रोजगार देने वाले हैं प्रधानमंत्री । महोदय, हमेशा बी0जे0पी0 वालों ने ठगने का काम किया है । ये बी0जे0पी0 वाले हमेशा फोटो खिंचाने के चक्कर में खड़ा होते हैं । पहली बार हमें बोलने का मौका मिला है महोदय, बी0जे0पी0 वाले शांतिपूर्वक सुनें तो मुझे खुशी होगी महोदय । महोदय, मैं सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ । सरकार का जो बजट पास हुआ है महोदय उसको सरकार को खर्च करने की अनुमति दी जाय महोदय। पहली बार बोलने के लिए खड़ा हूँ उसके लिए सबको अभिनंदन करते हैं महोदय । माननीय लालू जी, माननीय नीतीश कुमार, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ महोदय कि हमको इस मंजिल तक लाये हैं । महोदय, बी0जे0पी0 वाले अपनी हार स्वीकार नहीं करते हैं । पिछले हारने के बाद भी बी0जे0पी0 वाले बोलते हैं कि नहीं इस बार इनको आया 53 महोदय । जनता के विरोधी हैं महोदय । इनका 53 से 3 पर आया महोदय । ये

लोग जनता के हित में काम नहीं करते हैं । जनता की बात रखने के लिए ये लोग बीच में अपना फोटो खिंचाने के लिए खड़े हो जाते हैं । सदन को चलने नहीं देते हैं महोदय । इनको जनता जरूर सबक सिखायेगी महोदय बी0जे0पी0 वाले को । महागठबंधन की सरकार है, सरकार की पूरी बहुमत है। इनलोगों को बरदास्त नहीं हो रहा है विपक्ष में बैठकर बोलने की । अब देखिये महोदय हमको बोलने का मौका मिला महोदय बोलने नहीं दिया जा रहा है ।

अध्यक्ष: ठीक है । श्री महबूब आलम ।

(व्यवधान)

श्री रत्नेश सादा: ठीक है महोदय, हमको बोलने का मौका मिला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री महबूब आलम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और मुझे खेद है कि पैसे खर्च नहीं हो पाए हैं, सरकार पैसा खर्च नहीं कर पा रही है । ये एक चिंता की बात है महोदय । मैं चाहता हूं पैसा दिया जाय लेकिन पैसा खर्च करने की गारंटी भी हो । महोदय, किसानों के धान की खरीद नहीं हो पाई बीज नहीं दे पाया गया । महोदय, वित्त रहित महाविद्यालयों का सरकारीकरण नहीं किया जा रहा है । वित्त रहित महाविद्यालयों का सरकारीकरण किया जाय । न्यूनतम मजदूरी की गारंटी किया जाय । मद्रसा शिक्षकों को सरकारी वेतन दिया जाय । आशा आंगनबाड़ी कर्मियों को सरकारीकरण किया जाय । रसोइयों को नियोजन वेतन दिया जाय, उचित वेतन दिया जाय । और गरीबों की जानमाल की हिफाजत हो महोदय । महोदय, अरबों खरबों रूपया होम विभाग में खर्च हो रहा है मैं देख रहा हूं गरीबों का अरबों खरबों रूपया होम डिपार्ट को दिया जा रहा है लेकिन मैं देख रहा हूं इस गरीब प्रदेश में गरीबों की सुरक्षा नहीं हो रही है । महोदय, मैं चाहता हूं कि जो अरबों की योजनाएं हैं उनको पूरा किया जाय । महोदय, किसानों की जमीन जो हासिल की गई है उसे उचित मुआवजा दिया जाय । इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री ललन पासवान बोलियेगा?

(व्यवधान)

श्री ललन पासवान: महोदय, सरकार पैसा नहीं खर्चा कर पा रही है । विनियोग विधेयक में अनुसूचित जाति जन जाति के छात्र छात्राओं का 12 लाख छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति नहीं दी गयी । राज्य में 90 प्रतिशत विभाग है जहां कि विभागों का पैसा खर्चा नहीं किया गया 40 प्रतिशत से ज्यादा पैसे खर्च नहीं किये जाते हैं सरकार पैसा खर्च करने में अक्षम साबित हो रही है । चाहे छात्रवृत्ति का मामला हो, सड़क का मामला हो, चाहे जिस सवाल पर हो सरकार पूरी तरह फिसड़ी है । सरकार दलितों के

सवाल पर आरक्षण का मामला हो, सिंचाई का मामला हो सब जगह पूरी तरह से सरकार फिसड़ी साबित हो रही है। यह सरकार दलितों के सवाल पर पूरी तरह काम नहीं कर पा रही है इसलिए सरकार के इस विनियोग बजट में दलितों के बेरोजगारी का सवाल हो, लाल कार्ड की बात हो सभी जगह वादा खिलाफी है।

(व्यवधान)

टर्न-19/राजेश/29.3.16

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार:- महोदय, आज सदन में प्रधानमंत्री जी के प्रति अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए आपसे आग्रह है महोदय कि माफी वे मांग ले।

(व्यवधान)

अध्यक्ष:- माननीय नेता प्रतिपक्ष प्रेम बाबू, अगर माननीय सदस्य ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, उसको सदन की कार्यवाही से निकाल देना ही सदन के द्वारा इसकी अस्वीकार्यता है, इसलिए वह तो हो गया.....(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार:- महोदय, माफी तो मँगवाइये।

अध्यक्ष:- इसलिए अब सभी माननीय सदस्यों को अपनी सीट पर बुला लीजिये।

श्री प्रेम कुमार:- महोदय, हमारा सदन से आग्रह है.....(व्यवधान)

अध्यक्ष:- देखिये, माननीय सदस्य के द्वारा जो अगर असंसदीय बात कही गयी है, असंसदीय शब्द कहा गया है, तो इसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा.....(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार:- महोदय, इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो लेकिन सत्तापक्ष के द्वारा लगातार असंसदीय भाषा का जो प्रयोग किया जा रहा है, इसके लिए हमलोगों को काफी तकलीफ है और खासकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस तरह से माननीय सदस्य ने चर्चा किया है.....(व्यवधान)

जिस शब्द का प्रयोग किया है महोदय, इसलिए हमलोगों की नाराजगी है, इसलिए हमलोग आपसे आग्रह करते हैं कि वे मात्र माफी मांग ले।

अध्यक्ष:- प्रेम बाबू आप पुराने सदस्य हैं, सदन की यही परम्परा रही है कि अगर कोई सदस्य असंसदीय भाषा बोलते हैं, तो उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाता है, यही परम्परा रही है.....(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार:- महोदय, इसी सदन में माफी भी मांगी गयी है।

श्री श्रवण कुमार:- अध्यक्ष महोदय, पहले नेता विरोधी दल अपने माननीय सदस्यों को अपनी जगह पर तो ले जायं.....(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार:- महोदय, पहले माननीय सदस्य माफी मांगें, जब तक माफी नहीं मांगेंगे, तो ऐसे ही हमलोग चलने देंगे। इसलिए हर हालत में हम चाहेंगे कि माननीय सदस्य माफी मांगें..... (व्यवधान)

अध्यक्ष:- माननीय नेता प्रतिपक्ष, अब तो सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया है, यही परम्परा रही है।

श्री प्रेम कुमार:- महोदय, आप हमलोगों के संरक्षक हैं, हम आपकी भावना का सम्मान करते हैं लेकिन जो घटना घटी है, जिससे हमारे सदस्य आहत हुए हैं, काफी आपत्तिजनक बात सत्तापक्ष के माननीय विधायक ने कहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष:- अब सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(स्थगन)

टर्न-20/कृष्ण/20.03.2016

(स्थगन के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण,

अब सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। हम सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करेंगे कि अनावश्यक उत्तेजना फैलानेवाली बात न करें। सदन सुचारू रूप से चले। मैं बराबर माननीय सदस्यों से आग्रह करता रहा हूँ कि अगर सदन में व्यवधान होता है तो उससे पूरे सदन की मर्यादा पर असर पड़ता है। इसलिए कोई माननीय सदस्य ऐसी बात न करें।

अब विनियोग विधेयक पर माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग।

सरकार का उत्तर

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, आज विनियोग विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव है। करीब 11 माननीय सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया और अपना-अपना पक्ष रखा। श्री नितिन नवीन जी ने बहस की शुरूआत की। मगर संयोग से उन्होंने जिन सवालों को उठाया, उन सवालों का जवाब सुनने के लिये यहां उपस्थित नहीं है। श्री नितिन नवीन, श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन, श्री राज किशोर सिंह, श्री रामदेव राय, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री मो0नेमतुल्लाह, श्री उमेश सिंह कुशवाहा, श्री विजय शंकर दूबे, श्रीमती मंगीता देवी, श्री रत्नेश सादा एवं श्री गुलाब यादव ने अपने-अपने पक्ष को रखा।

महोदय, सदन अवगत है और आप भी जानते हैं कि 26 फरवरी, 2016 को बिहार विधान मंडल में वित्तीय वर्ष 2016-17 का बजट उपस्थापन किया गया और उसके बाद दिनांक 4 मार्च से लेकर 28 मार्च यानी कल तक विभिन्न विभागों की मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई, माननीय सदस्यों ने उन चर्चाओं में पार्टिसिपेट किया, माननीय मंत्री का उत्तर हुआ और फिर वे मांगे पास हुई। अब यह सवाल उठता है कि जब सभी डिपार्टमेंट के मांग पारित हो गये तो फिर आज इस विनियोग विधेयक की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता इस वजह से है महोदय, कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदानों की मांगों के लिये जो राशि विभिन्न मांगों में प्रस्तावित है उनमें मांगों के पारित होने के उपरांत समेकित निधि से राशि की निकासी हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद-2004 के अन्तर्गत विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाना

अपेक्षित है, जो हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है और माननीय सदस्यों ने इस पर चर्चा की ।

महोदय, जो मांग भारित श्रेणी में आते हैं, उसे विनियोग कहा जाता है और उसके लिये राशि स्वीकृत होती है । वह राजस्व एवं पूंजीगत की अलग-अलग श्रेणियों में मतदेय होते हैं एवं भारित चार्ज के रूप में विनियोग विधेयक अलग-अलग प्रदर्शित किया जाता है । वर्ष 2016-17 के बजट के लिये कुल राशि 1451,88,28,19,000/- (चौदह सौ एकावन अरब अठासी करोड़ अठाईस लाख उन्नीस हजार) रुपये की है, जिसमें राजस्व मद में 1104,32,78,87,000/- (ग्यारह सौ चार अरब बत्तीस करोड़ अठहत्तर लाख सत्तासी हजार) रुपये एवं पूंजीगत मद में 347,55,49,32,000/- (तीन सौ सैतालीस अरब पचपन करोड़ उनचास लाख बत्तीस हजार) रुपये की राशि की निकासी प्रस्तावित है ।

महोदय, भारित के रूप में राजस्व मद में 19,03,45,96,000/- (उन्नीस अरब तीन करोड़ पैतालीस लाख छियानबे हजार) रुपये और पूंजी मद में 40,74,29,66,000/- (चालीस अरब चौहत्तर करोड़ उनतीस लाख छियासठ हजार) रुपये प्रस्तावित हैं । विनियोग विधेयक में प्रावधानित सकल ग्राँस राशि को प्रदर्शित किया गया है जबकि वार्षिक वित्तीय विवरणी में नेट राशि दिखलायी जाती है।

महोदय, विनियोग विधेयक में, मैं बहुत ही संक्षेप में कहूंगा, मैं जो प्रस्तावित राशि है गैर योजना मद में 727,68,96,17,000/- (सात सौ सताईस अरब अड़सठ करोड़ छियानबे लाख सत्रह हजार) रुपये और राज्य योजना मद में 715,01,84,00000/- (सात सौ पन्द्रह अरब एक करोड़ चौरासी लाख) रुपये और केन्द्रीय योजनागत राशि जो है, वह 9,17,48,00000/- (नौ अरब सत्रह करोड़ अड़तालीस लाख) रुपये की है ।

महोदय, मैंने पहले भी कहा था कि यह अच्छा माना जाता है कि प्लान हेड में राशि का ज्यादा प्रावधान किया जाय और वह राशि जो खर्च किये जाते हैं, उससे राज्य का असेट क्रियेट होता है- पुल, पुलिया, सड़क, संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय वगैरह-वगैरह ।

अब महोदय, चूँकि हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य हैं नहीं यहां । अब उन्होंने जो बातें उठायी, हम तथ्य के आधार पर, कोई राजनीतिक द्वेष के कारण नहीं, हम उनको आरोपित करना चाहते हैं । मगर तथ्य के आधार पर, चूँकि नितिन नवीन जी ने कहा, अब पता नहीं कहां से आंकड़ा लाये थे या हो सकता है उनके नेता जो अभी इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उस सदन के सदस्य हैं, वित्त मंत्री वे हुआ करते थे, पता नहीं, कहीं वही पुराने आंकड़े थे वे, वही ले आये और वे पुराने

आकड़ों को पढ़ने लगे । महोदय, बजट तो अनुमानित है । मसलन आप समझिये, अगर एक घर का खर्चा चलाना है तो एक घर के खर्चों का मंथली हमारी आय क्या हैं, हमारे व्यय क्या हैं, बच्चों को पढ़ाने में कितना खर्च होगा, बीमारी में कितना खर्च होगा, वगैरह-वगैरह । यह सब अनुमानित होता है । उसी तरह साल का लोग बनाते हैं । कोई परिवार अगर राशि बचा-बचा कर हर साल का रखता है कि हमको बेटी की शादी करनी है और मान लीजिये उस साल बेटी की शादी टल जाती है, अगले साल बेटी की शादी होती है तो इस साल जहां शादी होनी थी तो उसमें पैसा बढ़ जाता है । वह पैसा लैप्स जो कह रहे हैं, वह लैप्स नहीं होता है । अब जैसे उन्होंने कहा कि 28.03.2016 तक पैसा लैप्स हो रहा है, खर्च नहीं हो रहा है, 60 ही परसेंट खर्च हुआ है। दो रोज बचा हुआ है । ये पैसे कैसे खर्च होंगे वगैरह-वगैरह । महोदय, 28.03.2016 तक सरकार की प्राप्ति लगभग 1,07,126.52 करोड़ है और व्यय जो है, वह थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, 1,02,989.46 करोड़ है। तो जहां वे कह रहे थे 60 परसेंट, 55 परसेंट और यह जो खर्चा का रेशियो है, यह अब तक का 28 तारीख तक जो व्यय हुये हैं, यह 95 फीसदी है, 95 परसेंट है। प्रोसिडिंग्स देख लेंगे या सुन लेंगे, दिनांक 28.03.2016 तक प्लान एक्सपेंडिचर लगभग 47898.77 करोड़ एवं नन-प्लान का एक्सपेंडिचर लगभग 55090.69 करोड़ है ।

(क्रमशः)

टर्न-21/सत्येन्द्र/29-3-16

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी(क्रमशः): इसी तरह महोदय जो उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष खर्च नहीं किया पैसा सरेंडर कर दिया बगैरह बगैरह। अब चूंकि वो नहीं है तो मैं बार-बार उनको कहता हूँ कि एक राजनीति में आदर्श मापदंड होता है और उस आदर्श मापदंड का पालन हम सत्ता में रहें तब भी करते हैं और जब विपक्ष में जायेंगे तब भी करते हैं। मगर सिर्फ विरोध के लिए विरोध और सिर्फ यह कह रहे हैं कि पैसा सरेंडर हो रहा है, पैसा सरेंडर हो रहा है। महोदय, वर्ष 2014-15 में राज्य का प्राप्ति जो है 93828.12 करोड़ था और व्यय हुआ ज्यादा 94698.04, आप किस तरह का आरोप लगा रहे हैं कहां से आंकड़ा ला रहे हैं कौन सा पैसा सरेंडर कर रहा है। हम सिर्फ उनको आईना दिखाने के लिए इतना ही हम उनको बोलना चाहते हैं कि अगर आप किसी पे कोई आरोप लगाते हैं तो ठोक ठका के आप आरोप लगाईए कि निरुत्तर हो जाये मंत्री। मगर जब हम अगर कोई बात बोलते हैं तो आप

उत्तेजित होकर चले आते हैं यहां और उत्तेजित होकर वहां नहीं रहते हैं वो ये इधर यहां तक आ जाते हैं तो अब मान लीजिये सत्ताधारी दल के जो माननीय विधायकगण हैं उनको हमलोगों ने कह रखा है कि संयम बरतें मगर उनकी भी तो अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अपने साईड में रहना चाहिए इधर नहीं आना चाहिए। खैर, अब उन बातों को दोहराने से कोई विशेष फायदा नहीं है फिर कहते हैं कि राशि तो आपको केन्द्र से आ रही है आपके पास तो अपनी राशि है नहीं। महोदय, यह जो आंकड़ा है मैं ये सब महोदय रख दूंगा पटल पे।

अध्यक्ष: ठीक है।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी: थोड़ा सा और महोदय । केन्द्रांश जो है 25810.86 करोड़ है और

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सदन की सहमति से सरकार के उत्तर तक सदन की अवधि विस्तारित की जाती है।

(सदन की सहमति हुई)

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी: मैंने बताया सदन को जो ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि केन्द्र ने ये राशि दे रही है, यह राशि दे रही है तो आज का जो पोजिशन है वो सदन को अवगत कराना हमारा दायित्व है, इस वजह से मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि केन्द्रांश है 25810.81 करोड़ और हमारा राशि है राज्यांश ये 23846.38 करोड़ है, थोड़ा सा का अन्तर है और ये अगेंस्ट कुल राशि जो है 49657.19 करोड़। महोदय, चूंकि राज्य की हित की बात करते हैं मगर राज्य की तरक्की पर राज्य की हित पर राज्य के विकास पर विपक्ष में रहने के कारण कैसे कुठाराघात किया जा सकता है कैसे बिहार का अहित किया जा सकता है उन बातों पर ही ज्यादा अभी का विपक्ष जो है खासकर के जो मुख्य विपक्षी दल है वो केन्द्रित है। मैंने तो कभी यह नहीं कहा, अरे भाई, जब अनुमानित बजट होता है तो कुछ लैप्स होते हैं। मैं अगर उनसे पूछता कि मान्यवर सुशील मोदी जी उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हुआ करते थे तो उस वक्त का भी फिगर जरा देख लेते और तब बोलते मगर आप महोदय हमने पहले भी कहा और अपने बजट भाषण में भी इस बात का उल्लेख किया था कि सेन्ट्रल पैटर्न जो है बदले फंडिंग का उसके वजह से कैसे बिहार जैसे अन्य राज्यों को और विशेष तौर पर बिहार को नुकसान हो रहा है। अब जैसे ये कहते हैं कि सब पैसा आ रहा है केन्द्र सरकार से मैं योजनावाइज महोदय नेशनल फूड सेक्योरिटी मिशन इसमें 100 प्रतिशत राशि मिलती थी केन्द्र सरकार से, अब हो गया 60:40, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इसमें 100 प्रतिशत मिलता था अब हो गया 60:40, नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान एग्रीकल्चर इसमें मिलता था 100 प्रतिशत अब हो गया 60:40, फिर महोदय नेशनल मिशन ऑफ आयुष इंक्लुडिंग मिशन ऑफ मेडिशिनल प्लान इसमें 100 प्रतिशत

मिलता था 60:40 हो गया। Social security for unorganized workers including rashtriya swasthaya bima yojana इसमें 100 प्रतिशत मिलता है अब हो गया 60:40, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मिलता था 100 प्रतिशत फिर अब हो गया 60:40, Sub mission on Agriculture extension इसमें 90 मिलता था अब मिलता है 60:40, महात्मा गांधी नेशनल रूलर(मनरेगा) इसमें मिलता था 90 और अब हो गया 90:10, नेशनल हौर्टिकल्चर मिशन इसमें पहले मिलता था 85:15 और अब हो गया 60:40 उसी तरह राजीव आवास योजना 80 प्रतिशत मिलता था अब हो गया 60:40, National oilseed and oil palm mission उसमें 75 मिलता था अब हो गया 60:40, National mission on sustainable agriculture इसमें पहले मिलता था 75 अब मिलता है 60:40, उसी तरह महोदय नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ स्वायल ऐंड फर्टिलिटी में 75 मिलता था अब मिलता है 60:40, इस तरह से कुल 52 योजनाएं हैं, 52 नहीं 69 योजनाएं हैं इसको मैं सदन के पटल पर रख देता हूँ। महोदय, इसमें केन्द्र सरकार ने जो फंडिंग का पैटर्न चेंज किया है उसके बजह से बिहार जैसे राज्य को नुकसान हो रहा है। महोदय, बार-बार ये लोग कहते हैं कि गुजरात, अरे गुजरात मोदी जी के जमाने में विकसित हुआ है क्या? गुजरात विकसित था पहले से और गुजरात में एक से बढ़कर एक नेता हुए और मैं एक उदाहरण फिर मैं देता हूँ। मैं बार-बार देता हूँ कि उस गुजरात में जहां से श्वेत क्रांति हुई और बर्गिश कुरियन जिसने श्वेत क्रांति किया और पूरी दुनिया को एक मिशाल दिखाया और जब नरेन्द्र मोदी जी का कार्यकाल आया तो जिस बर्गिश कुरियन को भारत रत्न मिलना चाहिए था उस वर्गिश कुरियन को इतना आजिज किया कि वो निकाल बाहर हो गये वहां से और मरने काल तक वो बड़ोदरा में रहते थे और इससे वो इतना अटैच थे कि हर दिन 30 से 40 कि०मी० खुद गाड़ी चलाकर आते थे और आनंद का बाऊंड्री बॉल देखकर चला जाय करते थे तो ये कहते हैं कि साहब हमारे टाईम में हुआ। वहां एक से बढ़कर एक नेता हुए। सरदार बल्लभ पटेल हुए, मोरारजी देसाई युनाईटेड स्टेट के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे महोदय हमारी प्रतिबद्धता जो सरकार ने सदन में कहा है रखा है उसको समय पर इम्प्लीमेंट करने का हमारा दायित्व है। (कमशः)

टर्न-22/मधुप/29.3.16

...क्रमशः...

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : हमारी सरकार ने जो सात निश्चय का प्रोग्राम, गरीबों के हित से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, गाँव से जुड़े हुये कार्यक्रम के लिए जो निर्णय लिये हैं, एक नियत समय में हम उस काम को पूरा करेंगे । मैं अपने इन भाषणों को सदन के पटल पर रख दे रहा हूँ ।

मैं सदन से अनुरोध करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से संबंधित बिहार विनियोग (संख्या- 2) विधेयक, 2016 पारित किया जाय ताकि 01 अप्रैल से हमारे न विकास के कार्य बाधित हों, न पेंशन मिलना बंद हो और न वेतन मिलना बंद हो जाय ।

इसलिये मैं सदन से अनुरोध करता हूँ कि इसे स्वीकृत करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने जो अपना लिखित वक्तव्य सदन पटल पर रखा है, वह कार्यवाही का हिस्सा बनेगा ।

(माननीय मंत्री का वक्तव्य - परिशिष्ट पर द्रष्टव्य ।)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2016” स्वीकृत हो ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2016 स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 29 मार्च, 2016 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 28 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई ।)

अध्यक्ष : अब सभा की बैठक बुधवार, दिनांक- 30 मार्च, 2016 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

.....

परिशिष्ट

माननीय अध्यक्ष महोदय,

बिहार विधान मंडल में 26 फरवरी 2016 को वित्त वर्ष 2016-17 का बजट उपस्थापन किया गया था। दिनांक-04 मार्च से 28 मार्च 2016 तक विभिन्न मौगों पर वाद-विवाद हुआ और वाद-विवाद के उपरान्त संबंधित विभागों के प्रभारी मंत्रियों द्वारा उत्तर दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदानों की मौग के लिए जो राशि विभिन्न मौगों में प्रस्तावित है उनमें मौगों के पारित होने के उपरान्त समेकित निधि से राशि की निकासी हेतु विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है। उक्त प्रावधान के तहत मेरे द्वारा विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया गया है। विनियोग विधेयक में मौगों / विनियोग (जो मौग भारित श्रेणी में आता है उसे विनियोग कहा जाता है) के लिए जो राशि स्वीकृत होती है वह राजस्व एवं पूंजीगत की अलग-अलग श्रेणियों में मतदेय (Voted) एवं भारित (Charged) के रूप में विनियोग विधेयक में अलग-अलग प्रदर्शित किया जाता है। वर्ष 2016-17 के बजट के लिए कुल राशि 145188,2819 करोड़ रुपये (एक हजार चार सौ इक्यावन अरब अठासी करोड़ अठाईस लाख उन्नीस हजार रुपये) की है, जिसमें राजस्व मद में 110432.7887 करोड़ रुपये (एक हजार एक सौ चार अरब बत्तीस करोड़ अठहत्तर लाख सत्तासी हजार रुपये) एवं पूंजीगत मद में 34755.4932 करोड़ रुपये (तीन सौ सैंतालीस अरब पचपन करोड़ उनचास लाख बत्तीस हजार रुपये) की राशि की निकासी प्रस्तावित है। भारित के रूप में राजस्व मद में 8903.4596 करोड़ रुपये (उनासी अरब तीन करोड़ पैंतालीस लाख छियानवे हजार रुपये) एवं पूंजी मद में 4074.3866 करोड़ रुपये (चार सौ अरब चौहत्तर करोड़ अड़तीस लाख छियासठ हजार रुपये) प्रस्तावित है। विनियोग विधेयक में प्रावधानित सकल (Gross) राशि को प्रदर्शित किया जाता है जबकि वार्षिक वित्तीय विवरणी में निवल (Net) राशि दिखलाई जाती है। निवल व्यय 144696.2719 करोड़ रुपये (एक हजार चार सौ छियालीस अरब छियानवे करोड़ सत्ताईस लाख उन्नीस लाख रुपये) का है।

विनियोग विधेयक में प्रस्तावित राशि निम्नवत् है :-

गैर योजना (भारित सहित)	—	72768.9617
(सात सौ सताईस अरब अड़सठ करोड़ छियानवे लाख सत्रह हजार रुपये)		
राज्य योजना (केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की केन्द्राश की राशि सहित) —		71501.84
(सात सौ पंद्रह अरब एक करोड़ चौदासी लाख रुपये)		
केन्द्रीय योजनागत योजना	—	917.4802
(नी अरब सतरह करोड़ अड़तालीस लाख दो हजार रुपये)		

कुल	—	145188.2819
(एक हजार चार सौ इक्कावन अरब अठासी करोड़ अठाईस लाख उन्नीस हजार रुपये)		

कुल प्रस्तावित राशि में से प्रतिबद्ध व्यय के रूप में 46867.10 करोड़ रुपये (छियासी हजार आठ सौ सड़सठ करोड़ दस लाख रुपये) का व्यय होगा जिसमें गैर योजना अन्तर्गत वेतन मद में 17723.37 करोड़ रुपये (सतरह हजार सात सौ तेइस करोड़ सैतीस लाख रुपये), योजना मद में 805.22 करोड़ रुपये (छः सौ पाँच करोड़ बाइस लाख रुपये), पेंशन मद में 18285.30 करोड़ रुपये (सोलह हजार दो सौ पचासी करोड़ तीस लाख रुपये), ब्याज भुगतान में 8178.82 करोड़ रुपये (आठ हजार एक सौ अठहत्तर करोड़ बेशासी लाख रुपये) एवं ऋण की वापसी मद में 4074.39 करोड़ रुपये (चार हजार चौहत्तर करोड़ उनचासीस लाख रुपये) प्रावधानित हैं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजना एवं गैर योजना दोनों राशि सम्मिलित कर प्रमुखतः निम्नांकित विभागों में प्रस्तापित है—

विभाग	राजस्व	पूँजी	कुल	(प्रति करोड़ रुपये)
शिक्षा	21477.10	419.92	21897.02	(इक्कीस हजार आठ सौ सन्तानवे करोड़ दो लाख रुपये)
उर्जा	5350.15	9017.70	14367.84	(बीस हजार तीन सौ सड़सठ करोड़ चौदासी लाख रुपये)
स्वास्थ्य	7321.69	913.01	8234.70	(आठ हजार दो सौ बीतीस करोड़ सत्तर लाख रुपये)
गृह	6886.86	410.51	7297.36	(सात हजार दो सौ सन्तानवे करोड़ छत्तीस लाख रुपये)
रक्षणाधीन राज	7183.92	0.00	7183.92	(सात हजार एक सौ तिरासी करोड़ बैतानवे लाख रुपये)
सामाजिक कार्य	1381.19	5769.31	7150.50	(सात हजार दो सौ सन्तानवे करोड़ छत्तीस लाख रुपये)
पथ निर्माण	948.15	5650.91	6599.06	(छः हजार पाँच सौ गिनधानवे करोड़ छः लाख रुपये)
सामाजिक विकास	5434.94	75.12	5510.06	(पाँच हजार पाँच सौ दस करोड़ छः लाख रुपये)
समाज कल्याण	4871.17	145.93	5017.10	(पाँच हजार सत्तर करोड़ दस लाख रुपये)
योजना एवं विकास	2251.59	1252.30	3503.89	(तीन हजार पाँच सौ तीन करोड़ नवारी लाख रुपये)
अन्य	47326.03	11100.79	58426.82	(अन्नावन हजार चार सौ छब्बीस करोड़ बेशासी लाख रुपये)
कुल	110432.79	34755.49	145188.28	(एक लाख पैतालीस हजार एक सौ अठ्ठासी करोड़ अठाइस लाख रुपये)

वैतीय वर्ष 2016-17 के मूल बजट में केन्द्र प्रायोजित परियोजनाओं एवं राज्य की परियोजनाओं में 400 करोड़ रुपये एवं अधिक राशि के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित परियोजनाओं में है-

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	विभाग का नाम	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल राशि
1	सर्वशिक्षा अभियान	शिक्षा विभाग	4572.78	3148.52	7721.30
2	पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि- राज्य के विशेष योजना	पथ निर्माण विभाग, उर्जा	6395.19		6395.19
3	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	स्वास्थ्य विभाग	2719.05	988.95	3708.00
4	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	ग्रामीण कार्य विभाग	3000.00	540.00	3540.00
5	सड़क निर्माण हेतु	पथ निर्माण विभाग		2548.75	2548.75
6	घात्रवृत्ति	पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग		2495.27	2495.27
7	सेतु निर्माण योजना	पथ निर्माण विभाग		2306.71	2306.71
8	एकजीकृत बाल विकास सेवा	समाज कल्याण विभाग	1810.81	360.17	2170.98
9	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	ग्रामीण विकास विभाग	1859.42	310.18	2169.60
10	राष्ट्रीय समाजिक सहायता कार्यक्रम	समाज कल्याण विभाग	1487.50	590.00	2077.50
11	इंदिरा आवास योजना	ग्रामीण विकास विभाग	1413.33	515.61	1928.94
12	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग		1739.45	1739.45
13	मध्यहान भोजन योजना	शिक्षा विभाग	1005.00	731.18	1736.16
14	मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना	ग्रामीण कार्य विभाग		1579.95	1579.95
15	मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना	योजना एवं विकास विभाग		1216.15	1216.15
16	आपात कालीन कोसी बाढ़ पुनर्वास परियोजना	योजना एवं विकास विभाग		804.19	804.19
17	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	ग्रामीण विकास विभाग	519.90	230.30	746.20
18	मुख्यमंत्री निश्चय योजना	पंचायतीराज विभाग		680.00	680.00
19	मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना	योजना एवं विकास विभाग		660.00	660.00
20	राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	349.99	303.33	653.32
21	मुख्यमंत्री निश्चय विद्युत संकट योजना	ऊर्जा विभाग		587.38	587.38
22	निर्मल भारत अभियान	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	345.00	160.00	505.00
23	ग्रामीण सड़क योजनाएँ (नाबार्ड सम्मोहित)	ग्रामीण कार्य विभाग		454.31	454.31
24	शहर पुनर्नवीकरण मिशन-अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन	नगर विकास एवं आवास विभाग	332.84	100.00	432.84
25	पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु	योजना एवं विकास विभाग		400.00	400.00
26	पेय जलपूरति के लिए अनुदान	नगर विकास एवं आवास विभाग		400.00	400.00
कुल			25810.81	23846.38	49657.19

राजस्व प्राप्ति का एक मुख्य स्रोत राज्य को केन्द्रीय करों के हिस्से के रूप में प्राप्त होता है। राज्य के बजट में वर्ष 2016-17 के लिए केन्द्रीय करों के हिस्से के रूप में 58359.72 करोड़ रुपये (अन्दावन हजार तीन सौ उनसठ करोड़ बहत्तर लाख रुपये) की राशि अनुमानित की गयी है। केन्द्र सरकार का बजट 26 फरवरी 2016 को संसद में प्रस्तुत किया गया जिसमें केन्द्रीय करों के हिस्से के रूप में बिहार राज्य को 55233.71 करोड़ रुपये (पचपन हजार दो सौ तैंतीस करोड़ एकत्तर लाख रुपये) दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। भारत सरकार से केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से में वर्ष 2016-17 में 3126.01 करोड़ रुपये (तीन हजार एक सौ छब्बीस करोड़ एक लाख रुपये) कम प्राप्त होंगे।

राजकोषीय घाटा को नियंत्रण में रखने के लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। वर्ष 2016-17 में भी राजकोषीय घाटा को कुल राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2016-17 का राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 558808.65 करोड़ रुपये (पाँच लाख अन्दावन हजार आठ सौ आठ करोड़ पैंसठ लाख रुपये) का है जो कि योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) द्वारा सूचित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट प्रावधान में जो राशि प्राप्ति एवं व्यय के लिए सम्मिलित की गयी है उसके अनुसार राजकोषीय घाटा 16014.26 करोड़ रुपये (सोलह हजार बीस करोड़ छब्बीस लाख रुपये) का हो रहा है, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.87 प्रतिशत है।

बजट में प्रावधानित की जा रही राशि एवं मुख्य परियोजनाओं, राजकोषीय घाटा इत्यादि का संक्षिप्त विवरण मैंने माननीय सदस्यों के बीच प्रस्तुत किया है। बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2016 में कुल 145188.2819 करोड़ रुपये (एक हजार चार सौ इक्कावन अरब अठासी करोड़ अठाईस लाख उन्नीस हजार रुपये) की राशि प्रस्तावित है।

सदन से अनुरोध करना है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से संबंधित बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2016 पारित किया जाए।

*****जय हिन्द !*****

बजट प्रावधान से कम राशि व्यय होने का कारण

1. बजट प्राप्ति एवं व्यय की राशि का एक अनुमान होता है। अनुमानित व्यय से कम राशि का व्यय होने पर बचत होता है।
2. वार्षिक योजना का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से योजनाएं एवं विकास विभाग द्वारा विभिन्न विभागों को अतिरिक्त उद्ब्यय प्रदान किया जाता है। इसका कारण कुछ विभाग जो निर्धारित योजना उद्ब्यय के विरुद्ध राशि व्यय नहीं कर पा रहे हैं और साथ साथ वे अभी राशि का प्रत्यर्पण करने की स्थिति में भी नहीं रहते हैं क्योंकि उनकी आशा है कि वर्ष के शेष अवधि में राशि का व्यय हो सकेगा वहीं दूसरी ओर कुछ विभाग जिनके योजना उद्ब्यय के विरुद्ध व्यय की प्रगति अच्छी रहती है और केन्द्रीय योजनाओं के केन्द्रांश के विरुद्ध राज्यांश देने की आवश्यक रहती है, ऐसे विभागों को अतिरिक्त उद्ब्यय प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य उस वित्तीय वर्ष में व्यय के दृष्टिकोण से एक लक्ष्यलापन देना होता है। वर्ष के अन्त में राज्य के योजना आकार के अनुरूप पुनः संशोधित उद्ब्यय सभी विभागों को सूचित किया जाता है और विभागों द्वारा अतिरिक्त प्रावधानित राशि का प्रत्यर्पण किया जाता है, जिसके कारण योजना मद में काफी अधिक राशि का बचत प्रदर्शित होता है।
3. पुनर्विनियोग से राशि एक मांग के अन्दर ही एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में उपलब्ध होती है जिसमें मूल बजट का 25 प्रतिशत तक ही राशि हस्तांतरित की जा सकती है। अगर किसी उपशीर्ष में अधिक राशि प्रावधानित है और व्यय नहीं होना है तो उक्त राशि का का 25 प्रतिशत तक ही पुनर्विनियोग किया जा सकता है, जिस कारण भी राशि बचत होती है।
4. पिछले पाँच वर्षों में बजट निम्नवत् रही है-

वर्ष	राज्य योजना में बचत	कुल बचत (राशि करोड़ रुपये में)
2010-11	7419.38	13467.61
2011-12	9083.63	15564.12
2012-13	12328.35	24038.17
2013-14	17354.23	32360.55
2014-15	29906.24	44917.98

सी.ए.जी. के अंकेक्षण प्रतिवेदन पर संतव्य

सी.ए.जी. का अंकेक्षण प्रतिवेदन

अनुचित बजट प्राक्कलन के कारण वृहत् बचत

वर्ष 2014-15 के दौरान 1,40,022.59 करोड़ रु. के कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध वृहत् बचत 43925.80 करोड़ रु. था जो अनुचित बजट अनुमान को दर्शाता है। विभिन्न योजनाओं/उपशीर्षों के अन्तर्गत वृहत् बचत राज्य में विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। गत पांच वर्षों से सतत बचत 10 विभागों में भी सूचित हुई। कुल बचत (43925.80 करोड़ रु.) में से 27334.02 करोड़ रु. (62.33 प्रतिशत) ही अभ्यर्पित की गई और 22740.73 करोड़ रु. (83.20 प्रतिशत) की राशि 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित की गई।

वित्त विभाग का संतव्य

1. वर्ष 2014-15 में राज्य की कुल प्राप्ति 93828.12 करोड़ रु. के विरुद्ध कुल व्यय 94698.04 करोड़ रु. रहा। इस तहत राज्य का कुल व्यय के राज्य की कुल प्राप्ति के अनुरूप है किन्तु यह बजट अनुमान के विरुद्ध कम प्राप्ति की वजह से कम व्यय हुआ। भारत सरकार से अनुदान मद में बजट अनुमान 31419.78 करोड़ रु. के विरुद्ध मात्र 19146.26 करोड़ रु. और केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्सा मद में बजट अनुमान 41775.05 करोड़ रु. के विरुद्ध 36963.07 करोड़ रु. प्राप्त हुए। इस प्रकार भारत सरकार से राजस्व प्राप्ति मद में कुल 17085.50 करोड़ रु. कम प्राप्त हुए जिसमें BRGF State Component में बजट प्राक्कलन 3000 करोड़ रु. के विरुद्ध मात्र 864.37 करोड़ रु. प्राप्त हुए।

2. वर्ष 2014-15 में कुल गैर योजना व्यय अनुमान 65380.20 करोड़ रु. के विरुद्ध कुल 50758.95 करोड़ रु. का व्यय हुआ। इस प्रकार गैर योजना व्यय मद में 14621.34 करोड़ रु. की बचत हुई और यह गैर योजना व्यय में नियंत्रण का परिणाम है जो कि अच्छा संकेत है।

3. वर्ष 2014-15 में योजना मद के कुल बजट अनुमान 74235.80 करोड़ रु. के विरुद्ध कुल 43939.09 करोड़ रु. का व्यय हुआ जिसके परिणाम स्वरूप 30296.71 करोड़ रु. का बचत हुआ है। इस बचत का कारण केन्द्रीय अनुदान मद में बजट अनुमान 31419.78 करोड़ रु. के विरुद्ध 19146.26 करोड़ रु. की प्राप्ति हुई। इस प्रकार केन्द्रीय अनुदान मद में 12,273.52 करोड़ रु. कम प्राप्त हुए। केन्द्रीय प्रायोजित योजना के केन्द्रांश मद में कम प्राप्ति के कारण इसके राज्यांश मद में भी व्यय कम हुआ।

यह भी अंकित किया जाना है कि इस प्रकार की बचत एक सामान्य प्रवृत्ति है क्योंकि बजट आय एवं व्यय का अनुमान है जो कि उस पूरे वित्तीय वर्ष में परिवर्तित होता रहता है।

वर्ष	कुल पुनरीक्षित बजट	कुल व्यय	शेष	बचत का प्रतिशत
2010-11	67172.12	50704.51	13467.61	20.99
2011-12	75745.56	60181.44	15564.12	20.55
2012-13	93244.74	69208.57	24036.17	25.78
2013-14	112765.72	80405.17	32360.55	28.70
2014-15	139616.02	94698.04	44917.98	32.17

BUDGET PROVISIONS

(Rupees in crore)							
Year	Particular	Nonplan	Stateplan	C.P.S	C.S.S	Total Plan	Grand Total
2010-11	Original	29882.88	20000.00	247.02	3828.67	24075.69	53758.57
	First Suppl.	1838.98	3063.51	38.91	123.23	3225.65	5064.63
	Second Suppl.	1445.48	322.31	2.75	28.62	354.68	1800.16
	Third Suppl.	1021.04	2460.06	23.88	43.80	2527.72	3548.76
	Total	33988.38	26845.88	312.54	4025.32	30183.74	64172.12
	Expenditure	29793.97	16426.50	126.26	2357.78	20910.54	50704.51
	Saving	4194.41	7419.38	186.28	1667.54	9273.20	13467.61
	%Expenditure	87.66	71.29	40.40	58.57	69.28	79.01
	Saving%	12.34	28.71	59.60	41.43	30.72	20.99
2011-12	Original	37822.95	24000.00	146.80	3358.32	27502.92	65325.67
	First Suppl.	1751.49	408.05	41.81	50.83	500.89	2252.18
	Second Suppl.	2405.38	2957.24	18.92	120.47	3096.63	5502.01
	Third Suppl.	494.44	2040.10	0.00	130.96	2171.06	2665.50
	Total	42474.26	29405.39	207.33	3658.58	33271.30	76745.66
	Expenditure	37173.55	20321.76	108.22	2577.91	23007.89	60181.44
	Saving	5300.71	9083.63	99.11	1080.67	10263.41	15564.12
	%Expenditure	87.52	69.11	52.20	70.46	69.16	79.45
	Saving%	12.48	30.89	47.80	29.54	30.85	20.55
2012-13	Original	45322.97	26000.00	108.67	5255.18	33383.85	78686.82
	First Suppl.	2793.97	6722.47	128.13	28.05	6878.65	9672.62
	Second Suppl.	1370.93	1970.07	7.40	37.75	2015.22	3386.15
	Third Suppl.	119.69	1294.40	0.11	84.95	1379.46	1499.15
	Total	49607.56	37986.94	244.31	5405.93	43637.18	93244.74
	Expenditure	40825.41	25858.58	120.37	2602.20	28381.15	69206.57
	Saving	8782.15	12328.35	123.94	2803.73	15256.02	24038.17
	%Expenditure	82.30	67.55	49.27	48.14	65.04	74.22
	Saving%	17.70	32.45	50.73	51.86	34.96	25.78
2013-14	Original	53081.83	34000.00	290.87	4715.43	39006.30	92087.93
	First Suppl.	178.30	10881.17	7.86	40.35	10929.38	11107.68
	Second Suppl.	3238.85	2097.84	13.48	158.07	2269.37	5508.22
	Third Suppl.	2914.31	1082.49	0.00	85.10	1147.58	4061.89
	Total	59413.08	48081.50	312.19	4978.95	53352.63	112765.72
	Expenditure	46727.61	30707.27	80.53	2989.76	33677.56	80405.17
	Saving	12685.48	17354.23	231.66	2089.19	19675.07	32360.55
	%Expenditure	78.66	63.89	25.80	58.04	63.12	71.30
	Saving%	21.35	36.11	74.20	41.96	36.88	28.70
2014-15	Original	59231.04	57392.44	282.68	0.00	57655.12	116886.16
	First Suppl.	1320.43	12090.12	85.02	0.00	12175.14	13495.57
	Second Suppl.	1915.71	2537.04	50.24	0.00	2567.28	4502.99
	Third Suppl.	2913.02	1818.25	0.03	0.00	1818.28	4731.30
	Total	66380.20	73837.85	397.97	0.00	74235.82	139616.02
	Expenditure	50758.96	43931.51	45.10	-37.63	43939.08	94688.04
	Saving	14621.24	29906.24	352.87	37.63	30296.74	44917.98
	%Expenditure	77.64	59.50	11.33	0.00	59.19	67.83
	Saving%	22.36	40.50	88.67	100.00	40.81	32.17
2015-16	Original	53259.59	57137.62	288.11	0.00	57425.73	120685.32
	First Suppl.	9118.63	7424.72	201.69	0.00	7626.41	16745.04
	Second Suppl.	2270.20	4434.89	9.34	0.00	4444.03	6714.23
	Third Suppl.	1050.55	7656.21	62.62	0.00	7718.63	8769.38
	Total	75698.97	76653.24	561.76	0.00		152913.97
	Expenditure (Up to 28th Mar, 2016)	54554.94	47611.62	318.32	-31.17	47898.77	102453.71

Central Assistance to State Plan

Sl. No.	Scheme Name	GOB Deptt.	Pattern of Funding (%) From 2015-16		Pattern of Funding (%) Before 2015-16	
			Centre Share	State Share	Centre Share	State Share
2	3	4	5		6	
1	National Food Security Mission	Agriculture	60	40	100	0
2	Rashtriya Krishi Vikash Yojana (RKVY)	Agriculture, Animal & Fisheries, Co-operative	60	40	100	0
3	National E-Governance Plan-Agriculture	Agriculture	60	40	100	0
4	Post Matric Scholarship For OBC CASP	BC and MBC Welfare	100	0	100	0
5	Scheme for Providing education to Madrasas, Minorities and Disabled	Education	100	0	100	0
6	National AIDS & STD Control Programme	Health	100	0	100	0
7	National Mission on Ayush including Mission on Medicinal Plants	Health	60	40	100	0
8	Social Security for Unorganized Workers including Rashtriya Swasthya Bima Yojana	Health	60	40	100	0
9	National Land Record Management Programme	Revenue and Land	100	0	100	0
10	Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)	Rural Works	60	40	100	0
11	National Social Assistant Programme (NSAP),	Social Welfare	100	0	100	0
12	National Programme for Persons with Disabilities	Social Welfare	100	0	100	0
13	National Mission for Empowerment of Women including Indira Gandhi Matritav Sahyog Yojana	Social Welfare	60	40	100	0
14	Tribal Sub Plan (TSP)	SC & ST Welfare	100	0	100	0
15	Grant under Provision to Article 275(1)	SC & ST Welfare	100	0	100	0
16	Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana (PMAGY)	SC & ST Welfare	100	0	100	0
17	Umbrella scheme for Education of ST students.	SC & ST Welfare	100	0	100	0
18	Post-Matric Scholarship for SC Students	SC & ST Welfare	100	0	100	0
19	Urban Regeneration Mission-500 Habitations	Urban Development & Housing	60	40	100	0
20	Border Area Development Programme (BADP) (ACA)	Planning and Development	100	0	100	0
21	Roads and Bridges	Road Construction	100	0	100	0
22	Sub Mission on Agriculture Extension	Agriculture	60	40	90	10
23	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)	Rural Development	90	10	90	10
24	National Horticulture Mission	Agriculture	60	40	85	15
25	Rajiv Awas Yojana (MCHPUA) (Including BSUP & THSDP) States & UTs Plan	Urban Development & Housing	60	40	80	20
26	National Oilseed and Oil Palm Mission	Agriculture	60	40	75	25
27	National Mission on Sustainable Agriculture	Agriculture	60	40	75	25

Central Assistance to State Plan

Sl. No.	Scheme Name	GOB Deptt.	Pattern of Funding (%) From 2015-16		Pattern of Funding (%) Before 2015-16	
			Centre Share	State Share	Centre Share	State Share
2	3	4	5		6	
28	National Project on Management of Soil Health and Fertility	Agriculture	60	40	75	25
29	National Livestock Health and Disease Control	Animal & Fisheries	60	40	75	25
30	Panchayat Yuva Krida aur Khel Abhiyan (PYKKA)	Art, Culture & Youth	100	0	75	25
31	National Programme Nutritional Support to Primary Education (MDM)	Education	60	40	75	25
32	Support for Educational Development including Teachers Training & Adult Education	Education	60	40	75	25
33	Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)	Education	60	40	75	25
34	Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)	Education	60	40	75	25
35	National Afforestation Programme (National Mission for a Green India)	Environment & Forest	60	40	75	25
36	National Health Mission (NHM)	Health	60	40	75	25
37	Skill Development Mission	Labour Resource	100	0	75	25
38	Development of Infrastructure Facilities for Judiciary including Gram Nyayalayas	Law	60	40	75	25
39	Nirmal Bharat Abhiya (NBA)/Swachhi Bharat Abhiyan-19151	Public Health Engineering	60	40	75	25
40	Indira Awas Yojana (IAY)	Rural Development	60	40	75	25
41	National Rural Livelihood Mission (NRLM)	Rural Development	60	40	75	25
42	National Urban Livelihood Mission (NULM)	Urban Development & Housing	60	40	75	25
43	Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) and other Water resources Programmes	Water Resources	60	40	75	25
44	Multi Sectoral Development Programme for Minorities	Minorities Welfare	70	30	70	30
45	Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)	Education	60	40	65	35
46	National Service Scheme (NSS)	Art, Culture & Youth	100	0	60	40
47	Pramparagat Krishi Vikas Yojana	Agriculture	60	40	50	50
48	National Livestock Management Programme (NLMP)	Animal & Fisheries Resource	60	40	50	50
49	Pre Matric Scholarship For OBC CASP	BC and MBC Welfare	50	50	50	50
50	Conservation of Natural Resources and Ecosystems	Environment & Forest	60	40	50	50
51	Integrated Development of Wild Life Habitats (RESTRUCTURED)	Environment & Forest	60	40	50	50
52	Project Tiger	Environment & Forest	60	40	50	50

Central Assistance to State Plan

Sl. No.	Scheme Name	GOB Deptt.	Pattern of Funding (%) From 2015-16		Pattern of Funding (%) Before 2015-16	
			Centre Share	State Share	Centre Share	State Share
2	3	4	5		6	
53	Intensification of Forest Management	Environment & Forest	60	40	50	50
54	Normal Rural Drinking Water Programme (NRDWP)	Public Health Engineering	60	40	50	50
55	Rajiv Gandhi Scheme For Empowerment of Adolescent Girls Sabla CS	Social Welfare	60	40	50	50
56	Integrated Child Development Service (ICDS)	Social Welfare	60	40	50	50
57	Integrated Child Protection Scheme (ICPS)	Social Welfare	60	40	50	50
58	Scheme for Development of Scheduled Castes	SC & ST Welfare	50	50	50	50
59	Machinery for Implementation of Civil Rights Act	SC & ST Welfare	50	50	50	50
60	Integrated Watershed Management Programme (IWMP)	Revenue and Land Reform	60	40		
61	(VII) Pradhan Mantri Krishi Sinchayi Yojana (PMKSY)	Agriculture	60	40		
62	Scheme for Development of Other Backward Classes and denotified, nomadic and semi-nomadic Tribes.	BC and MBC Welfare	75	25		
63	Scheme for development of Economically backward Classes (EBCs)	BC and MBC Welfare	100	0		
66	Housing for All (PMAY)	Urban Development & Housing	60	40		
67	Mission For 100 Smart Cities	Urban Development & Housing	60	40		
68	Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) and other Water resources Programmes	Minor Water Res.	90	10		
69	Pradhan Mantri Krishi Sinchayati Yojana WR	Water Resources	60	40		

STATEMENT SHOWING SHARE IN CENTRAL TAXES, GRANTS AND LOAN DURING THE YEAR- 2015-16 FOR THE MONTH OF MAR, 2016 & UP TO 28th MAR, 2016

											(Rs in crore)
SL No.	Name of Scheme	Ministry/Bank/Institution	BE 2015-16	Total Up to 1st Qtr., 2015	Total Up to 2nd Qtr., 2015	Total Up To 3rd Qtr., 2015	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Total Up To 28th Mar, 2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A SHARE IN TAXES & GRANTS											
1	Share in Central Taxes	Finance Ministry	50747.58	10874.11	21748.72	32623.33	3624.87	3624.87	6033.08	45906.15	
2	State Plan Scheme		15086.14	4733.22	8859.61	10398.25	1956.33	2692.07	187.26	15233.91	
3	Non-Plan Scheme		2948.01	694.73	1962.04	2091.73	175.87	8.26	1157.71	3433.57	
4	Central Plan Scheme		136.47	50.00	75.26	133.77	8.36	12.51	1.78	156.42	
5	Total Grants-in-aid (2+3+4+5)		18170.62	5477.95	10896.91	12623.75	2140.56	2712.84	1346.75	18823.90	
Total A	Sub Total (1+5)		68918.20	16352.06	32645.63	45247.88	5765.43	6337.71	7379.83	64730.05	
B LOAN											
7	NSSF	Finance Ministry/ Deptt of Economic Affairs	1650.00	180.85	293.20	912.87	510.09	203.40	1503.45	3129.81	
8	Market Loan	Direct From Mkt Through RBI	11113.66	0.00	2000.00	3500.00	0.00	5000.00	3000.00	11500.00	
9	EAP Loan	Finance Ministry	2788.68	263.17	519.92	794.54	23.44	0.00		817.98	
10	NABARD LOAN	Nabard Bank	2100.00	153.89	401.33	592.78	120.79	162.50	133.07	1009.14	
11	NCDC	NCDC	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Total B	Sub Total (7+8+9+10+11)		17708.81	597.91	3214.45	5806.19	654.32	5365.90	4636.52	16456.93	
Grand Total (A to B)			86627.01	16949.97	35860.08	51047.27	6419.75	11703.61	12016.35	81186.98	

Optimized by www.ImageOptimizer.net

Schemewise Releases

STATEMENT SHOWING CENTRAL ASSISTANCE TO STATE PLAN GRANTS DURING THE YEAR- 2015-16 FOR THE MONTH OF MAR, 2016 & UP TO 28th MAR, 2016

												(Rs in crore)
PFMS Code	Sl. No.	Items	GOI Ministry/Deptt.	GOB Deptt.	BE 2015-16	Total Up to 1st Qtr., 2015	Total Up to 2nd Qtr., 2015	Total Up to 3rd Qtr., 2015	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Total Up To 28th Mar, 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9143	1	National Oilseed and Oil Palm Mission	Agriculture/ Agri and Coop	Agriculture	2.09	0.70	0.70	1.70				1.70
9140	2	National Food Security Mission	Agriculture/ Agri and Coop	Agriculture	52.40	0.00	40.74	47.80			7.96	55.76
9141	3	National Horticulture Mission	Agriculture/ Agri and Coop	Agriculture	36.46	0.00	0.00	0.00	4.00			4.00
9142	4	National Mission on Sustainable Agriculture	Agriculture/ Agri and Coop	Agriculture	16.82	0.00	0.00	2.50				2.50
9144	5	Sub Mission on Agriculture Extension	Agriculture/ Agri and Coop	Agriculture	26.10	0.00	23.79	27.71				27.71
9145	6	Rashtriya Krishi Vikash Yojana (RKVY)	Agriculture/ Agri and Coop	Agriculture, Animal & Fisheries, Co-operative	280.74	0.00	111.20	111.20				111.20
9503	7	National Project on Management of Soil Health and Fertility	Agriculture/ Agri and Coop	Agriculture	0.00	0.00	5.18	5.18			1.22	6.40
9423	8	National E-Governance Plan-Agriculture	Agriculture/ Agri and Coop	Agriculture	0.00		2.14	2.14				2.14
9422	9	Pramparagat Krishi Vikas Yojana	Agriculture/ Agri and Coop	Agriculture	0.00			2.93	2.11		1.00	6.04
9183	10	Integrated Watershed Management Programme (IWMP)	Rural Development	Agriculture	43.22	0.00	0.00	5.00				5.00
9347	11	Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY)	Agriculture/ Agri and Coop	Agriculture	0.00		20.33	26.60			2.00	28.60
Sub Total					457.83	0.70	204.08	232.76	6.11	2.00	10.18	251.05
9147	12	National Livestock Health and Disease Control Programme (NLH & DCP) VETERINARY SERVICES AND ANIMAL HEALTH	Animal Husbandry, Dairying & Fisheries	Animal & Fisheries Resource	3.63	0.00	10.84	10.84				10.84
9146	13	National Livestock Management Programme (NLMP)	Animal Husbandry, Dairying & Fisheries	Animal & Fisheries Resource	5.59	0.00	0.00	0.00				0.00
Sub Total					9.22	0.00	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	10.84
9207	14	National Service Scheme (NSS)	Youth Affairs & Sports	Art, Culture & Youth	1.54	0.00	0.00	0.00				0.00
9275	15	Panchayat Yuva Krida aur Khel Abhiyan (PYKKA)	Sports	Art, Culture & Youth	1.82	0.00	0.00	0.00				0.00
Sub Total					3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9188	16	Scheme for Development of Other Backward Classes and demotified, nomadic and semi-nomadic Tribes.	Social Justice and Empowerment	BC and MBC Welfare	20.00	0.00	2.50	2.50				2.50
9493	17	Pre Matric Scholarship For OBC CASP	Social Justice and Empowerment	BC and MBC Welfare	0.00	7.21	12.00	12.00		9.80		21.80
9494	18	Post Matric Scholarship For OBC CASP	Social Justice and Empowerment	BC and MBC Welfare	0.00	54.04	72.05	72.05			2.80	74.85
9189	19	Scheme for development of Economically backward Classes (EBCs)	Social Justice and Empowerment	BC and MBC Welfare	2.29	0.00	0.00	0.00				0.00
Sub Total					22.29	61.25	86.55	86.55	0.00	9.80	2.80	99.15

Optimized by www.ImageOptimizer.net

9165	20	National Programme Nutritional Support to Primary Education (MDM)	HRD-Elementary Edn & Literacy	Education	159.18	306.84	818.15	1200.13					1200.13
9167	21	Support for Educational Development including Teachers Training & Adult Education	HRD-Elementary Edn & Literacy	Education	44.42	15.34	15.34	54.34					54.34
9170	22	Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)	Higherly Education	Education	69.10	0.00	0.00	22.21		0.70			22.91
9164	23	Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)	HRD-Elementary Edn & Literacy	Education	4769.18	1088.27	1745.79	1745.79	771.78				2517.57
9166	24	Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)	HRD-Elementary Edn & Literacy	Education	54.37	21.01	21.01	36.01					36.01
9169	25	Scheme for Providing education to Madrasas, Minorities and Disabled	Deptt. of School Education & Literacy	Education	180.56	15.43	15.43	15.43					15.43
Sub Total					5276.81	1446.89	2615.72	3073.91	771.78	0.70	0.00	0.00	3846.39
9153	26	National Afforestation Programme (National Mission for a Green India)	Environment Forest and Wild Life	Environment & Forest	1.36	0.00	1.11	2.09				2.93	5.02
9154	27	Conservation of Natural Resources and Ecosystems	Environment & Forest	Environment & Forest	0.33	0.00	0.00	0.00					0.00
9186	28	Integrated Development of Wild Life Habitats (RESTRUCTURED)	Environment Forest and Wild Life	Environment & Forest	0.37	0.00	0.33	1.11					1.11
9155	29	Project Tiger	Environment Forest and Wild Life	Environment & Forest	2.35	0.00	2.08	2.08		0.16			2.24
	30	Intensification of Forest Management	Environment Forest and Wild Life	Environment & Forest	0.00		0.59	0.59					0.59
Sub Total					4.41	0.00	4.11	5.87	0.00	0.16	2.93	0.00	8.96
9159	31	National AIDS & STD Control Programme	Health & Family Welfare	Health	25.47	0.00	11.08	11.08					20.18
9156	32	National Health Mission (NHM)	Health & Family Welfare	Health	1186.58	753.55	827.00	942.57	0.21	30.89	118.91		1092.58
9157	33	Human Resource in Health And Medical Education	Health & Family Welfare	Health	0.00		0.00	36.59					36.59
9158	34	National Mission on Ayush including Mission on Medicinal Plants	AYUSH	Health	19.43	0.00	0.00	0.00					0.00
Sub Total					1231.50	753.55	838.08	990.24	0.21	39.99	118.91	0.00	1149.35
9173	35	Skill Development Mission	Labour and Employment/ Labour	Labour Resource	2.40	0.63	2.38	2.63					2.63
9172	36	Social Security for Unorganized Workers including Rashtriya Swasthaya Bima Yojana	Labour & Employment	Labour Resource	248.57	0.00	0.00	0.00					0.00
Sub Total					250.97	0.63	2.38	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63

Optimized by www.ImageOptimizer.net

9174	37	Development of Infrastructure Facilities for Judiciary including Gram Nyayalayas	Law and Justice	Law	10.71	0.00	0.00	0.00					0.00
Sub Total					10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9175	38	Multi Sectoral Development Programme for Minorities	Minorities Affairs	Minorities Welfare	99.38	21.10	21.10	44.96					44.96
Sub Total					99.38	21.10	21.10	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	44.96
9151	39	Nirmal Bharat Abhiya (NBA)/ Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)	Drinking Water & Sanitation	Public Health Engineering	314.08	182.14	182.14	182.14					182.14
9150	40	National Rural Drinking Water Programme (NRDWP)	Drinking Water & Sanitation/ Rural Development	Public Health Engineering	114.95	117.02	132.59	132.59	17.17	25.99	6.74		182.49
Sub Total					429.03	299.16	314.73	314.73	17.17	25.99	6.74	0.00	364.63
9184	41	National Land Record Management Programme (NLRMP)	Land Resources	Revenue and Land Reform	5.07	0.00	0.00	0.00					0.00
Sub Total					5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9180	42	Indira Awas Yojana (IAY)	Rural Development	Rural Development	1053.59	396.82	396.82	837.18					837.18
9178	43	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)	Rural Development	Rural Development	1330.27	237.54	1024.12	1024.12					1024.12
9181	44	National Rural Livelihood Mission (NRLM)	Rural Development	Rural Development	33.12	42.70	69.30	101.29	2.25	69.99	1.67		175.20
Sub Total					2416.98	677.06	1490.24	1962.59	2.25	69.99	1.67	0.00	2036.50
9179	45	Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)	Rural Development	Rural Works	2235.01	918.64	1575.64	1575.64	905.00	0.00	0.00		2480.64
Sub Total					2235.01	918.64	1575.64	1575.64	905.00	0.00	0.00	0.00	2480.64
9182	46	National Social Assistant Programme (NSAP), Including (Annapurna)	Rural Development	Social Welfare	1263.51	330.98	918.92	918.92		580.73			1499.65
9197	47	Integrated Child Development Service (ICDS)	Women & child Development	Social Welfare	598.37	176.44	550.23	653.14	208.79	85.28	0.75		947.96
9192	48	National Programme for Persons with Disabilities	Disability Affairs	Social Welfare	5.00	0.00	0.00	0.00					0.00
988+922	49	National Mission for Empowerment of Women including Indira Gandhi Matritrav Sahyog Yojana (IGMSY)	Women & child Development	Social Welfare	34.38	0.00	24.40	24.53		0.17			24.70
9199	50	Integrated Child Protection Scheme (ICPS)	Women & child Development	Social Welfare	11.24	3.72	14.87	14.87					14.87
1786	51	Women Helpline	Women & child Development	Social Welfare	0.00	0.00	0.00	0.63					0.63
200+922	52	Rajiv Gandhi Scheme For Empowerment of Adolescent Girls Sabla CS	Women & child Development	Social Welfare	0.00	0.00	8.75	8.75					8.75
Sub Total					1912.50	511.14	1517.17	1620.84	208.79	666.18	0.75	0.00	2496.56

Optimized by www.ImageOptimizer.net

